मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

विषय-सूची

धारा **विषय**

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ

अध्याय-2

राजस्व मण्डल (बोर्ड)

3. राजस्व मण्डल का गठन
4. राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान
5. मण्डल के सदस्यों की सेवा शर्तें
6. वेतन तथा भत्ते
7. मण्डल की अधिकारिता
8. मण्डल की अधीक्षण सम्बन्धी शक्तियाँ
9. एक सदस्यीय तथा बहुसदस्यीय न्यायपीठों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग
10. संहिता के प्रारम्भ होने के समय विचाराधीन मामले

अध्याय-3

राजस्व पदाधिकारी, उनके वर्ग तथा शक्तियाँ

11. राजस्व पदाधिकारी
12. राजस्व पदाधिकारियों पर नियंत्रण
13. संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, उनकी रचना करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति
14. संभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति
15. अपर आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति
16. कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति
17. अपर कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति
18. सहायक कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों तथा डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति और शक्तियाँ
19. तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति
20. भू-अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति

21. अन्य पदाधिकारी

22. उपखंड अधिकारी

23. राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता

24. राज्य शासन द्वारा राजस्व पदाधिकारियों की शक्तियों का पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाना

25. स्थानान्तर होने पर प्रयोगनीय शक्तियाँ

26. अस्थायी रिक्ति की दशा में कलेक्टर

अध्याय -4

राजस्व पदाधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया

27. जाचँ करने के लिये स्थान

28. भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण (परिमाप) करने की शक्ति

29. मामलों को अन्तरित करने की शक्ति

30. अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अन्तरित करने की शक्ति

31. मण्डल तथा राजस्व अधिकारियों की न्यायालयों की प्रास्थिति का प्रदान किया जाना

32. राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति

33. व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेजें पेश किये जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ

34. साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करना

35. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई

36. सुनवाई का स्थगन

37. व्यय दिलाने की शक्ति

38. स्थावर सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने विषयक आदेश को निष्पादित करने की रीति

39. वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपसंजाति (हाजिरी) की जा सकेगी और आवेदन किये जा सकेंगे

40. अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव

41. मण्डल को नियम बनाने की शक्ति

42. राजस्व पदाधिकारी के आदेश , भूल अथवा अनियमितता के कारण कब उल्टे जा सकेंगे

43. इस संहिता में स्पष्ट उपबन्ध न होने की दशा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का लागू होना

अध्याय -5

अपील , पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

44. अपील तथा अपीलीय अधिकारी

45. कतिपय लम्बित कार्यवाहियों का बन्दोबस्त आयुक्त को अन्तरण

46. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी

47. अपीलों की परिसीमा

48. याचिका (अर्जी) के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की गई है

49. अपील प्राधिकारी की शक्ति

50. पुनरीक्षण

51. आदेशों का पुनर्विलोकन

52. आदेशों के निष्पादन का रोका जाना

53. लिमिटेशन ऐक्ट का लागू होना

54. लम्बित पुनरीक्षण

54–क. लुप्त

55. अध्याय का लागू होना

56. आदेश का अर्थान्वयन

अध्याय -6

भूमि तथा राजस्व

57. समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व

58. भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि का दायित्व

58-क. कतिपय भूमियों को भू-राजस्व की देनगी से छूट दी जायेगी

58-ख. निर्धारित भू-राजस्व का आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए गए खाते के लिए ही देय होगा

59. जिस प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में लाई जावे उसी के अनुसार भू-राजस्व में फेराफार

59-क. निर्धारण कब प्रभावशील होगा

59-ख. संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए भूमि के व्यपवर्तन पर पुनर्निर्धारण

60. निर्धारण किसके द्वारा नियत किया जायेगा

अध्याय -7

नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त

61. इस अध्याय का नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों को लागू होना

62. बन्दोबस्त आयुक्त की नियुक्ति

63. अपर बन्दोबस्त आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य

64. बन्दोबस्त अधिकारी, उप-बन्दोबस्त अधिकारियों तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति

65. बन्दोबस्त अधिकारी, उप-बन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियाँ

66. राजस्व सर्वेक्षण की परिभाषा

67. प्रस्थापित राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना

68. सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना

69. व्यपवर्तित की गई या विशेष रूप से समनुदेशित की गई भूमि का पृथक् सीमांकन
70. सर्वेक्षण -संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित या उपविभाजित करने की शक्ति
71. अभिलेखों में सर्वेक्षण -संख्यांकों तथा उपखंडों की प्रविष्टि
72. ग्राम की आबादी का अवधारण
73. ग्रामों को विभाजित या संयोजित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्तित करने की बन्दोबस्त अधिकारी की शक्ति
74. ग्रामों के समूह बनाना
75. बन्दोबस्त की परिभाषा
76. प्रस्तावित बन्दोबस्त की अधिसूचना
77. निर्धारण दरों का नियत किया जाना
78. विलुप्त
79. उचित निर्धारण का नियत किया जाना
80. समस्त भूमियाँ निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी
81. निर्धारण के सिद्धान्त
82. बन्दोबस्त का आख्यापन
83. बन्दोबस्त का प्रारम्भ
84. अधिकारों को त्यागने वाले भूमि स्वामी को वृद्धि से माफी
85. बन्दोबस्त की अवधि
86. अधूरी कार्यवाहियों को पूरा करने की कलेक्टर की शक्ति
87. कृषि के लाभों तथा भूमि के मूल्य के सम्बनध में जाँच
88. नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य बन्दोबस्त अधिकारी को अन्तरित करने की शक्ति
89. गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति
90. बन्दोबस्त आदि की अवधि के दौरान कलेक्टर की शक्ति
91. बन्दोबस्त की अवधि के दौरान बन्दोबस्त अधिकारी को शक्ति प्रदान करने की शक्ति
91-क. नियम बनाने की शक्ति

अध्याय -8

नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण

92. इस अध्याय के उपबन्ध नगरीय क्षेत्रों में की भूमि को लागू होंगे
93. भूमियों को भू-खंड संख्यांकों में विभाजित करने की कलेक्टर की शक्तियाँ
94. भू-खंड संख्यांकों के पुनक्रमांकित करने का उपविभाजित करने की कलेक्टर की शक्तियाँ
95. भू-खंड संख्यांकों तथा उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण अभिलेखों में दर्ज किया जायगा
96. निर्धारण के लिये नगर का क्षेत्र खंडों में विरचित किया जायगा
97. विलुप्त

98. उचित निर्धारण

99. विलुप्त

100. पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना

101. बन्दोबस्त की अवधि

102. नियत किया गया निर्धारण भू-राजस्व या लगान होगा

103. पूर्व के बन्दोबस्त या पट्टों के अधीन नियत किया गया निर्धारण भू-राजस्व या लगान चालू होगा

अध्याय -9

भू-अभिलेख

104. पटवारी के हल्कों की विरचना तथा उनमें पटवारियों की नियुक्ति

105. राजस्व निरीक्षकों के हल्कों की विरचना

106. राजस्व निरीक्षकों आदि की नियुक्ति

107. खेत का नक्शा

108. अधिकार -अभिलेख

109. अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जायगी

110. क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामान्तरण

111. सिविल न्यायाधीशों की अधिकारिता

112. अन्तरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना

113. लेखन सम्बन्धी गलतियों का शुद्धिकरण

114. भू-अभिलेख

114-क. भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका

115. खसरा तथा किन्हीं अन्य भू-अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण

116. खसरा या किन्हीं अन्य भू-अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद

117. भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा

118. हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता

119. जानकारी देने में उपेक्षा करने के लिये शास्ति

120. नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा

121. भू-अभिलेखों के लिये नियम बनाने की शक्ति

122. इस अध्याय के उपबन्धों से छूट

123. संहिता के प्रारम्भ होने के समय अधिकार अभिलेख

अध्याय-10

सीमाएँ तथा सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण-चिन्ह

124. ग्रामों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के सीमा-चिन्हों का सन्निर्माण

125. ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों के बीच सीमाओं के बारे में विवाद

126. सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को बेदखली

127. सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण

128. सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने कि लिये बाध्य करना

129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड भ-खंड संख्याकांक की सीमांकन

130. सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों को विनष्ट करने, क्षति पहुँचाने या हटाने के लिये शास्ति

131. मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार सम्बन्धी अधिकार

132. मार्ग आदि पर बाधा उपस्थित करने के लिये शास्ति

133. बाधा का हटाया जाना

134. कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिये बन्धपत्र का निष्पादन

135. सड़क, पथ आदि के लिये भूमि का अर्जन

136. इस अध्याय के प्रवर्तन से मुक्त करने की शक्ति

अध्याय-11

भू-राजस्व की उगाही (वसूली)

137. भू-राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा

138. भू-राजस्व के भुगतान के लिये उत्तरदायित्व

139. भू-राजस्व, कब्जा रखने वाली किसी भी व्यक्ति से वसूल किया जायेगा

140. तारीख जिसको भू-राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा

141. "बकाया" तथा "बकायादार" की परिभाषाएँ

142. पटेल, पटवारी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत रसीद देने के लिये आबद्ध होंगे

143. भू-राजस्व के भुगतान में व्यतिक्रम पर शास्ति

144. फसलों के मारे जाने पर भू-राजस्व की माफी या उसका निलम्बन

145. प्रमाणित लेखा, बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा

146. मांग की सूचना

147. बकाया की वसूली के लिये आदेशिका

148. खर्चे-बकाया के भाग के रूप में वसूल किये जा सकेंगे

149. अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन

150. अभ्यापत्ति के साथ भुगतान तथा वसूली के लिये वाद

151. विक्रय-आगमों का उपयोजन

152. बकाया के लिये बेची गई भूमि विल्लंगमों से मुक्त होगी

153. क्रेता का हक

154. क्रेता, विक्रय से पूर्व शोध्य भू-राजस्व के लिये दायी नहीं होगा

154-क. उस खाते को जिसके सम्बन्ध में बकाया शोध्य हो या बकायादार किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियाँ

155. भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन

156. प्रतिभू से धनों की वसूली

अध्याय-12

भू-धारणाधिकारी

157. भू-धारणाधिकारी (भू-धृति) का वर्ग

158. भूमिस्वामी

159. भूमिस्वामियों द्वारा देय भू-राजस्व

160. भू-राजस्व का भुगतान करने के दायित्व से दी गई छूट का प्रतिसंहरण

161. बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान राजस्व में कमी

162. xxx

163. भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के लिये लम्बित आवेदन

164. न्यागमन

165. अन्तरण के अधिकार

166. कतिपय अन्तरणों के मामले में समपहरण

167. भूमि का विनिमय

168. पट्टे

169. अनधिकृत पट्टा आदि

170. धारा 165 के उल्लंघन में किये गये अन्तर का परिवर्जन

170-क. कतिपय अन्तरणों का अपास्त किया जाना

170-ख. आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अन्तरित की गई थी प्रतिवर्तन

170-ग. अनुज्ञा के बिना धारा 170-क या 170-ख के अधीन की कार्यवाहियों में अधिवक्ता का उपसंजात न होना

170-घ. द्वितीय अपील का वर्जन

171. सुधार करने का अधिकार

172. भूमि का व्यपवर्तन

173. त्यजन

174. त्यजन किये गये उपखंड का निपटारा
175. त्यजन की गई भूमि के लिये मार्ग का अधिकार
176. खाते का परित्याग
177. खातों का निपटारा
178. खाते का विभाजन
178-क. भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का बंटवारा
179. खाते में के वृक्षों पर अधिकार
180. वृक्षों के अन्तरण पर निर्बन्धन

अध्याय -13

सरकारी पट्टेदार तथा सेवा भूमि

181. सरकारी पट्टेदार
181-क. पट्टाधृति अधिकार का फ्री होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन
182. सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व
183. सेवा भूमि
184. सिरोंज क्षेत्र में की सेवा भूमि का उस दशा में निपटारा जबकि सेवाओं के आगे आवश्यकता न हो

अध्याय -14

मौरूसी (दखलकार) कृषक

185. मौरूसी कृषक
186. अधिकतम लगान
187. परिवर्तन
188. लगान
189. कतिपय मामलों में भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण
190. मौरूसी कृषकों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना
191. मौरूसी कृषक को भूमि वापस दिलाया जाना
192. मौरूसी कृषक अधिकारों का न्यागमन
193. कृषकाधिकार की समाप्ति
194. ऐसे मौरूसी कृषक को जिसका कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो लागू होने वाले उपबन्ध
195. मौरूसी कृषक के अन्तरण सम्बन्धी अधिकार
196. सुधार करने के मौरूसी कृषक के अधिकार
197. मौरूसी कृषकों द्वारा किये गये अन्तरणों को अपास्त कराने के लिये आवेदन करने का कतिपय व्यक्तियों का अधिकार
198. अभ्यर्पण
199. रसीद

200. रसीद न देने या अधिक वसूली के लिये शास्ति

201. भू-राजस्व की माफी तथा उसके निलम्बन के परिणाम स्वरूप लगान की माफी तथा उसका निलम्बन

202. दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किये गये मौरूसी कृषक का पुन:स्थापन

अध्याय-15

जलोढ़ तथा जल-प्लावन

203. जलोढ़ तथा जल-प्लावन

204. निर्धारण करने तथा विवादों को विनिश्चित करने की शक्ति

अध्याय-16

खातों की चकबन्दी

205. परिभाषाएँ

206. चकबन्दी की कार्यवाहियों का शुरू किया जाना

207. आवेदन का नामन्जूर किया जाना

208. आवेदन का ग्रहण किया जाना

209. खातों की चकबन्दी के लिये स्कीम तैयार किया जाना

210. स्कीम की पुष्टि

211. पुष्टि हो जाने पर प्रक्रिया

212. खातों के कब्जे के सम्बन्ध में भूमिस्वामियों के अधिकार

213. भूमि स्वामियों के उनके खातों में के अधिकारों का अन्तरण

214. अन्तरण प्रभावान्वित करने के लिये लिखत आवश्यक नहीं होगी

215. स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च

216. प्रतिकर तथा खर्चे की वसूली

217. विभाजन कार्यवाहियों का चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान निलंबन

218. कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति का अन्तरण

219. चकबन्दी के पश्चात् भूमिस्वामियों के अधिकार पूर्ववत बने रहेंगे

220. भूमिस्वामियों के विल्लंगम

221. नियम बनाने की शक्ति

अध्याय-17

ग्राम अधिकारी

222. पटेलों की नियुक्ति

223. पटेलों का पारिश्रमिक

224. पटेलों के कर्तव्य

225. किसी विधि के अधीन भू-धारकों पर अधिरोपित कर्तव्य पटेलों पर अधिरोपित कर्तव्य समझे जायेंगे

226. पटेलों को हटाया जाना

227. पटेलों को दण्ड

228. प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति

229. ग्राम प्रबन्ध का सौंपा जाना

230. कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य

231. कोटवारों का पारिश्रमिक

232. 'ग्राम सभा'

अध्याय-18

आबादी तथा दखल-रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार

233. दखल-रहित भूमि का अभिलेख

234. निरस्तार-पत्रक का तैयार किया जाना

235. विषय जिनका निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जायेगा

236. निस्तार-पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध

237. निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना

238. दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार

239. दखल-रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार

240. कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध

241. सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय

242. वाजिब उल अर्ज

243. आबादी

244. आबादी स्थलों का निबटारा

245. भू-राजस्व संहिता बिना, गृह स्थल धारण करने का अधिकार

246. आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार

247. खनिजों के सम्बन्ध में सरकार का हक

248. अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति

249. मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन

250. अनुचित रूप से बे-कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुन:स्थापन

250-क. धारा 250 के अधीन कब्जा वापस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिरोध

250-ख. भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा

251. तालाबों का राज्य शासन में निहित होना

252. लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण
253. उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दण्ड
254. ग्राम सभा के कर्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना

अध्याय-19

प्रकीर्ण

255. खेती तथा प्रबन्ध के मापदण्डों का विहित किया जाना
256. नक्शों तथा भू-अभिलेखों का, निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियाँ
257. राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता
257-क. कतिपय कार्यवाहियों में सबूत का भार तथा विधि-व्यवसायियों का वर्जन
258. नियम बनाने की साधारण शक्ति
259. कतिपय भूधृतियों के प्रति निर्देश
260. ऐसी विधियों के प्रति निर्देश जो किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त न हो
261. निरसन तथा व्यावृत्ति
262. अस्थायी उपबन्ध
263. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति
264. संहिता कतिपय मामलों में लागू नहीं होगी
- अनुसूची -1
- अनुसूची -2
- अनुसूची -3

मध्यप्रदेश

भू-राजस्व संहिता, 1959

[म.प्र. अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1959]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व अधिकारियों की शक्तियों, राज्य सरकार से भूमि धारण करने वालों के अधिकारों और दायित्वों, कृषिक भूधृतियों और भूमि से सम्बन्धित अन्य विषयों को तथा उनसे आनुषंगिक दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियमित हो ।

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ. – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता** है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है किन्तु इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू-राजस्व के निर्धारण, भू-राजस्व की उगाही से सम्बन्धित उपबन्धों को और उनसे आनुषंगिक समस्त उपबन्धों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन समय-समय पर, आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाये:

परन्तु इस संहिता के पूर्वोक्त उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में धारा 59 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजन के लिये, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होंगे ।

(3) यह संहिता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. परिभाषाएँ – (1) इस संहिता में, जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरूद्ध न हो, --

(क) **"आबादी"** से अभिप्रेत है – नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिये या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये समय-समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य स्थानिक पर्याय, जैसे "ग्राम स्थल" या "गाँव स्थान" का अर्थ भी तदनुसार लगाया जायेगा ;

(ख) **"कृषि"** के अन्तर्गत है –

(एक) वार्षिक या नियतकालिक फसलों का, जिसमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है, उगाया जाना;

(दो) उद्यान कृषि;

(तीन) फलोद्यान लगाना तथा उनका समारक्षण ;

(चार) चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिये भूमि का आरक्षित किया जाना; और

(पांच) नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा से पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, मछली पालन या पशु पालन के लिए भूमि का उपयोग करना ।

(ग) **“कृषि वर्ष”** से अभिप्रेत है 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें, प्रारम्भ होने वाला वर्ष;

(घ) **“बोर्ड”** (मण्डल) से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित राजस्व बोर्ड;

(ङ) **“वास्तविक कृषक”** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा;

(च) “**सहकारी सोसायटी**” से अभिप्रेत है सहकारी सोसायटियों से सम्बन्धित किसी विधि के, जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त है, अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसायटी;

(छ) **“सरकारी वन”** से अभिप्रेत है कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है;

(ज) **“सरकारी पट्टेदार”** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है;

(झ) **“खाता”** से अभिप्रेत है,

(एक) ऐसी भूमि-खण्ड जिस पर भू-राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक भूधृति के अधीन धारित है; और

(दो) कृषक द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में कोई ऐसा भूमि-खंड जो भूमि स्वामी से एक ही पट्टे के अधीन या एक ही संवर्ग की शर्तों के अधीन धारित है।

(ञ) **“सुधार”** से किसी खाते के संदर्भ में, अभिप्रेत है कोई ऐसा संकर्म जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, खाते के लिये उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिये खाता धारित है और जो यदि खाते पर निष्पादित न किया हो, तो या तो प्रत्यक्षत: उसके फायदे के लिये निष्पादित किया गया है या निष्पादित किया जाने के पश्चात् उसके लिये प्रत्यक्षत: फायदाप्रद बना दिया गया है; और पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उसके अन्तर्गत है –

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिये जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिये तालाबों, कुओं, जल सरणियों, बाँधों तथा अन्य संकर्मों का सन्निर्माण;

(दो) भूमि के जल-निकास के लिये या बाढ़ों से या जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षम के लिये संकर्मों का सन्निर्माण;

(तीन) वृक्षारोपण और भूमि का कृष्यकरण, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसे समतल करना या उसकी सीढ़ी बन्दी करना;

(चार) आबादी या नगरीय क्षेत्र में न होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके सामीप्य में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिगम के लिये अपेक्षित हों; और

(पाँच) पूर्वगामी संकर्मों में से किसी भी संकर्म का नवीकरण या पुनर्सन्निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन ।

किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है –

(क) अस्थायी कुएँ और ऐसी जलसरणियाँ , बाँध समतलन घेरे या अन्य संकर्म या ऐसे संकर्मों में छोटे-मोटे परिवर्तन या उनकी मरम्मत जो कि उस स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यत: की जाती है; या

(ख) कोई ऐसा संकर्म, जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत में या मौरूसी कृषक की हैसियत में अधिभोग रखता है ।

स्पष्टीकरण – किसी ऐसे संकर्म को, जिससे, विभिन्न खातों को फायदा पहुँचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार समझा जा सकेगा ।

(ट) **"भूमि"** से अभिप्रेत है धरती की सतह का कोई भाग चाहे वह जल के नीचे हो या न हो; और जहाँ भी इस संहिता के प्रति निर्देश किया गया है, वहाँ उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत वे समस्त चीजें हैं, जो ऐसे भूमि से बद्ध हैं, या ऐसी भूमि के बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं;

(ठ) **"भूमिहीन व्यक्ति"** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है या इतनी भूमि धारण है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि इस संबंध में विहित किया जाये;

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति का कुटुम्ब उसकी पत्नी या पति, सन्तति तथा माता-पिता से मिलकर बना है ।

(ड) **"भूमि अभिलेख"** से अभिप्रेत है इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रखे गये अभिलेख ;

(ढ) **"विधि व्यवसायी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी अधिनियम , 1879 (1879 का सं. 18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मध्यप्रदेश के न्यायालयों में किसी भी न्यायालय में से विधि-व्यवसाय करने का हकदार है;

(ण) **"आम्रकुंज"** से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं, या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो उपयोग में लाया जाना रूक जाता है या उन

आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रूक जायेगा;

(णक) **"बाजार मूल्य"** से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;

(त) **"फलोद्यान"** से अभिप्रेत है फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं, या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यत: किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रूक जाता है या उन फलों के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह सम्भाव्य है कि उससे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रूक जायेगा;

(थ) **"भू-खंड संख्यांक"** से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र में की भूमि का वह प्रभाग जो धारा 93 के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विरचित किया गया है या उस रूप में मान्य किया गया है और जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय-भू-राजस्व की प्रविष्टि विहित अभिलेखों में सूचक संख्यांक के अधीन पृथक-पृथक की गई है तथा उसके अन्तर्गत भूमि का कोई ऐसा प्रभाग भी है जिसकी प्रविष्टि पूर्व के अभिलेखों में खसरा या सर्वेक्षण नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है;

(द) **"मान्यता प्राप्त अभिकर्ता"** से, इस संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है –

(एक) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने, ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिये, मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया है; और

(दो) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने, ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात (हाजिर) होने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया है;

(ध) **"क्षेत्र"** से अभिप्रेत है यथास्थिति महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र और सिरोंज क्षेत्र, या इनमें से कोई भी क्षेत्र;

(न) **"लगान"** से अभिप्रेत है वह कुछ भी जो –

(एक) धारा 188 के उपबंधों के अनुसार मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या पट्टेदार द्वारा अपने भूमिस्वामी को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के मद्दे; या

(दो) सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को, उस भूमि के, जो कि सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दी गई है, उपयोग या अधिभोग के मद्दे, धन या वस्तु के रूप में संदत्त किया जाता है या देय है;

(प) **"राजस्व अधिकारी"** इस संहिता के किसी उपबंध में "राजस्व अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के अधीन के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निदेश दे;

(फ) **"राजस्व वर्ष"** से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारम्भ होता है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करें;

(ब) **"सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड"** से अभिप्रेत है सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय – भू-राजस्व की प्रविष्टि भू-अभिलेखों में उन सर्वेक्षण संख्यांकों के, जिनका कि वह प्रभाग है, सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक्-पृथक् की गई है;

(भ) **"सर्वेक्षण संख्यांक"** से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र में की भूमि का ऐसा प्रभाग जो ठीक पहले के राजस्व-सर्वेक्षण के समय सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किया गया है या उस रूप में मान्य किया गया है अथवा कलेक्टर द्वारा उसके पश्चात् उस रूप में मान्य किया गया है और जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय भू-राजस्व की प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, सूचक संख्यांक के अधीन पृथक्-पृथक् की गई है; और उसके अंतर्गत भूमि का कोई भी ऐसा प्रभाग है जिसकी प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है;

(म) **"कृषक"** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो अध्याय 14 के अधीन भूमिस्वामी से मौरूसी कृषक के रूप में भूमि धारण करता है;

(य) **"भू-धारी"** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन भूमिस्वामी है या भूमिस्वामी समझा जाता है ;

(य-1) **"इमारती लकड़ी के वृक्ष"** से अभिप्रेत है निम्नलिखित जाति के वृक्ष, अर्थात् –

(एक) टेक्टोना ग्रेन्डिस (सागवान),

(दो) टेकोकारपस मारसुपियम (बीजा),

(तीन) डलबेरिया लेटीफोलिया (शीशम),

(चार) शोरिया रोबस्टा (साल),

(पाँच) तिनसा,

(छ:) टर्मोनेलिया टोमन्टोसा (एन या साज),

(सात) सन्टालम अलबम (चन्दन);

[(आठ) एडाइना कॉर्डिफोलिया (हल्दू),

(नौ) मित्रागाइना पारविफ्लोरा (मुण्डी),

(दस) टर्मिनेलिया अर्जुना (अर्जुन),

(ग्यारह) डायोस्पाइरस मेलनोक्जाइलान (तेन्दू),

(बारह) मेलाइना आरबोरिया (खम्हार)]

(य-2) **"स्वयं खेती करना"** से अभिप्रेत है –

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा, या

(दो) अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के श्रम द्वारा, या

(तीन) ऐसी मजदूरी पर, जो नगदी या वस्तु के रूप में देय है किन्तु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है, रखे गये सेवकों द्वारा, या

(चार) अपने वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण (Personal supervision) के अधीन – भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिये खेती करना;

(य-3) **"दखलरहित भूमि"** से अभिप्रेत है किसी ग्राम में की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवाभूमि से, या किसी भूमिस्वामी, कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है;

(य-4) **"नगरीय क्षेत्र"** से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो नगरपालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम की या किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की, जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है, और अभिव्यक्ति "नगरेतर क्षेत्र" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा ।

(य-5) **"ग्राम"** से अभिप्रेत है कोई भू-भाग जिसे इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी ऐसी विधि के, जो तत्समय प्रवृत्त है, उपबन्धों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था, तथा कोई ऐसा अन्य भू-भाग जिसे किसी राजस्व सर्वेक्षण में एतद्पश्चात् ग्राम के रूप में मान्य किया जाय या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करें ।

(2) इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के प्रति इस संहिता में किये गये किसी भी निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो कि वह धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख के प्रति निर्देश है।

अध्याय – 2

राजस्व मण्डल (बोर्ड)

3. राजस्व मण्डल का गठन – (1) मध्यप्रदेश के लिये एक राजस्व मण्डल होगा जो अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक इतने अन्य सदस्यों से, जितने कि राज्य सरकार, समय-समय पर, नियुक्त करना ठीक समझे, मिल कर करेगा ।

(2) इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये गठित तथा कार्यरत राजस्व मण्डल को, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् विद्यमान – मण्डल कहा गया है, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से इस धारा के अधीन गठित मध्यप्रदेश के लिये राजस्व मण्डल समझा जायेगा ।

(3) विद्यमान मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे ।

4. राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान – (1) मण्डल का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करें ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक कर सकेंगे जिन्हें मण्डल का अध्यक्ष, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नियत करे ।

5. मण्डल के सदस्यों की सेवा शर्तें – (1) जब कोई सदस्य, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा; अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को, तत्समय के लिये मण्डल का सदस्य नियुक्त कर सकेगी ।

(2) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगे जैसी कि विहित की जायें और विद्यमान मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकथित किये गये निबन्धन तथा शर्तें तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि वे इस धारा के अधीन उपान्तरित या अतिष्ठित न कर दी जाएँ ।

(3) कोई व्यक्ति मण्डल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये जब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह –

(क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं है; या

(ख) राजस्व अधिकारी न रह चुका हो, और कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी का पद कम से कम पाँच वर्ष तक धारण न कर चुका हो ।

6. **वेतन तथा भत्ते** – मण्डल के सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्तों का संदाय किया जायेगा जैसे कि राज्य सरकार अवधारित करे और वे वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि पर पारित होंगे।

7. **मण्डल की अधिकारिता** - (1) मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस

संहिता के अधीन उसे प्रदत्त किये गये हैं और वह राज्य सरकार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जिन्हें राज्य सरकार, अधिकार, अधिसूचना द्वारा, उस संबंध में विनिर्दिष्ट करे तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनिमय द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त किये गये हों या प्रदत्त किये जायें।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि वह अधिरोपित करना ठीक समझे, मण्डल को या मण्डल के किसी सदस्य को अधिसूचना, द्वारा ऐसी अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी या ऐसे अतिरिक्त कृत्य सौंप सकेगी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित हैं।

8. **मण्डल की अधीक्षण सम्बन्धी शक्तियाँ** – मण्डल को समस्त मामलों के सम्बन्ध में, जो उसकी अपील या पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकारिता के अध्यधीन हैं, समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहाँ तक कि ऐसे प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हैं और वह उनसे विवरणियाँ माँग सकेगा।

9. **एक सदस्यीय तथा बहुसदस्यीय न्यायपीठों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग** – मण्डल, अपने एक या एक से अधिक सदस्यों से गठित न्यायापीठों द्वारा मण्डल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग किये जाने हेतु नियम बना सकेगा, और ऐसे न्यायपीठों द्वारा ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए दिये गये समस्त विनिश्चय मण्डल के विनिश्चय समझे जायेंगे।

10. **संहिता के प्रारम्भ होने के समय विचाराधीन मामले** – इस संहिता के प्रवृत्त होने के तुरन्त पूर्व विद्यमान मण्डल के समक्ष विचाराधीन समस्त अपीलें, पुनरीक्षण के समस्त आवेदन-पत्र तथा अन्य समस्त कार्यवाहियाँ मण्डल द्वारा सुनी तथा विनिश्चित की जायेंगी।

(2) (क) ऐसे सभी मामले जो ---

(एक) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश चाहे वह बन्दोबस्त चालू रहने की अवधि में बन्दोबस्त अधिकारी की हैसियत से पारित हों, के विरूद्ध प्रथम अपील जो बोर्ड के समक्ष सुने व विनिश्चय किये जाने हेतु लंबित हो;

(दो) कलेक्टर अथवा उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील जो बोर्ड के समक्ष सुने व विनिश्चय किये जाने हेतु लंबित हो;

(तीन) उप खण्ड अधिकारी के पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील जो कलेक्टर के समक्ष सुने व विनिश्चय किये जाने हेतु लंबित हो;

आयुक्त को अन्तरित माने जाएंगे।

(ख) ऐसे समस्त पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन एवं अन्य कार्यवाहियां जो 23 नवम्बर, 2002 के पश्चात् आयुक्त कार्यालय से बोर्ड को अन्तरित हो गये थे और बोर्ड के समक्ष लंबित हैं, अब आयुक्त को अन्तरित माने जाएंगे व सुने व विनिश्चय किये जाएंगे;

(ग) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर 23 नवम्बर, 2002 के पश्चात् राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत व विनिश्चय हेतु लंबित पुनरीक्षण प्रकरण के संबंध में संबंधित पक्षकार द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन दिये जाने पर ऐसे प्रकरण बोर्ड द्वारा आयुक्त को हस्तांतरित कर दिये जाएंगें ।

अध्याय – 3

राजस्व पदाधिकारी, उनके वर्ग तथा शक्तियाँ

11. राजस्व पदाधिकारी – राजस्व पदाधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे अर्थात् –

आयुक्त (जिनमें अपर आयुक्त सम्मिलित है),

बन्दोबस्त आयुक्त (जिनमें अपर बन्दोबस्त आयुक्त सम्मिलित है),

कलेक्टर (जिनमें अपर कलेक्टर सम्मिलित है),

बन्दोबस्त पदाधिकारी ;

उपखण्ड पदाधिकारी ;

असिस्टेंट कलेक्टर,

संयुक्त कलेक्टर (जिनके अन्तर्गत डिप्टी कलेक्टर भी है),

उप-बन्दोबस्त अधिकारी,

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी,

तहसीलदार (जिनमें अपर तहसीलदार सम्मिलित है),

भू-अभिलेख अधीक्षक,

नायब तहसीलदार,

सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक ।

12. राजस्व पदाधिकारियों पर नियंत्रण – (1) समस्त राजस्व पदाधिकारी राज्य के अधीनस्थ होंगे ।

(2) खण्ड के समस्त राजस्व पदाधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे ।

(3) जब तक राज्य शासन अन्यथा निर्देशित न करें, जिले के समस्त राजस्व पदाधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे ।

13. संभागों जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, उनकी रचना करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति – (1) राज्य शासन संभागों की रचना कर सकेगा जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसे खंडों को समाप्त कर सकेगा या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा ।

(2) राज्य शासन किसी भी जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा और नवीन जिलों या तहसीलों की रचना कर सकेगा या विद्यमान जिलों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगा और किसी

भी जिले को उपखण्डों में विभाजित कर सकेगा, तथा किसी भी उपखंड की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा या उसे समाप्त कर सकेगा :

परन्तु राज्य शासन, किसी भी खंड या जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सम्भागों जिलों या तहसीलों की रचना करने या विद्यमान संभागों जिलों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई भी आदेश देने के पूर्व, ऐसे प्रस्ताव को, आपत्तियाँ आमन्त्रित करने के लिये विहिप फार्म में प्रकाशित करेगा और ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य शासन के आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक तहसील, जिले का एक उपखंड मानी जायेगी ।

14. संभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति – (1) राज्य शासन प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगा, जो उसमें इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लायेगा तथा उस पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(2) राज्य शासन ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे अधिसूचना द्वारा आयुक्त को कोई भी ऐसी शक्तियाँ या कार्य सौंप सकेगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य शासन को सौंपे गये हों ।

15. अपर आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति – (1) राज्य शासन किसी एक संभाग या दो अथवा दो से अधिक संभागों में एक अपर आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) अपर आयुक्त ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में, जिन्हें राज्य शासन सामान्य आदेश द्वारा अधिसूचित करे या जिन्हें संभागों का आयुक्त राज्य शासन द्वारा अधिरोपित सामान्य या विशेष निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे, ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लायेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदान की गई हों तथा उस पर अधिरोपित किये गये हों ।

(3) यह संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमित और इस संहिता या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाया गया कोई भी नियम उस दशा के अतिरिक्त जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो, अपर आयुक्त को, जबकि वह उपधारा (2) के अधीन किन्हीं भी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उसी प्रकार लागू होगा मानों वह संभाग का आयुक्त हो ।

16. कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति – राज्य शासन, प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगा, जो उसमें ऐसी शक्त्यिों को प्रयोग में लायेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदान की गई हों, या उस पर आरोपित किये गये हों ।

17. अपर कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति – (1) राज्य शासन जिले में एक या एक से अधिक अपर कलेक्टर को नियुक्त कर सकेगा ।

(2) अपर कलेक्टर ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में, जिन्हें राज्य शासन सामान्य आदेश द्वारा अधिसूचित करे या जिन्हें कलेक्टर राज्य शासन द्वारा आरोपित सामान्य या विशेष निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लायेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदान की गई हो तथा उस पर आरोपित किये गये हों ।

(3) यह संहिता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अधिनियमिति और इस संहिता या किसी भी ऐसे अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाया गया कोई भी नियम उस दशा के अतिरिक्त जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्देशित किया गया हो, अपर कलेक्टर से जबकि वह उपधारा (2) के अधीन किन्हीं भी शक्तियों को प्रयोग में ला रहा हो या किन्हीं भी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह जिले का कलेक्टर हो ।

18. सहायक कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों तथा डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति और शक्तियाँ – राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये उतने व्यक्तियों को जितने यह ठीक समझे –

(एक) सहायक कलेक्टर्स प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी ।

(दो) संयुक्त कलेक्टर्स तथा

(तीन) डिप्टी कलेक्टर्स,

नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।

19. तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति – (1) राज्य शासन, प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार और एक या एक से अधिक नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लायेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन उन्हें प्रदान की गई हो या उन पर अधिरोपित किये गये हों ।

(2) राज्य शासन किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा । अपर तहसीलदार ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लायेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदान की गई हों या उस पर अधिरोपित किये गये हों, जैसा कि जिले का कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करें ।

20. भू-अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति – (1) राज्य शासन, प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने कि वह उचित समझे, भू-अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक नियुक्त कर सकेगा ।

(2) भू-अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक उन शक्तियों को प्रयोग में लायेंगे तथा उन कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदान की गई हो तथा उन पर अधिरोपित कियें गये हों ।

21. अन्य पदाधिकारी – (1) राज्य शासन ऐसे पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा तथा उनमें ऐसी शक्तियाँ विनिहित कर सकेगा जो इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

(2) ऐसे पदाधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे और ऐसे प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे जिन्हें राज्य सरकार निर्देशित करे ।

22. उपखंड अधिकारी – (1) कलेक्टर एक या अधिक सहायक कलेक्टरों या संयुक्त कलेक्टरों या डिप्टी कलेक्टरों को जिले के किसी एक उपखंड या जिले के दो या अधिक उपखंडों का भारसाधक बना सकेगा ।

(2) ऐसा सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर उपखंड अधिकारी कहलायेगा और कलेक्टर की ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लायेगा जैसा कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे ।

23. राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता – जब तक कि कलेक्टर अन्यथा निदेशित न करें, उपखंड में प्रत्येक राजस्व पदाधिकारी उपखंडीय पदाधिकारी के अधीनस्थ होगा और तहसील में नायब तहसीलदार , तहसीलदार के अधीनस्थ होगा ।

24. राज्य शासन द्वारा राजस्व पदाधिकारियों की शक्तियों का पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाना – (1) राज्य शासन इस संहिता द्वारा या इसके अधीन किसी राजस्व पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा ।

(2) राज्य शासन, इस संहिता द्वारा उच्चतम श्रेणी के राजस्व पदाधिकारी को दी गई शक्तियाँ किसी असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को प्रदान कर सकेगा ।

25. स्थानान्तर होने पर प्रयोगनीय शक्तियाँ – यदि कोई राजस्व पदाधिकारी जिसमें किसी तहसील या जिले में इस संहिता के अधीन कोई भी शक्तियाँ विनिहित की गई हों, किसी अन्य तहसील या जिले में उसी प्रकार के किसी समान या उच्चतर पद पर स्थानान्तरित किया जाय तो वह जब तक कि राज्य शासन अन्यथा निर्देश न दे ऐसी अन्य तहसील या जिले में इस संहिता के अधीन उन्हीं शक्तियों को प्रयोग में लायेगा ।

26. अस्थायी रिक्ति की दशा में कलेक्टर – यदि कलेक्टर की मृत्यु हो जाय या वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाय, तो वह पदाधिकारी जिसे कलेक्टर के चालू कर्त्तव्यों का कार्यभार अस्थायी रूप से सौंपा गया हो इस संहिता के अधीन कलेक्टर माना जायेगा, जब तक कि राज्य शासन इस प्रकार मृत या असमर्थ हुए कलेक्टर का उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दे और ऐसा उत्तराधिकारी अपनी नियुक्ति का कार्यभार न संभाल ले ।

अध्याय – 4

राजस्व पदाधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया

27. जाँच करने के लिये स्थान – उन कारणों के सिवाय जो लेखबद्ध किये जायेंगे, कोई भी राजस्व अधिकारी किसी मामले की जाँच या सुनवाई अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर नहीं करेगा :

परन्तु उपखंड अधिकारी किसी मामले की जाँच या सुनवाई उस जिले के, जिनमें कि उसे नियुक्त किया गया है, भीतर किसी स्थान पर कर सकेगा ।

28. भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण (परिमाप) करने की शक्ति – समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, भू-मापक तथा पटवारी और उनके सेवक तथा कर्मकार जबकि वे उनके पर्यवेक्षण एंव नियंत्रण के अधीन हों, उस स्थिति में जबकि उन्हें ऐसा निर्देश दिया जाय भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे तथा उसका सर्वेक्षण कर सकेंगे और सीमांकन कर सकेंगे एवं इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य कर सकेंगे और ऐसा करने में उस नुकसान से अधिक नुकसान पारित नहीं करेंगे जो कि उनके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के निमित्त आवश्यक हो :

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास गृह में संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अधिभोगी की सम्मति के बिना तथा ऐसे अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं करेगा और ऐसे प्रवेश के समय अधिभोगी की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जायगा ।

29. मामलों को अन्तरित करने की शक्ति – (1) जब कभी मण्डल (बोर्ड) को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है तो वह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या किसी अन्य जिले के अधीन या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अन्तरित कर दिया जाये ।

(2) आयुक्त इस संबंध में उसको किये गये आवेदन पर, यदि उसकी यह राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह समीचीन है, यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अन्तरित कर दिया जाय।

30. अधीनस्थों को तथा उनके पास के मामले अन्तरित करने की शक्ति – (1) कलेक्टर या उपखंड अधिकारी, इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को, जो कि ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिये सक्षम है, विनिश्चय के लिये सौंप सकेगा या किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों केा किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें निपटारे के लिये अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विनिश्चय करने के लिये सक्षम है, निर्देशित कर सकेगा ।

(2) आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार, इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जाँच तथा रिपोर्ट के लिये सौंप सकेगा ।

31. मण्डल तथा राजस्व अधिकारियों की न्यायालयों की प्रास्थिति का प्रदान किया जाना – मण्डल या राजस्व अधिकारी जब कि वह राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिये उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न की जाँच करने या उसे विनिश्चित करने के लिये इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा हो राजस्व न्यायालय होगा ।

32. राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति – इस संहिता की किसी भी बात के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे आदेश जो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग के निवारण के लिये आवश्यक हैं, देने की राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित करती है या उसे अन्यथा प्रभावित करती है ।

33. व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेजों पेश किये जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबन्धों तथा धारा 41 के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भूत होने वाली किसी जाँच या मामले के प्रयोजनों के लिये साक्ष्य ले, किसी ऐसे व्यक्ति को समन करें जिसकी कि हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने के लिये या साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिये या कोई दस्तावेज पेश करने के लिये वह आवश्यक समझे ।

(2) किसी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिये तब तक आदिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति –

(क) उस दशा में जब कि राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाला राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार है । तहसील के सीमाओं के भीतर और उस दशा में जबकि राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाला कोई अन्य राजस्व अधिकारी है, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है; या

(ख) ऐसी सीमाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान में निवास नहीं करता है जिसके तथा उस स्थान के, जहाँ कि हाजिर होने के लिये उसे समन किया गया है, बीच की दूरी पचास मील से कम है या उस दशा में दो सौ मील से कम है जब कि उस स्थान के, जहाँ से कि वह निवास करता है तथा उस स्थान के, जहाँ कि हाजिर होने के लिये उसे समन किया गया है बीच की दूरी के पाँच बटे छ: भाग के लिये रेल संचार या अन्य सुस्थापित लोक प्रवहण की व्यवस्था है ।

(3) कोई भी ऐसा राजस्व अधिकारी उपस्थित किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह साक्ष्य दे अथवा अपने कब्जे या अधिकार में होने वाली किसी दस्तावेज को तत्काल यहीं पेश करें।

(4) प्रत्येक ऐसे राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जिसे न्यायालय में हाजिर होने से छूट मिली हुई है या जिसे स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जा सकता है, या जो रूग्णता या अंग-शैथिल्य के कारण हाजिर होने में असमर्थ है, परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी करें ।

34. साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करना – यदि कोई व्यक्ति, जिस पर साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिये या कोई दस्तावेज पेश करने के लिये समन तामील किया गया है, समन का अनुपालन करने में चूक करेगा तो वह अधिकारी , जिसके द्वारा धारा 33 के अधीन समन जारी किया गया है –

(क) गिरफ्तारी का जमानतीय वारण्ट जारी कर सकेगा ;

(ख) उस व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजाति के लिये प्रतिभूति दे; या

(ग) उस व्यक्ति पर [एक हजार] रूपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

35. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई – (1) यदि राजस्व अधिकारी किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को यह पाये कि किसी पक्षकार पर समन या सूचना की तामील इसलिए नहीं हुई थी कि विरोधी पक्षकार ने ऐसी तामील के लिये अपेक्षित आदेशिका फीस का भुगतान नहीं किया था, तो उस मामले या कार्यवाही को ऐसी आदेशिका फीस का भुगतान न किया जाने के कारण खारिज किया जा सकेगा ।

(2) यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष के मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार ; उस पर सूचना या समन की सम्यक तामील हो जाने के पश्चात् उस तारीख को, जो सुनवाई के लिये नियत की गई है, उपसंजात नहीं होता है तो वह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में सुना तथा अवधारित किया जा सकेगा या अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा सकेगा ।

(3) वह पक्षकार , जिसके विरूद्ध उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से या उस दशा में जबकि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गयी हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त करने के लिये [अपने शपथ-पत्र के साथ आवेदन] इस आधार पर कर सकेगा कि वह विरोधी पक्षकार का समन या सूचना की तामील के लिये अपेक्षित आदेशिका फीस का भुगतान करने से या सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी , उस विरोधी पक्षकार को जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे , पारित किये गये आदेश को अपास्त कर सकेगा ।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय या उस दशा में के सिवाय जब किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी मामले या कार्यवाही का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया गया है, इस धारा के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के विरूद्ध, कोई अपील नहीं होगी।

36. सुनवाई का स्थगन – (1) राजस्व पदाधिकारी समय – समय पर ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे और खर्च विषयक निर्बन्धनों पर अपने समक्ष किसी मामले का कार्यवाही की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :

परन्तु प्रत्येक पक्षकार को, प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान तीन से अनधिक स्थगन दिए जा सकेंगे और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जाएगा ।

(2) मामले की कार्यवाही की स्थगित, सुनवाई का दिनांक तथा स्थान स्थगन के समय ऐसे पक्षकारों और साक्षियों को जो उपस्थित हों, प्रज्ञापित कर दिया जावेगा ।

37. व्यय दिलाने की शक्ति – राजस्व पदाधिकारी इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन चलने वाले किसी भी मामले या कार्यवाही में हुए व्ययों की ऐसी रीति से तथा ऐसे परिणाम में जो वह उचित समझे, दिला सकेगा :

परन्तु विधि – व्यवसायी की फीस ऐसे किसी मामले या कार्यवाही में जब तक कि ऐसा पदाधिकारी उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे अन्यथा न सोचे, व्यय के रूप में नहीं दिलायी जायेगी ।

38. स्थावर सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने विषयक आदेश को निष्पादित करने की रीति – जहाँ स्थावर सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का आदेश किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस संहिता के अधीन पारित किया गया हो, वहाँ ऐसा आदेश निम्नलिखित रीति में निष्पादित किया जायेगा, अर्थात् –

(क) कब्जाधारी व्यक्ति या व्यक्तियों पर ऐसी सूचना तामील करके जिसमें उनसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर, जो युक्तियुक्त प्रतीत हो, भूमि को खाली कर दें; और

(ख) यदि ऐसी सूचना का पालन नहीं किया जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस भूमि को खाली करने से इंकार करता है, हटाकर या उसे हटाने के लिये किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्ति करके; और

(ग) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने वाले अधिकारी का किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुँचाई जाती है तो राजस्व अधिकारी मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जाँच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रतिरोध या बाधा अब भी चालू है तो वह ऐसे प्रतिरोध या ऐसी बाधा के लिये दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों पर, जिनके लिये वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा

सकेगा या ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो कि ऐसे अधिकारी की राय में उस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो ।

39. वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपसंजाति (हाजिरी) की जा सकेगी और आवेदन किये जा सकेंगे – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष समस्त उपसंजातियाँ , (उपस्थितियाँ) उसको किये जाने वाले समस्त आवेदन तथा उसके समक्ष किये जाने वाले समस्त कार्य पक्षकारों द्वारा स्वयं या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा किसी विधि व्यवसायी द्वारा किये जा सकेंगे :

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबन्धों में अध्यधीन रहते हुए, कोई भी ऐसी उपसंजाति यदि राजस्व अधिकारी ऐसा निर्देश दे, पक्षकार को स्वयं करनी होगी:

परन्तु यह और भी धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) की मद (दो) के अन्तर्गत आने वाले मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा केवल उपसंजाति (उपस्थिति) ही की जा सकेगी ।

40. अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव – अनुसूची 1 में के नियम, जब तक कि वे इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार बातिल या परिवर्तित न कर दिये जायें, इस प्रकार प्रभावशील होंगे मानों कि वे इस संहिता के कलेवर में अधिनियमित किये गये हैं ।

41. मण्डल को नियम बनाने की शक्ति – (1) मण्डल समय-समय पर, अपनी पद्धति और प्रक्रिया को तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करते हुए, इस संहिता के उपबन्धों से संगत नियम बना सकेगा और ऐसे नियमों द्वारा अनुसूची 1 में से समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम को बातिल कर सकेगा, परिवर्तित कर सकेगा या उसमें परिवर्धन कर सकेगा ।

(2) विशिष्टतया तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् : –

(क) साधारणत : या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन तथा साक्षियों के लिये व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं का इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने वाली उपसंजातियों , किये जाने वाले आवेदनों तथा किये जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन ;

(घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर (Movable and immovable) सम्पत्तियों की कुर्की करने में किया जायेगा;

(ड़) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिये प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त (ancillary) समस्त आनुषंगिक विषय;

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम सम्पत्ति का, जबकि वह कुर्की के अधीन हो अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिये देय फीस, ऐसे पशुधन तथा सम्पत्ति का विक्रय, और ऐसे विक्रय के आगम;

(छ) अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन (Consolidation);

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियाँ तथा लेखे जो राजस्व न्यायालयों के कामकाज के सम्पादन के लिये आवश्यक या वांछनीय हों;

(झ) वह समय जिसके भीतर किसी अभिव्यक्ति उपबन्ध् के अभाव में अपीलें फाइल की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिये आवेदन फाइल किये जा सकेंगे;

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों के तथा उनके आनुषंगिक (Incidental) खर्चे;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा और ऐसी परीक्षा से आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;

(ठ) अर्जी लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन ।

(3) ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे, और उनके इस प्रकार बनाये जाने तथा अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, वे राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जो कि विनिर्दिष्ट की जाये, उनका वही बल और प्रभाव होगा मानों कि वे अनुसूची 1 में अन्तर्विष्ट थे।

42. राजस्व पदाधिकारी के आदेश, भूल अथवा अनियमितता के कारण कब उल्टे जा सकेंगे – राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश, सम्मन, सूचना, उद्घोषणा, अधिपत्र वारण्ट या आदेश में या जाँच के पूर्व या उसके दौरान में अन्य कार्यवाहियों में अथवा इस संहिता के अधीन अन्य कार्यवाहियों में किसी भी भूल, अकृत या अनियमितता के कारण अपील या पुनरीक्षण में तब तक उलटा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी भूल, अकृत या अनियमितता के कारण तथ्यत: अन्याय न हुआ हो ।

व्याख्या – यह अवधारित करते समय कि इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी भूल, कृत या अनियमितता के कारण अन्याय हुआ है या नहीं इस तथ्य का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यवाहियों की किसी पूर्ववर्ती स्थिति में आपत्ति उठाई जा सकती थी तथा उठाई जानी चाहिए थी ।

43. इस संहिता में स्पष्ट उपबन्ध न होने की दशा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का लागू होना – जब तक इस संहिता में स्पष्टत: अन्यथा उपबन्धित न हो तब तक इस संहिता के अधीन समस्त कार्यवाहियों में यथा सम्भव कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908; व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ।

अध्याय – 5

अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

44. अपील तथा अपीलीय अधिकारी – (1) जहाँ अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी –

(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी में कलेक्टर की शक्तियाँ विनिहित की गई हों उपखण्डीय पदाधिकारियों को;

(ख) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे उसमें कलेक्टर की शक्तियाँ विनिहित की गयी हों या नहीं, कलेक्टर को;

(ग) यदि ऐसा आदेश बन्दोबस्त पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, बन्दोबस्त पदाधिकारियों को;

(घ) यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो जिसके सम्बन्ध में धारा 12 की उपधारा (3) अथवा धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन निर्देश दिया गया हो, ऐसे राजस्व पदाधिकारी को, जिसे राज्य शासन निदेशित करे;

(ड़) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा दिया गया हो, चाहे वह बन्दोबस्त के चालू रहने की अवधि में कलेक्टर की शक्तियों को या पदाधिकारी की शक्तियों को प्रयोग में ला रहा हो या नहीं आयुक्त को;

(च) यदि ऐसा आदेश बन्दोबस्त प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे वह किसी भी बन्दोबस्त कार्य के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारी की शक्तियों को या कलेक्टर की शक्तियों को प्रयोग में ला रहा हो या नहीं जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, बन्दोबस्त आयुक्त को;

(छ) यदि ऐसा आदेश आयुक्त अथवा बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा दिया गया हो मण्डल को ।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस कोड या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन-प्रथम अपील में –

(एक) उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी;

(दो) बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील बन्दोबस्त आयुक्त को होगी;

(तीन) आयुक्त द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील मण्डल को –

(क) उस दशा में होगी जबकि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्चे के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में परिवर्तित किया गया हेा उलट दिया गया हो; या

(ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थात् –

(एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश द्वारा विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा सम्बन्धी किसी सारवान् विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका है; या

(तीन) यह कि इस कोड द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान् गलती या त्रुटि हुई है जिसके कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो ।

(3) पुनर्विलोकन में किसी भी आदेश को परिवर्तित करने वाला या उलटने वाला आदेश, मूल आदेश की भाँति ही अपील योग होगा।

45. कतिपय लम्बित कार्यवाहियों का बन्दोबस्त आयुक्त को अन्तरण – ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ, जो मध्य भारत क्षेत्र से उद्‌भूत हुई हों तथा इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में भू-अभिलेख संचालक के समक्ष लम्बित हों, बन्दोबस्त आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा उसी प्रकार सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी मानों कि वह उसके द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अधीन ग्रहण की गई हो ।

46. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी – किसी भी ऐसे आदेश की –

(क) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है; या

(ख) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है; या

(ग) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक (स्टे) के लिये हो, मन्जूर या नामंजूर किया गया है; या

(घ) जो अन्तरिम स्वरूप का है; या

(ड़) जो धारा 104 की उपधारा (2) या धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन की नियुक्ति से सम्बन्धित है, इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

47. अपीलों की परिसीमा (Limitation of appeals) –

(क) उस आदेश की तारीख से जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की जाये, तीस दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर को या बन्दोबस्त अधिकारी या बन्दोबस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी; या

(ख) ऐसी तारीख से पैंतालीस दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी; या

(ग) ऐसी तारीख से साठ दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् मण्डल को कोई अपील नहीं होगी:

परन्तु वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहाँ ऐसे मामले में अपील उक्त अधिनियम के पूर्व की संहिता में उपबंधित समय-सीमा के भीतर ग्रहण की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरूद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया है, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहाँ इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से की जायेगी ।

48. याचिका (अर्जी) के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की गई है – अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये प्रत्येक याचिका (अर्जी) के साथ उस आदेश की, जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जब तक की ऐसी प्रतिलिपि के पेश किये जाने से अभियुक्त न दे दी गई हो ।

49. अपील प्राधिकारी की शक्ति – (1) अपील प्राधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या, अभिलेख माँगने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे संक्षेपत: नामन्जूर कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उस दशा में अभिलेख मँगाने के लिये आबद्ध नहीं होगा जबकि अपील समय-वर्जित है या अपील नहीं हो सकती है ।

(2) यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के लिये तारीख नियत की जायेगी और प्रत्यर्थी पर सूचना तामील की जायेगी ।

(3) पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को, निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व के समस्त ऐसे मामले, जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रतिप्रेषित किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे।

50. पुनरीक्षण – (1) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो, और जिसमें कोई अपील न होती हो, और यदि यह प्रतीत होता हो कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी –

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने मे असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रयेाग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की है,

तो मण्डल या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि –

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाही का अंतिम रूप में निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त रहता है, न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरूद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा ।

(2) मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी इस धारा के अधीन, किसी ऐसे आदेश में, जिसके विरूद्ध या तो मण्डल को या उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को अपील होती हो, कोई फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा ।

(3) राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी पुनरीक्षण का प्रभाव कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो ।

(4) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन –

(क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरूद्ध ;

(ख) धारा 210 के अधीन बंदोबस्त आयुक्त के किसी आदेश के विरूद्ध ;

(ग) जब तक कि वह मण्डल को साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम , 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहाँ ऐसे मामले में पुनरीक्षण आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा ।

(5) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(6) उपधारा (1) में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(एक) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल का प्रारंभ की गई हों, वहाँ उसके संबंध में कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ;

(दो) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां इस धारा के अधीन ऐसे मामले के संबंध् में मण्डल, यथास्थिति , कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक या तो विरत रहेगा या ऐसी कार्यवाहियां वापस ले सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा , जैसा कि वह उचित समझे ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे।

51. आदेशों का पुनर्विलोकन – (1) मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी , या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वत: उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु –

(एक) यदि आयुक्त, बन्दोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा ; और यदि कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी

पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्तावना करता है तो वह पहले उस प्राधिकारी की, जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।

(एक-क) किसी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी हो ।

(दो) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है, या जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है; उस समय तथा पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियाँ लम्बित रहती हैं ।

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार सम्बन्धी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों से किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जायेगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के साठ दिन के भीतर न किया गया हो:

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके कि विरूद्ध पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहित (संशोधन) अधिनियम , 2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुनर्विलोकन , आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा ।

(2) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) में उपबन्धित किये गये आधारों पर ही किया जायेगा अन्यथा नहीं ।

(3) उस धारा के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जायेगा जिसने जिला छोड़ दिया है या जिसने राजस्व अधिकारी की हैसियत से शक्तियों का प्रयोग करना बन्द कर दिया है तथा जिले में जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है ।

(4) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है ।

52. आदेशों के निष्पादन को रोका जाना – (1) राजस्व अधिकारी, जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती अपील या पुनरीक्षण के लिये निहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पदान उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने यथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो ।

(2) अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी; किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जितना कि वह ठीक समझे :

परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा ।

(3) वह प्राधिकारी, जो धारा 50 या धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पदान उतने समय तक के लिये रोक दिया जाये जितना कि वह ठीक समझे :

परन्तु आदेश का निष्पदान, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा।

(4) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिये जाने का निर्देश देने वाला राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिये जाने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ठीक समझे ।

(5) कोई ऐसा आदेश, जिससे किसी आदेश के निष्पादन को रोक दिये जाने का निर्देश दिया गया हो, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार ही पारित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

53. **लिमिटेशन ऐक्ट का लागू होना-** इस संहिता से अन्तर्विष्ट किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अध्यधीन रहते हुए, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबन्ध इस संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा समस्त आवेदनों को पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण हेतु लागू होंगे।

54. **पुनरीक्षण का लम्बित रहना-** इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण में लंबित हों, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

54- क. x x x

55. अध्याय का लागू होना – शंका के परिवर्जन के लिये, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अध्याय के उपबन्ध निम्नलिखित होंगे –

(क) ऐसे समस्त आदेशों को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के पूर्व किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गये हों और जिनके कि विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ ऐसी तारीख के पूर्व लम्बित न हों; और

(ख) राजस्व अधिकारियों के समक्ष की समस्त कार्यवाहियों को, इस बात के होते हुए भी कि वे इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थित की गई थीं या प्रारम्भ की गई थी अथवा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थित था प्रारम्भ की गई कार्यवाहियों से उद्भूत हुई थीं।

56. आदेश का अर्थान्वयन — इस अध्याय में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिव्यक्ति "आदेश" से अभिप्रेत है उस विनिश्चय की प्ररूपित अभिव्यक्ति जो कि यथास्थिति मण्डल या

किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के सम्बन्ध में किया गया हो।

अध्याय – 6

भूमि तथा राजस्व

57. समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व (State ownership) – (1) समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियाँ जिनमें रूका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खानें, पत्थ्र की खदानें, खनिज पदार्थ तथा वन, चाहे वे रक्षित हों या नहीं, सम्मिलित हैं, तथा किसी भूमि की अधोमृदा (sub - soil) में समस्त अधिकार राज्य सरकार की सम्पत्ति है:

परन्तु इस कोड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस धारा की कोई भी बात किसी की व्यक्ति के किसी ऐसी समपत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर, जो इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहे हों प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी अधिकार के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो विवाद राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा।

[(3) विलुप्त]

[(3-क) विलुप्त]

[(4) विलुप्त]

58. भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि का दायित्व.- (1) समस्त भूमि चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो राज्य सरकार के राजस्व के भुगतान के लिये दायित्वाधीन है सिवाय ऐसी भूमि के लिये राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के उपबंधों के अधीन ऐसे दायित्व से पूर्णत: छूट दे दी गई है:

परन्तु धारा 245 के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए आबादी भूमि, और वह भूमि जो नगरेतर क्षेत्रों में स्थित है तथा कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है जो ऐसे दायित्व से छूट प्राप्त नहीं है, ग्राम सभा को राजस्व के भुगतान के लिये दायित्वाधीन है ।

(2) ऐसा राजस्व भू-राजस्व कहलाता है और उस शब्द के अन्तर्गत भूमि के लिये राज्य सरकार को देय समस्त धन है, भले ही ऐसे धन किसी अधिनियमिति नियम संविदा या विलेख मे प्रीमियम , लगान पट्टा-धन प्रमुक्ति-भाटक के रूप मे या किसी अन्य रूप मे वर्णित किये जायें ।

(2) ऐसा राजस्व 'भू–राजस्व' कहलाता है और उस शब्द के अन्तर्गत भूमि के लिये राज्य सरकार को देय समस्त धन है, भले ही ऐसे धन किसी अधिनियमिति , नियम, संविदा या विलेख में प्रीमियम , लगान पट्टा – धन प्रमुक्ति-भाटक के रूप में या किसी अन्य रूप में वर्णित किये जायें ।

58- क. कतिपय भूमियों को भू-राजस्व की देनगी से छूट दी जायेगी.- इस कोड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी, भू-राजस्व अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये गये अलाभप्रद खाते में देय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये-

(क) 'अलाभप्रद खाते' से अभिप्रेत होगा, ऐसा खाता जिसका कि विस्तार 5 एकड़ से अधिक न हों;

(ख) 'खाते' से अभिप्रेत है वह कुल भूमि, जो कि राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो, इस बात के होते हुए भी कि उसके किसी भाग पर भू- राजस्व प्रथक रूप से निर्धारित है, और

(ग) 'भू-राजस्व ' के अन्तर्गत वे धन नहीं आते जो पाँच वर्ष से कम कालावधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में प्रीमियम पट्टा धन के, या प्रमुक्ति भाटक के रूप में भूमि के लिये राज्य सरकार को देय हों

स्पष्टीकरण .- (2) स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के प्रयोजन के लिये 'राजस्व में किसी व्यक्ति द्वारा धारित कुल भूमि' से अभिप्रेत है-

(क) वह कुल भूमि जो कि राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिश: धारित हो, और उसके अन्तर्गत -

(एक) जहां भूमि ऐसे व्यक्ति द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्तत : धारित हो, वहां भूमि का उतना भाग आता है जो कि उसके हिस्से में आता हो; और

(दो) मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम , 1968 (क्र. 28 सन् 1968) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा भूदान धारक के रूप में धारित भूमि आती है; और

(ख) जहां भूमि किसी व्यक्ति द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्तत : धारित हो, वहां इस प्रकार से संयुक्तत : धारित एकल खाता ।

58 – ख. निर्धारित भू-राजस्व का आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए गए खाते के लिये ही देय होगा – (1) इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित भू-राजस्व का केवल आधा भू राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए गए दो हेक्टर तक खाते के बारे में देय होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पष्चात् विनिश्चित करेगा कि संबंधित खाता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की परियोजना का है ।

स्पष्टीकरण .- इस धारा के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम के वही अर्थ होंगे जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उनके लिए दिए गए है ।

59. जिस प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में लाई जावे उसी के अनुसार भू-राजस्व मे फेरफार - (1) किसी भूमि पर राजस्व का निर्धारित निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उस भूमि के उपयोग को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा।

(क) कृषि या ऐसे प्रक्षेत्र गृह (फार्म हाउस) के प्रयोजन के लिये उपयोग जो एक एकड या अधिक के खाते पर स्थित है;

(ख) निवास –ग्रहों के लिये स्थानों के रूप में उपयोग ;

(ग) शैक्षणिक प्रयोजन के लिये उपयोग ;

(घ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग :

(ड) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग ;

(च) खान और खनिज (विनियमन और विकाश) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अर्थ के अंतर्गत खनन पट्टे के अधीन खनन के प्रयोजन के लिये;

(छ) उपरोक्त पद (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग :

परन्तु किसी ऐसी भूमि पर, जो उन क्षेत्रों में स्थित है, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाये पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू-राजस्व के निर्धारण की कार्यवाही या संहिता के सुसंगत उपबन्धों के अधीन निर्धारण के समबन्ध में अनुसरित की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया, वन विभाग के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो भूमि के उपयोग को अनुज्ञात करते हुए जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर ही की जायेगी या प्रारम्भ की जायगी अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण - खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए "प्रक्षेत्र गृह" (फार्म हाउस) से अभिप्रेत है ऐसा भवन या सन्निर्माण जो धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज्ञ) में यथा परिभाषित सुधार है और जिसका कुर्सी क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) एक सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा और निर्मित क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक नही होगा।

(2) जहां कोई भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाने के हेतु निर्धारण किय गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित कर दी जाय, वहां ऐसी भूमि पर देय भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का जिसके कि लिये निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं

हुआ है उस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिये वह व्यपवर्तित कर दी गई है।

(2-क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया परिवर्तन या निर्धारण उपखंड अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(3) जहां वह भूमि जो इस शर्त पर भू-राजस्व के भूगतान से मुक्त रूप धारित है कि उसे किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जायगा किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित कर दी जाती है, वहाँ वह भूमि भू-राजस्व के भूगतान के दायित्वाधीन हो जायगी और उस पर उस प्रयोजन के अनुसार निर्धारण किया जायेगा जिसके कि लिये वह व्यपवर्तित कर दी गई है।

(4) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन किया गया निर्धारण उन नियमों के अनुसार होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये हो और ऐसे नियम यथास्थिति अध्याय 7 या 8 में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार होगे।

(5) जहाँ किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहाँ उपखंड अधिकारी को यह शक्ति भी होगी कि वह उस व्यपवर्तन पर प्रीमियम इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अधिरोपित करें:

परन्तु किसी भूमि के ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई प्रीमियम अधिरोपित नही किया जायगा जो कि पूर्त प्रयोजनो के लिये हो।

(6) किसी प्रथा या अनुदान के या किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि को जो मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड,1954 (क्र. 2 सन् 1955) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व मालिक मकबूजा अधिकार में धारित थी, धारण करने वाले समस्त व्यक्तियों का वह अधिकार जो कि उन्हे ऐसी भूमि के व्यपवर्तन पर, प्रीमियम का भुगतान करने से छूट के सम्बन्ध में प्राप्त था, एतद्वारा समाप्त किया जाता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, ऐसी भूमि के व्यपवर्तन पर, ऐसे अधिकार के बदले, उपधारा (5) के अधीन अवधारित की गई प्रीमियम की रकम में से उतने रिबेट का हकदार होगा जो ऐसी भूमि के लिये देय एक वर्ष के भू-राजस्व के बराबर हों।

59-क. निर्धारण कब प्रभावशील होगा- धारा 59 के उपबन्ध के अधीन किया गया परिवर्तन या निर्धारण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि व्यपवर्तत किया गया था।

59 ख. संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए भूमि के व्यपवर्तन पर पुनर्निर्धारण .- जहाँ इस कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी क्षेत्र में की भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, बाद में किसी अन्य प्रायोजन के लिये उपयोग में लाये जाने के हेतु व्यपवर्तित कर दी गई हो, वहाँ ऐसी भूमि पर पर भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी उस अवधि का, जिसके के लिये निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नही हुआ है-

(1) उस प्रयोजन के अनुसार, जिसके कि लिये वह व्यपवर्तित की गई हो –

(क) उस तारीख से जिसको कि ऐसा व्यपवर्तन किया गया था, परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा यदि सम्बन्धित क्षेत्र में धारा 261 के अधीन निरसित कोई ऐसी अधिनियमिति प्रवृत्त थी जिसमें ऐसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट थे कि ऐसा व्यपवर्तन होने पर परिवर्तन या पुनर्निर्धारण किया जायगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में, कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा : और

(2) उपयुक्त (क) के मामले में ऐसे विरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा उपयुक्त (ख) के मामले में इस कोड के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा।

60. निर्धारण किसके द्वारा नियत किया जायेगा.- उस समस्त भूमियों पर जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भू-राजस्व का निर्धारण कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार किया जायेगा जो कि इस संहिता के अधीन बनाये गये हैं ।

अध्याय-7

नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त

61. इस अध्याय का नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों को लागू होना.- इस अध्याय के उपबन्ध नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

62. बन्दोबस्त आयुक्त की नियुक्ति- राज्य सरकार एक बन्दोबस्त आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, राजस्व सर्वेक्षण और/या बन्दोबस्त की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा।

63. अपर बन्दोस्त आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य- (1) राज्य सरकार एक या अधिक अपर बन्दोबस्त आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ऐसे मामलो में या ऐसे वर्ग के मामलो में, जैसे कि राज्य सरकार या बन्दोबस्त आयुक्त निदेशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अथवा इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यो का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अथवा इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त पर अधिरोपित किये गये है और अपर बन्दोब्सत आयुक्त के सम्बन्ध में, जबकि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जायेगा कि उसे इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के या इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रयोजन के लिये बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त किया है।

64. बन्दोबस्त अधिकारी, उप-बन्दोबस्त अधिकारियों तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति.- (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को, जिसे इसमें इसके पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी कहा गया है, राज्य सर्वेक्षण और/या बन्दोबस्त के भारसाधक के रूप में नियुक्त कर सकेगी तथा इतने उप-बन्दोबस्त अधिकारी और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने कि वह ठीक समझे।

(2) समस्त बन्दोबस्त अधिकारी, उप-बन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी बन्दोबस्त आयुक्त के अधीनस्थ होंगे और किसी स्थानीय क्षेत्र के समस्त उप-बन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, बन्दोस्त अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

65. बन्दोबस्त अधिकारी, उप-बन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तिया.- (1) राज्य सरकार, किसी बन्दोबस्त अधिकारी या उप-बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी में इस संहिता के अधीन की कलेक्टर की समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी जो उसके द्वारा ऐसे मामलों में या ऐसे वर्ग के मामलो में प्रयोग में लाई जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार किसी उप-बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन की बन्दोबस्त अधिकारी में समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी ।

ख – राजस्व सर्वेक्षण

66. राजस्व सर्वेक्षण की परिभाषा .- इस भाग के उपबन्धों के अनुसार की गई संक्रियाएँ अर्थात् –

(1) भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करने तथा उनके ग्रामों के रूप में समूह बनाने, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करने, उन्हें पुनर्गठित करने या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करने सम्बन्धी समस्त संक्रियाएँ या उनमें से कोई संक्रिया और उनसे आनुषंगिक संक्रियाएँ ;

(2) मिट्टी का वर्गीकरण ;

(3) खेत का नक्शा तैयार करना या यथास्थिति उसका पुनरीक्षण करना या उनमें सुधार करना ;

(4) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिये अधिकार अभिलेख तैयार करना, राजस्व सर्वेक्षण कहलाती है ।

67. प्रस्थापित राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना .- (1) जब कभी राज्य सरकार यह विनिश्चित करे कि किसी स्थानीय क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और ऐसा स्थानीय क्षेत्र ऐसी अधीसूचना कि तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब कि ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाये ।

(2) ऐसी अधिसूचना का विस्तार स्थानीय क्षेत्र में की साधारणत : समस्त भूमियों पर या केवल ऐसी भूमियों पर हो सकेगा जिनके बारे में राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

68. सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना .- इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, बन्दोबस्त अधिकारी –

(क) उस भूमि का, जिस पर राजस्व सर्वेक्षण विस्तारित है, माप कर सकेगा और उस पर इतनी संख्या में सर्वेक्षण चिन्ह् सन्दर्भित कर सकेगा और जितने कि आवश्यक हों;

(ख) ऐसी भूमियों को सर्वेक्षण -संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा और ऐसे सर्वेक्षण संख्यांकों के ग्रामों के रूप में समूह बना सकेगा , और

(ग) विद्यमान सर्वेक्षण - संख्यांकों को मान्य कर सकेगा , सर्वेक्षण -संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन सर्वेक्षण -संख्यांक विरंचित कर सकेगा

परन्तु इसमें इसके पश्चात् तथा उपबन्धित के सिवाय , कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को समाविष्ट करने वाले कोई भी सर्वेक्षण -संख्यांक इसके पश्चात् उस न्यूनतम विस्तार से कम विस्तार के नहीं बनाये जायेंगे जो कि भूमि के विभिन्न वर्गों के लिये विहित किया जाये :

परन्तु यह और पूर्वोक्त परन्तु के अधीन विहित की गई सीमा उन सर्वेक्षण -संख्यांकों की दशा में लागू नहीं होगी जो धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व पहले से ही विद्यमान हो ।

69. व्यपर्तित की गई या विशेष रूप से समनुदेशित की गई भूमि का पृथक् सीमांकन .- धारा 68 के उपबन्धों के होते भी, जब कृषि भूमि का कोई प्रभाव धारा 172 के उपबन्धों के अधीन किसी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित किया जाता है, या जब भूमि का कोई प्रभाव धारा 237 के अधीन विशेष रूप से समनुदेशित किया जाता है या भूमि के किसी प्रभाग पर का कोई निर्धारण धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तित किया जाता है तो बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे प्रभाग को पृथक् सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड के रूप में गठित कर सकेगा ।

70. सर्वेक्षण -संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित या उपविभाजित करने की शक्ति.- (1) बन्दोबस्त अधिकारी सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें इतने उपखंडों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से अपेक्षित हो ।

(2) सर्वेक्षण संख्यांकों का उपखंडों में विभाजन तथा सर्वेक्षण संख्यांक पर के निर्धारण का उपखंडों के बीच प्रभाजन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा और ऐसे नियमों में या तो क्षेत्रफल की या भू – राजस्व की या दोनो की ऐसी सीमाओं का उपबन्ध हो सकेगा जिनसे नीचे कोई उपखंड मान्य नहीं किया जायेगा :

परन्तु किसी सर्वेक्षण संख्यांक पर के निर्धारित की कुल रकम में बन्दोबस्त की अवधि के दौरान तब तक वृद्धि नहीं की जायगी तब तक कि ऐसा निर्धारण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन परिवर्तनीय हो ।

(3) जहाँ कोई खाता कई खसरा क्रमांको से मिलकर बना हो, वहाँ बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खसरा क्रमांक के लिये देय भू–राजस्व निर्धारण करेगा और उन्हें पृथक्–पृथक् सर्वेक्षण - संख्यांकों के रूप में अभिलिखित करेगा।

(4) जब कभी सर्वेक्षण –संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाये तो बन्दोबस्त अधिकारी अध्याय 9 के अधीन तैयार किये गये या रखे गये समस्त अभिलेखों की प्रविष्टियों में शुद्धियाँ करेगा ।

71. अभिलेखों में सर्वेक्षण –संख्यांकों तथा उपखंडों की प्रविष्टि .- सर्वेक्षण - संख्यांकों तथा सर्वेक्षण – संख्याकों के उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण ऐसे अभिलेखों में प्रविष्ट किया जायेगा जो कि विहित की जाये ।

72. ग्राम की आबादी का अवधारण .- बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम के मामले में भूमियों में के अधिकारियों का सम्यक् ध्यान रखते हुए निवासियों के निवास के लिये या उसमें आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये आरक्षित किये जाने वाला क्षेत्र अभिनिश्चित तथा अवधारित और ऐसे क्षेत्र को ग्राम की आबादी समझा जायेगा ।

73. ग्रामों को विभाजित या संयोजित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्तित करने की बन्दोबस्त अधिकारी की शक्ति.- बन्दोबस्त अधिकारी इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समामेलित कर सकेगा, या किसी ग्राम की सीमाओं को, उनमें किसी ऐसे ग्राम के, जो उनके समीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उनमें समाविष्ठ किसी क्षेत्र को उनमें से अपवर्जित करके; परिवर्तित कर सकेगा ।

74. ग्रामों के समूह बनाना .- प्रत्येक जिले या तहसील के या किसी जिले या तहसील के भाग के उन ग्रामों के जो उस क्षेत्र में समाविष्ट हो जिसका कि राजस्व सर्वेक्षण किया जाना है; समूह बनाये जायेंगे और ऐसे समूह बनाने में प्राकृतिक विशेषताओं , कृषिक तथा आर्थिक दशाओं एवं व्यापारिक सुविधाओं तथा संचार साधनों को ध्यान में रखा जायेगा।

ग-लगान का बन्दोबस्त

75. बन्दोबस्त की परिभाषा – राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान किसी स्थानीय क्षेत्र में की भूमियों पर देय भू-राजस्व अवधारित करने या पुनरीक्षित करने के लिए इस भाग के उपबन्धों के अनुसार की गई संक्रियओं का परिणाम "बन्दोबस्त" कहलाता है और वह कालावधि , जिसके कि दौरान पुनरीक्षित भू-राजस्व प्रवृत्त रहेगा "बन्दोबस्त की अवधि" कहलाती है।

76. प्रस्तावित बन्दोबस्त की अधिसूचना .- धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण की संक्रियाओं को बन्द करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना के जारी होने पर राज्य सरकार , यदि वह

विनिश्चित करती है कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें कि राजस्व सर्वेक्षण बन्द कर दिया गया है, बन्दोबस्त संक्रियाओं को जाना चाहिए तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और ऐसा क्षेत्र ऐसी अधिसूचना की तारिख से लेकर तब तक बन्दोबस्त के अधीन रहेगा जब तक कि स्थानीय क्षेत्र में की किसी भूमि की बाबत धारा 82 के अधीन बन्दोबस्त का आख्यापन पूर्ण न हो जाय :

परन्तु यदि अधिसूचना , धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण संक्रियाओं के बन्द करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् जारी की जाती है, तो इसके पूर्व की इस भाग में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार बन्दोबस्त संक्रियाएँ की जाये, धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार किये जायेंगे।

77. निर्धारण दरों का नियत किया जाना --- (1) बन्दोबस्त अधिकारी , आवश्यक जाँच, जो कि विहित की जाये, पूरी कर लेने पर, विभिन्न वर्गो की भूमि के लिये निर्धारण दरों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ जैसा कि विहित किया जाये, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) राज्य सरकार निर्धारण दरों को ऐसे उपान्तरणों के साथ अनुमोदित कर सकेगी जैसा कि वह ठीक समझे।

78. विलुप्त

79. उचित निर्धारण का नियत किया जाना.- बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खाते पर निर्धारण , धारा 77 के अधीन अनुमोदित की गई निर्धारण दरों के तथा धारा 81 के उपबन्धों के अनुसार ; नियत करेगा और ऐसा निर्धारण ऐसे खाते का उचित निर्धारण होगा।

80. समस्त भूमियाँ निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी.— बन्दोबस्त अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी प्रकार की ऐसी समस्त भूमियों पर; जिन पर बन्दोबस्त विस्तारित होता है, उचित निर्धारण करे, चाहे ऐसी भूमियाँ भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो या हों।

81. निर्धारण के सिद्धान्त— (1) समस्त भूमियों के उचित निर्धारण की संगणना इस धारा में उपवर्णित किये गये सिद्धान्तों तथा निर्बन्धनो के अनुसार की जायेगी ।

(2) विशेषाधिकार प्राप्त निर्बन्धनो पर भूमि धारण करने के किसी भी दावे पर विचार नही किया जायेगा।

(3) कृषि भूमि की दशा में, कृषि के लाभो का, पट्टों के लिये दिये गये प्रतिफल का, भूमि की विक्रय कीमतों का तथा बन्धकों पर के मूलधनों का, तथा कृषि भिन्न की दशा में, उस प्रायोजन के लिये जिसके कि लिये वह भूमि धारित है, भूमि के मूल्य का ध्यान रखा जायेगा ।

(4) गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की गई भूमि पर उचित निर्धारण धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमो के अनुसार नियत किया जाएगा।

(5) जहाँ कृषि के प्रयोजन के लिये धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या धारक के खर्चे से किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहाँ ऐसे खाते का उचित निर्धारण इस प्रकार नियत किया जायेगा मानो कि वह सुधार किया ही नही गया हो।

(6) विलुप्त

82. बन्दोबस्त का आख्यापन .- (1) जब किसी भूमि का निर्धारण 79 के अनुसार नियत कर दिया गया हो, तो उसकी सूचना इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार दी जायेगी, और ऐसी सूचना बन्दोबस्त का आख्यापन कहलायेगी।

(2) किसी भूमि का इस धारा के अधीन यथा आख्यापित निर्धारण बन्दोबस्त की अवधि के दौरान ऐसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष देय भू-राजस्व होगा जब तक कि उसे इस संहिता के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार उपान्तरित न किया जाय।

83. बन्दोबस्त का प्रारम्भ - बन्दोबस्त की अवधि, आख्यापन की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष का आरम्भ होने के समय से या पूर्व बन्दोबस्त की अवधि का अवसान होने के समय से, इसमें से जो भी बात की हो प्रारम्भ होगी।

84. अधिकारों को त्यागने वाले भूमि स्वामी को वृद्धि से माफी- बन्दोबस्त की अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे भूमि स्वामी को, जो नवीन निर्धारण से असन्तुष्ट हो कृषि वर्ष प्रारम्भ होने के एक मास पूर्व उसके द्वारा अपने खाते में के अपने अधिकार धारा 173 द्वारा विहित की गई रीति में त्याग देने पर, किसी भी ऐसी वृद्धि से; जो उस निर्धारण द्वारा अधिरोपित की गई हो, मिल सकेगी :

परन्तु किसी खाते के केवल ऐसे भाग का या ऐसे खाते का, का जो किसी विल्लंगम या भार के अध्यधीन हो, त्यागना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

85. बन्दोबस्त की अवधि .- (1) बन्दोबस्त की अवधि राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेगी और वह तीस वर्ष से कम की नहीं होगी :

परन्तु यदि बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान, किसी भी समय, राज्य सरकार यह पाये कि बन्दोबस्त के पश्चात् साधारण परिस्थितियों में हुई तब्दीलियों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि निर्धारण में कमी की जानी चाहिए तो वह ऐसे निर्धारण में ऐसी कालावधि तक के लिये, जो कि वह ठीक समझे, कमी कर सकेगी

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां खेती के विस्तार के लिये या कृषि के विकास के लिये पर्याप्त गुंजाइश है या जहां कि लगान का परिमाण (पिच आफ रेंट) असम्यक् रूप से कम है या जहाँ सड़कों, रेलों या नहरों के सन्निर्माण के कारण गत बन्दोबस्त के पश्चात् संधानों का द्रुत गति से विकाश हुआ है, वहाँ राज्य सरकार अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी अवधि नियत कर सकेगी जो तीस वर्ष से कम की हो सकेगी किन्तु वह किसी भी दशा में बीस वर्ष से कम की नहीं होगी

(3) इस बात के होते हुए भी कि किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियत की गई बन्दोबस्त की अवधि का अवसान हो चुका है, उक्त अवधि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस क्षेत्र में पश्चात्वर्ती बन्दोबस्त की अवधि के प्राश्रम्भ होने के लिये बढ़ा दी गई है ।

86. अधूरी कार्यवाहियों को पूरा करने की कलेक्टर की शक्ति.- जहाँ बन्दोबस्त संक्रियाएँ बन्द कर दी जाये, वहाँ ऐसे समस्त आवेदन तथा कार्यवाहियाँ जो बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष उस समय लम्बित हो, कलेक्टर को अन्तरित कर दी जायेगी जिसे उनके निपटारे के लिये बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियाँ होगी ।

घ- साधारण

87. कृषि के लाभों तथा भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में जाँच.- (1) इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय से, राज्य सरकार , कृषि के लाभों के सम्बन्ध में तथा कृषि एवं कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निरन्तर जारी रखवा सकेगी ।

(2) कृषि के लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये, खेती की लागत का प्राक्कलन करने में निम्मलिखित तत्वों पर विचार किया जायेगा , अर्थात .-

(क) स्टाफ तथा भवनों का अवक्षयण ;

(ख) खेतिहर के तथा उसके कुटुम्ब के श्रम तथा पर्यवेक्षण के समतुल्य धन;

(ग) जाँच के अधीन आने वाली भूमि पर खेती करने में सामान्यत: उपगत किये गये समस्त अन्य व्यय, और

(घ) भवनों तथा स्टाफ की लागत पर और बीज एवं खाद के व्यय पर तथा कृषि संक्रियाओं के लिये नगदी में भुगतान किये गये खर्च पर ब्याज ।

(3) बन्दोबस्त अधिकारी , निर्धारण दरों के लिये अपनी प्रस्थापनाएँ तैयार करते समय, इस जाँच के अनुक्रम में संग्रहीत की गई जानकारी पर विचार करेगा ।

88. नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य बन्दोबस्त अधिकारी को अन्तरित करने की शक्ति.- जब कोई स्थानीय क्षेत्र राजस्व सर्वेक्षण के अधीन हो तो नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य , राज्य सरकार के आदेशों के अधीन , कलेक्टर के पास से बन्दोबस्त अधिकारी को अन्तरित किया जा सकेगा जो तदुपरि उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्याय 9 तथा अध्याय 18 के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध में कलेक्टर को प्रदत्त की गई है।

89. गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति.- उपखंड अधिकारी , राजस्व सर्वेक्षण बन्द हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की प्रविधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या

निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो ठीक कर सकेगा :

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं हो जायगा ।

90. बन्दोबस्त आदि की अवधि के दौरान कलेक्टर की शक्ति.- राजस्व सर्वेक्षण बन्द हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान, कलेक्टर, जबकि राज्य सरकार द्वारा उसे ऐसा निर्देश दिया जाय, धारा 68, 69, 70, 72 तथा 73 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

91. बन्दोबस्त की अवधि के दौरान बन्दोबस्त अधिकारी को शक्ति प्रदान करने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान, इस अध्याय के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की सतस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई भी शक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन एंव ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि वह ठीक समझे, किसी राजस्व अधिकारी में विनिहित कर सकेगी ।

91-क. नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन साधारणत: राजस्व सर्वेक्षण या बंदोबस्त के संचालन का विनियम करने के लिये नियम बना सकेगी।

अध्याय-8

नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण

92. इस अध्याय के उपबन्ध नगरीय क्षेत्रों में की भूमि को लागू होगें.- इस अध्याय के उपबन्ध उस भूमि को लागू होंगे जो .-

(एक) भूमि स्वामी द्वारा;

(दो) नवीकरण का अधिकार प्रदान करने वाले पट्टे के अधीन सरकारी पट्टेद्वार द्वारा; और

(तीन) सेवा-भूमि के धारक द्वारा;

नगरीय क्षेत्र में, चाहे कृषि प्रयोजनों के लिये चाहे कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो ।

(2) जब कभी किसी भू-खण्ड संख्यांक पर निर्धारित किया गया भू-राजस्व या लगान पुनरीक्षण योग्य हो जाय तो कलेक्टर उस भू-खण्ड पर निर्धारण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

स्पष्टीकरण .- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी भू-खण्ड के लिये देय भू–राजस्व या लगान -

(एक) उस दशा में जबकि वह भू-खण्ड पट्टे पर धारित हो, उस समय पुनरीक्षण योग्य हो गया समझा जायगा जबकि पट्टा नवीकरण योग्य हो जाता है, और

(दो) उस दशा में जबकि वह भू-खण्ड भूमि-स्वामी द्वारा धारित हो, उस समय पुनरीक्षण योग्य हो गया समझा जायगा जबकि बन्दोबस्त की मूल अवधि का अवसान हो जाता है ।

93. भूमियों को भू-खंड संख्यांकों में विभाजित करने की कलेक्टर की शक्तियाँ.- इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर –

(क) नगरीय क्षेत्र में की भूमियों को भू–खंड संख्यांक में विभाजित कर सकेगा; और

(ख) विद्यमान सर्वेक्षण - संख्यांकों को भू–खंड संख्यांकों के रूप में मान्य कर सकेगा, भू–खंड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन भू–खंड संख्यांक विरचित कर सकेगा

94. भू–खंड संख्यांकों के पुन: क्रमांकित करने का उपविभाजित करने की कलेक्टर की शक्तियाँ.- (1) कलेक्टर भू–खंड संख्यांकों को या तो पुन: क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें उपखंडों में उपविभाजित कर सकेगा जितने कि भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से अपेक्षित हो ।

(2) भू-खंड संख्यांकों का उपखंडों में विभाजन तथा भू-खंड संख्यांक के निर्धारण का उपखंडों के बीच प्रभाजन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा ऐसे नियमों द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्रों में, यथास्थिति क्षेत्रफल की अथवा भू-राजस्व का लगान की या दोनों की ऐसी सीमाओं का उपबन्ध हो सकेगा जिनसे नीचे कोई उपखंड मान्य नहीं किया जायेगा :

परन्तु किसी भू-खंड संख्यांक के निर्धारण की कुल रकम में बन्दोबस्त की अवधि के दौरान तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसा निर्धारण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन परिवर्तनीय न हो ।

95. भू-खंड संख्यांकों तथा उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा.– भू-खंड संख्यांकों के उपखंडों तथा भू-खंड संख्यांकों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण ऐसे अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा जो कि विहित किये जायँ ।

96. निर्धारण के लिये नगर का क्षेत्र खंडों में विरचित किया जायेगा – निर्धारण के प्रयोजनों के लिये, किसी नगर का क्षेत्र खंडों (ब्लाक्स) में विरचित किया जायेगा और ऐसे खंडों को विरचित करने में, औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवास सम्बन्धी या ऐसे अन्य विशेष प्रयोजनों के लिये, जो कि विहित किये जायं, भूमि के उपयोग को ध्यान में रखा जायेगा ।

97. विलुप्त

98. उचित निर्धारण – कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का उचित निर्धारण धारा 81 में दिए गए सिद्धांतों और निर्बन्धनों के अनुसार संगणित तथा नियत किया जाएगा और गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का, उचित निर्धारण धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, नियत किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक खंड में की भूमियों का, उन भूमियों के सम्बन्धों में जो कि धारा 59 की उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिये धारित हों, औसत वार्षिक भाटक मूल्य उस वर्ष से जिसमें कि भाटक मूल्य अवधारित किया जा रहा है, ठीक पूर्व के बीच पाँच वर्षों की कालावधि के दौरान ऐसे खंड में पूर्वोक्त प्रयोजनों में से प्रत्येक प्रयोजन के लिये धारित की गई भूमि के सम्बन्ध में हुए विक्रयों तथा पट्टों के

संव्यवहारों के आधार पर जहाँ तक कि ऐसे संव्यवहारों के विषय में जानकारी उपलब्ध हों, पृथकत : उस रीति में अवधारित किया जायेगा जो कि विहित की जाय :

परन्तु यदि वे संव्यवहार जो किसी खंड में पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये धारित किसी भूमि के संबंध में हुए हों, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिक न हों, तो पार्श्वस्थ खंड में उसी कालावधि के दौरान तत्सम प्रयोजन के लिए धारित भूमि के सम्बन्ध में हुए संव्यवहार भाटक मूल्य अवधारित करने हेतु आधार माने जा सकेंगे ।

(3) धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) में वर्णित प्रयोजनों के हेतु धारित भूमियों के लिए निर्धारण की मानक दर उपधारा (2) के अधीन ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खण्ड के लिये अवधारित औसत वार्षिक भाटक मूल्य के एक तिहाई के बराबर होगी और धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित प्रयोजनों के हेतु धारित भूमियों के लिये निर्धारण की मानक दर ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खंड के लिये अवधारित औसत वार्षिक भाटक मूल्य का आधा होगी ।

(4) कृषि प्रयोजनों के लिये धारित भूमियों के लिये मानक दरें, मिट्टी तथा भूमि की स्थिति एवं कृषि के लाभों का पट्टों, के लिये दिये गये प्रतिफल तथा ऐसी भूमियों की विक्रय कीमतों का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियत की जायगी ।

99. विलुप्त

100. पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना – उन भूमियों की दशा में, जिन पर कि निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो जिसके कि संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, डेढ़ गुने से अधिक होता हो तथा अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छह गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में , ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छह गुने के हिसाब से नियत किया जाएगा :

परन्तु जहां कृषि के प्रयोजन के लिए धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहाँ ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जाएगा मानो कि वह सुधार किया ही नहीं गया था।

101. बन्दोबस्त की अवधि – धारा 100 के अधीन नियत किया गया निर्धारण तीन वर्ष की कालावधि तक या ऐसी दीर्घतर कालावधि तक, जो कि उस कालावधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किये जाने के पूर्व बीत जाय, प्रवृत्त रहेगा और ऐसी कालावधि को, समस्त प्रयोजनों के लिये, बन्दोबस्त की अवधि समझा जायेगा ।

102. नियत किया गया निर्धारण भू-राजस्व या लगान होगा – धारा 100 के अधीन नियत किया गया निर्धारण, जब तक ऐसे भू-खंड संख्यांक पर प्रतिवर्ष देय भू-राजस्व या लगान होगा जब तक कि वह इस संहिता या किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार उपान्तरित न कर दिया जाय।

103. पूर्व के बन्दोबस्त या पट्टों के अधीन नियत किया गया भू-राजस्व या लगान चालू रहेगा – इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किये गये बन्दोबस्त या नवीकरण के अधिकारों सहित सरकार से प्राप्त किये गये पट्टे के अधीन नगरीय क्षेत्र में की किसी भूमि के लिये नियत किया गया भू-राजस्व या लगान; ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे की अवधि का अवसान हो जाने पर भी; तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि ऐसी भूमि पर निर्धारण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार नियत नहीं कर दिया जाय ।

अध्याय – 9

भू – अभिलेख

104. पटवारी के हल्कों की विरचना तथा उनमें पटवारियों की नियुक्ति – (1) कलेक्टर, समय-समय पर, तहसील के ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त (arrange) करेगा और किसी भी समय, किसी विद्यमान हल्के की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन हल्कों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान हल्कों को समाप्त कर सकेगा ।

(2) कलेक्टर भू-अभिलेख रखने तथा उनके शुद्धिकरण के लिये और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिये, जैसे कि राज्य सरकार विहित करे प्रत्येक पटवारी हल्के में एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा ।

(3) किसी प्रथा के अथवा किसी संधि, अनुदान या अन्य लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को विरासत द्वारा पटवारी के पद का उत्तराधिकारी होने के अधिकार आधार पर पटवारी बने रहने या पटवारी नियुक्त किये जाने का कोई अधिकार या दावा प्राप्त नहीं होगा ।

105. राजस्व निरीक्षकों के हल्कों की विरचना (formation) – कलेक्टर, तहसील में के पटवारी हल्कों को राजस्व निरीक्षकों के हल्कों में विन्यस्त (arrange) करेगा और वह, किसी भी समय किसी विद्यमान हल्के की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन हल्कों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान हल्कों को समाप्त कर सकेगा ।

106. राजस्व निरीक्षकों आदि की नियुक्ति – (1) कलेक्टर प्रत्येक जिले में इतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक; सहायक नगर सर्वेक्षक तथा मापक (मेजरर) इस हेतु से नियुक्त कर सकेगा कि वे भू-अभिलेख तैयार किये जाने तथा रखे जाने का पर्यवेक्षण करें और ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो कि विहित कियें जायें पालन करें ।

(2) नगर सर्वेक्षक तथा सहायक नगर सर्वेक्षक को, उनके भारसाधन के अधीन आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में; धारा 28, 109, 110, 112, 118 तथा 120 के प्रयोजनों के लिये पटवारी समझा जायेगा ।

107. खेत का नक्शा.--- (1) उस दशा में के सिवाय जबकि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया जाय; प्रत्येक ग्राम के लिये, सर्वेक्षण –संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों की सीमाओं तथा बन्जर भूमियों को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जायेगा जो खेत का नक्शा कहलायेगा।

(2) प्रत्येक ग्राम की आबादी के लिये नक्शा तैयार किया जा सकेगा जिसमें प्राइवेट धारकों द्वारा अभियोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र, जो ऐसे अधिभोग में न हो, एवं ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जायँ, दर्शाई जाएंगी।

(3) यदि राज्य सरकार यह समझे कि किसी ग्राम के मामले में यह आवश्यक है कि उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नक्शे में उन भू-खंडों को, जो प्राइवेट धाराकों के अधियोग में है, पृथक से दर्शाया जाय, तो वह कलेक्टर को यह निर्देश दे सकेगी कि वह नक्शे को उस प्रकार करवाये या पुनरीक्षित करवाये।

(4) यदि कोई ग्राम पंचायत ऐया संकल्प पारित कर देती है कि प्राइवेट धारकों के अधियोग में के भू-खंडों को पृथकता दर्शाते हुए ग्राम की आबादी का नक्शा तैयार किया जाय और वह सर्वेक्षण सम्बन्धी संक्रियाओं के खर्च के प्रति उतने अनुपात में, जो कि विहित किया जाय, अभिदाय करने के लिये रजामन्द है, तो राज्य सरकार ऐसा नक्सा तैयार कराने का कार्य हाथ में ले सकेगी।

(5) ऐसा नक्शा राजस्व सर्वेक्षण के समय बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जायेगा ।

108. अधिकार –अभिलेख .— (1) प्रत्येक ग्राम के लिये अधिकार –अधिलेख उन नियमो के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जायेगा जो कि इस सम्बन्ध में बनाये गये हों और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी;---

(क) समस्त भूमि स्वामियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांको या भू-खंड संख्यांकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित,

(ख) समस्त मौरूसी कृषकों तथा सरकारी पट्टेदारों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्याकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित,

(ग) ऐसे व्यकितयों के अपने–अपने हितों का प्रकार तथा उनकी सीमा और उससे सलग्न शर्ते या दायित्व, यदि कोई हों;

(घ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय लगान या भू-राजस्व, यदि कोई हो; और

(ड) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो कि विहित की जाएं।

(2) उपधारा (1) में वर्णित अधिकार –अभिलेख राजस्व सवे्रक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे, तैयार किया जायगा।

109. अधिकारों के अज्रन की रिपोर्ट की जायगी.- कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार का हित (........) विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिर्पोट ऐसे अर्जन की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा, और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिये लिखित अभिस्वीकृति रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में तत्काल देगा:

परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो या अन्यथा निरर्हित हो तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी सम्पति का भारसाधक हो, पटवारी को ऐसी रिपोट करेगा

स्पष्टीकरण एक.- उपर वर्णित किये गये अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम ,1882 (1882 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 100 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकारण का कोई भार, जो बन्धक की कोटि में नही आता है, नही है

स्पष्टीकरण दो.- कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके कि पक्ष में किसी बन्धक का मोचन हो जाय या भुगतान कर दिया जाय किसी पटटे का पर्यावसान हो जाय ,इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अधिकार अर्जित करता है

स्पष्टीकरण तीन.- इस अध्याय के प्रयोजन के लिये शब्द "पटवारी" के अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अध्याय के अधीन पटवारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया हो।

स्पष्टीकरण चार.- इस धारा के अधीन पटवारी को दी जाने के लिये अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना था तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तिश: सौंपी जा सकेगी या रजिस्टीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, अपने द्वारा ऐसे अधिकारो के अर्जन की लिखित रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर तहसीलदार को भी कर सकेगा

110 क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामान्तरण.- (1) पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धरा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आए, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिये विहित किया गया है।

(2) पटवारी अधिकार –अर्जन सम्बन्धी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुए हो, उन रिपोर्टो के उसे प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीनदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को जो कि उसे नामान्तरण में हितबद्ध प्रतीत होते हो, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किये जाएं।

(4) तहसीलदार हितबध्द व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसगंत भू-अभिलेखो में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

111. सिविल न्यायाधीशों की अधिकारिता .- सिविल न्यायलयो को, किसी भी ऐसे अधिकार से, जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता होगी जिसमें राज्य सरकार न हो।

112. अन्तरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना --- जब कोई ऐसी दस्तावेज , जिसके द्वारा किसी ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है, या जिसके कि संबंध में क्षेत्र पुस्तक तैयार की जा चुकी है, के संबंध में कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वाचित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का संख्यांक 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, तो रजिस्टीकर्ता अधिकारी ,उस क्षेत्र पर, जिसमें कि वह भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समयों पर, जैसा कि इस संहिता के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रज्ञापना भेजेगा।

113. लेखन सम्बन्धी गलतियों का शुद्धिकरण .- उपखंड अधिकारी ; किसी भी समय, लेखन समबन्धी किन्ही भी गलतियों को, तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को, जिनके कि सम्बन्ध में हितबघ्द पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार -अभिलेख में हूई हैं, शुध्द कर सकेगा या शुध्द करवा सकेगा

114. भू अभिलेख .- नक्शे तथा भू अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त , प्रत्येक गावं के लिये खसरा या क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू-अभिलेख , जो कि विहित किये जायं, तैयार किये जायेगे

114.क. भू अधिकार एवं ण पुस्तिका .- (1) ऐसे प्रत्येक भूमि स्वामी, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किये गये खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्ट है, के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह किसी ग्राम में के अपने समस्त खातो के बारे में एक भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका रखे जो ऐसी फीस के जैसी कि विहित की जाय, चुकाये जाने पर उसे दी जायगी

(2). भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के दो भाग होंगे, अर्थात् भाग-1 जिसमें खाते पर के अधिकारों तथा खाते पर के विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेंसेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग-2 जिसमें खाते पर के अधिकार , खाते के बाबत भू-राजस्व की वसूली तथा खाते पर के विल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होगी:

(एक) खसरा या क्षेत्र पुस्तक की उन प्रविष्टियों में से, जो किसी भूमिस्वामी के किसी से सम्बन्धित हो, ऐसी प्रविष्टियाँ जो कि विहित की जायँ;

(दो) ऐसे खाते की बाबत भू राजस्व , सरकारी उधार तथा गैर-सरकारी उधार की वसूली के बारे में विशिष्टयाँ ; ओर

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जायँ

(3) खसरा या क्षेत्र पुस्तक तथा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में अन्तर्विष्ट प्रविष्टियों में कोई अन्तर होने की दशा में तहसीलदार , स्वप्रेरणा से या उस सम्बन्ध में उसको आवेदन किया जाने पर तथा ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे ; करने के पश्चात् उस अन्तर के सम्बन्ध में विनिश्चय कर सकेगा तथा तहसीलदार का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

115. खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ट पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण .- यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी पूछ-ताछ करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे , उसमें आवश्यक परिवर्तन (लाल स्याही से) किये जाने का निर्देश देगा

116. खसरा या किन्ही अन्य भू अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद .- 1 यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो तो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के सम्बन्ध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

(2) तहसीदार , ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे , मामले में आवश्यक आदेश देगा।

117. भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा - भू –अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

118. हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता - कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे अधिकारों , हित या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन के किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जो उसमें प्रविष्ट किये जा चुके हों, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी , राजस्व निरीक्षक या पटवारी की, जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने का उसका पुनरीक्षण करने में लगा हो, लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिये आबद्ध होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या पुनरीक्षण के लिये आवश्यक समस्त ऐसी जानकरी या दस्तावेजों ,जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हों, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर , उसके निरीक्षण के लिये दे या पेश करे।

(2) वह राजस्व अधिकारी , राजस्व निरीक्षण या पटवारी , जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई जानकारी दी हो या जिसके समक्ष उक्त उपधारा के अधीन कोई दस्तावेज पेश की गई हो, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी जानकारी दी हो या ऐसी दस्तावेज पेश की हो, उसकी लिखित अभिस्वीकृति तुरन्त देगा और

किसी ऐसी दस्तावेज पर, उसके पेश किये जाने तथा पेश किये जाने की तारीख सम्बन्धी तथ्य का उल्लेख करते हुए, एक टीप अपने हस्ताक्षर से पृष्ठांकित करेगा।

119. जानकारी देने में उपेक्षा करने के लिये शास्ति- (1) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर धारा 109 द्वारा अपेक्षित की गई रिपोर्ट करने में या धारा 118 द्वारा अपेक्षित की गई जानकारी में या दस्तावेज पेश करने में उपेक्षा करेगा, वह तहसीलदार के विवेकाधिकार पर, एक हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा जो भू- राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

(2) [धारा 109 के अधीन] किसी प्रकार के अर्जन सम्बन्धी किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में, जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के पश्चात् पटवारी को प्राप्त हुई हो, धारा 110 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

[परन्तुक लुप्त.............]

120. नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा. – इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, मापक या पटवारी कोई नक्शा या रेखांक, जो इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर के लिये या उसके सम्बन्ध में अपेक्षित हो, तैयार करने या पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिये, भूमि के किसी धारक तथा आबादी में स्थित भू-खंड के किसी धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी भूमि या भू-खंड की सीमाएं बतलाये।

121. भू-अभिलेखों के लिये नियम बनाने की शक्ति – राज्य शासन, इस संहिता के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित भू-अभिलेखों के तैयार किये जाने, रखे जाने तथा पुनरीक्षित किये जाने का विनियमन करने हेतु नियम बना सकेगा।

122. इस अध्याय के उपबन्धों से छूट - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि वह अध्याय या इसका कोई उपबन्ध किसी उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र पर या किन्हीं भूमियों या गांवों या भूमियों के किसी वर्ग पर लागू नहीं होगा।

123. संहिता के प्रारम्भ होने के समय अधिकार अभिलेख – (1) जब तक कि मध्य भारत; भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा सिरोंज प्रदेशों के गांवों के लिये धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार न हो जाय, तब तक प्रत्येक ऐसे गांव की जमाबन्दी या खतौनी, जहां तक उसमें धारा 108 में उल्लिखित विवरण अन्तर्विष्ट हों शासन द्वारा अधिसूचित कृषि के लिये उस गांव के लिये अधिकार अभिलेख समझी जायगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमाबन्दी या खतौनी ऐसी रीति में; जैसी कि कलेक्टर द्वारा निर्देशित की जाय गांव में प्रकाशित की जायगी।

(3) जमाबन्दी या खतौनी में की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत (फाइल) की जा सकेंगी जो तहसीलदार द्वारा ऐसी रीति में निपटाई जायेंगी जो कि विहित की जाय।

(4) महाकौशल प्रदेश के गांवों की कृषि वर्ष 1954-55 की जमाबन्दी ऐसी गांवों के अधिकार अभिलेख के रूप में तक तक समझी जाती रहेगी, जब तक धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार न हो जाएं।

अध्याय – 10

सीमाएँ तथा सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण-चिन्ह

124. ग्रामों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के सीमा-चिन्हों का सन्निर्माण – (1) समस्त ग्रामों की सीमाएं नियत की जाएंगी तथा स्वामी सीमा-चिन्ह द्वारा उनका सीमांकन किया जायगा।

(2) राज्य सरकार, किसी भी ग्राम के सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकेगी कि समस्त सर्वेक्षण-संख्यांकों या भू-खंड संखयांकों की भी सीमाएँ नियत की जायँ तथा सीमा-चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाय।

(3) ऐसे सीमा चिन्ह, इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनिर्देश के होंगे तथा ऐसी में सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किये जायेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

(4) जहां नियमों द्वारा ऐसे विनिर्देश के सीमा-चिन्ह विहित किये जायँ जो किसी ग्राम में प्रचलित विनिर्देश से भिन्न हों, वहां ऐसे ग्राम में नवीन विनिर्देश उस ग्राम के भू-धारकों में से कम-से कम आधे भू-धारकों द्वारा तहसीलदार को आवेदन किया जाने पर ही प्रवर्तित किया जायगा अन्यथा नहीं। जब ऐसा आवेदन कर दिया गया हो तो तहसीलदार सम्पूर्ण ग्राम में नवीन सीमा-चिन्हों का सन्निर्माण करायेगा और उस पर हुए खर्च को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार ग्राम के भू-धारकों के बीच अनुपातता विभाजित करेगा। प्रत्येक धारक का अंश-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

(5) प्रत्येक भू-धारक, भूमि पर बनाये गये स्थायी सीमा चिन्हों तथा सर्वेक्षण-चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के लिये जिम्मेदार होगा।

125. ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों के बीच सीमाओं के बारे में विवाद – ग्रामों, सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद, जहां कि ऐसी सीमाएँ धारा 124 के उपबन्धों नियत कर दी गई हो, तहसीलदार द्वारा, ऐसी स्थानीय जांच जिसमें समस्त हितबद्ध व्यक्ति को उपसंजात होते तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा; करने के पश्चात् विनिश्चय किये जायेंगे।

126. सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को बेदखली. – (1) जब धारा 124 के उपबन्धों के अधीन कोई सीमा नियत कर दी गई हो, तो तहसीलदार किसी भी ऐसे व्यक्ति को संक्षेपत: बेदखल कर सकेगा जो किसी ऐसी भूमि का, जिसके बारे में यह पाया गया हो कि वह उसके खाते से या किसी ऐसे

व्यक्ति के, जिसकी कि मार्फत या जिसके कि अधीन वह दावा करता है, खाते से अनुलग्न नहीं है, सदोष कब्जा रखता है।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया हो, वहां वह, उन भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिये ऐसी बेदखली की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर सिविल वाद संस्थित कर सकेगा :

परन्तु तहसीलदार या किसी राजस्व अधिकारी को उस हैसियत में ऐसा वाद का पक्षकार नहीं बनाया जायगा।

(3) तहसीलदार , किसी भी समय, भू-राजस्व के ऐसे पुनर्वितरण के लिये आदेश कर सकेगा जैसा कि उसकी राय में, उपधारा (2) के अधीन संस्थित किये गये ऐसी बेदखली बाद में दी गई डिक्री के परिणामस्वरूप किया जाना चाहिए, और ऐसा पुनर्वितरण उस आदेश की तारीख के आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी होगा।

127. सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण . – (1) ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजन के लिये आरक्षित की गई भूमि से लगी हुई भूमि का प्रत्येक धारक, अपने स्वयं के खर्चे से तथा विहित रीति में –

(क) अपनी भूमि तथा उससे लगी हुई ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिये आरक्षित की गई भूमि के बीच सीमांकन , सीमा-चिन्हों द्वार करेगा ; और

(ख) समय-समय पर ऐसी सीमा चिन्हों की मरम्मत तथा उनका नवीकरण होगा।

(2) यदि धारक उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सीमांकन नहीं करता है या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण नहीं करता है तो तहसीलदार , ऐसी सूचना के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, सीमांकन करवा सकेगा या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण करवा सकेगा तथा उपगत किया गया खर्च भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा।

(3) सीमांकन के बारे में या सीमा-चिन्हों को मरम्मत करके समुचित अवस्था में बनाये रखने के बारे में कोई विवाद उठने की दशा में, वह मामला कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये, ग्राम की सड़क से अभिप्रेत है कोई ऐसी सड़क जिस पर कोई उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अंकित हों।

128. सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिये बाध्य करना. – (1) प्रतिवर्ष नवम्बर मास की समाप्ति के पश्चात् ग्राम का पटेल ऐसे प्रत्येक धारक को, जिसकी भूमि पर सीमा चिन्ह का सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण है, एक लिखित सूचना देगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह आगामी 1 मार्च के पूर्व उनकी उचित मरम्मत करवाये।

(2) किसी भी वर्ष में 1 मार्च के पश्चात्, तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी, जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किन्हीं भी त्रुटिपूर्ण सीमा-चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों की उचित रूप से मरम्मत करवा सकेगा और ऐसी मरम्मत का खर्च ऐसे सीमा-चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी धारक या धारकों से; ऐसी शास्ति सहित वसूल कर सकेगा जो इस प्रकार मरम्मत किये गये प्रत्येक सीमा-चिन्ह के लिये एक हजार रूपये तक की हो सकेगी। ऐसी खर्च तथा शास्ति भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड भू-खंड संख्यांक की सीमांकन – (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण-संख्यांक की या उपखंड या भू-खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा-चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, सर्वेक्षण-संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा-चिन्हों का, जो उपयोग में लाये जायेंगे, प्रकार विहित किया जायगा, और सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस का उद्ग्रहण प्राधिकृत किया जायगा।

130. सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों को विनष्ट करने, क्षति पहुँचाने या हटाने के लिये शास्ति – यदि कोई व्यक्ति, विधि-पूर्वक सन्निर्मित किये गये सीमा-चिन्ह या सर्वेक्षण-चिन्ह को जानबूझकर विनिष्ट करेगा या क्षति पहुँचायेगा या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटायेगा तो उसे तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जा सकेगा कि वह ऐसे प्रत्येक चिन्ह के लिये, जिसे इस प्रकार विनष्ट किया गया हो, क्षति पहुँचाई गई हो या हटाया गया हो, एक हजार रूपये से अनधिक ऐसे जुर्माने का भुगतान करे जो तहसीलदार या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी राजस्व की राय में, उसी सीमा-चिन्ह या सर्वेक्षण-चिन्ह को पुन:स्थापित करने के तथा इत्तिला देने वाले को यदि कोई हो, इनाम देने के व्यय को चुकाने के लिये आवश्यक हो।

131. मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार सम्बन्धी अधिकार – (1) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या ग्राम की बन्जर भूमि या चारागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से, जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा 242 के अधीन तैयार किये गये ग्राम के बाजिबुउल-अर्ज में अभिलिखित हैं, न होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा या इस बारे में कि वह किस स्त्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिये जल प्राप्त कर सकेगा, कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात्, उस मामले को, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुविधा को सम्यक् ध्यान रखते हुए, निश्चित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचारों के ऐसे अधिकारों को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिनका कि दावा यह सिविल वाद द्वारा कर सकता हो।

132. मार्ग आदि पर बाधा उपस्थित करने के लिये शास्ति – कोई भी व्यक्ति, जो किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क तथा पथ जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो ग्राम के वाजिबउल अर्ज में अभिलखित हैं, पर अथवा किसी सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण करेगा या उसके उपयोग में कोई बाधा पहुँचायेगा या जो धारा 131 के अधीन पारित किये गये तहसीलदार के विनिश्चय की अवज्ञा करेगा तहसीलदार के लिखित आदेश, जिसमें मामले के तथ्य तथा परिस्थितियाँ कथित की जायेंगी, के अधीन शास्ति का जो दस हजार रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।

133. बाधा का हटाया जाना – यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन डालती है या जिससे किसी ऐसी सड़क या जल सरणी या जल स्त्रोत में, जो धारा 131 के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अड़चन पड़ती है, तो वह ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और, यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाए जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रूपये तक की हो सकेगी।

134. कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिये बन्धपत्र का निष्पादन – किसी भी ऐसे व्यक्ति से; धारा 131, 132 या 133 के अधीन कोई अधिक्रमण करेगा या कोई बाधा पहुँचाएगा, तहसीलदार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति करने से विरत रहने के लिये पाँच सौ रूपये से अनधिक ऐसी राशि का, जो कि तहसीलदार ठीक समझे, स्वीय बन्धपत्र निष्पादित करे।

135. सड़क, पथ आदि के लिये भूमि का अर्जन – (1) यदि ग्रामवासियों के आवेदन पर या अन्यथा, कलेक्टर का, जांच के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम में ग्राम समुदाय के उपयोग के लिये दस फीट से अनधिक चौड़ी सड़क की, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, तो वह उस ग्राम के निवासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन देय प्रतिकर की रकम विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर जमा करें। ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर कलेक्टर, विहित रीति में प्रकाशित किये गये आदेश द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगा और ऐसा आदेश कर दिये जाने पर ऐसी भूमि राज्य सरकार में पूर्णरूप में निहित हो जायेगी।

(2) किसी भी ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर; कलेक्टर को अपने हित के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिये आवेदन कर सकेगा।

(3) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय प्रतिकर, उस पर निर्धारित किये गये या उस पर निर्धारण योग्य भू-राजस्व का पंद्रह गुना होगा।

136. इस अध्याय के प्रर्वतन से मुक्त करने की शक्ति. - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के कोई भी समस्त उपन्ध किसी ग्राम या ग्रामों के किसी वर्ग पर लागू नहीं होंगे ।

अध्याय-11

भू-राजस्व की उगाही (वसूली)

137. भू–राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा.- किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू– राजस्व उस भूमि तथा उसके लगानों एंव लाभों पर प्रथम भार होगा

138. भू-राजस्व के भूगतान के लिये उत्तरदायित्व .- (1) किसी खाते पर निर्धारित किये गये भू–राजस्व के भुगतान के लिये निम्नलिखित व्यक्ति मुख्यत: दायी होंगे .-

(क) भूमि स्वामी के खाते के मामले में, भूमि स्वामी;

(ख) किसी ऐसे खाते के मामले में, जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से मिलकर बनता हो, उसका पट्टेदार ।

(2) जब किसी खाते में एक से अधिक भूमिस्वामी या पट्टेदार हों तो ऐसे खाते पर निर्धारित किये गये भू–राजस्व के भुगतान के लिये यथास्थिति ऐसे समस्त भूमिस्वामी या पटटेदार, संयुक्त और पृथक्त: दायी होंगे ।

139. भू–राजस्व, कब्जा रखने वाली किसी भी व्यक्ति से वसूल किया जायेगा.- किसी ऐसे व्यकि्त द्वारा, जो धारा 138 के अधीन मूख्यत: दायी है, व्यतिक्रम किया जाने की दशा में भू–राजस्व, जिसके अंतर्गत बकाया भी है, कब्जा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति उससे वसूल की गई रकम को मुख्यत: दायी व्यक्ति से मुजरा कराने का हकदार होगा ।

140. तारीख, जिसको भू–राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा.- (1) किसी राजस्व वर्ष के मद्दे देय भू–राजस्व उस वर्ष के प्रथम वर्ष दिन शोध्य हो जायगा ।

(2) राज्य सरकार भू–राजस्व का भुगतान किश्तों में तथा राजस्व वर्ष के प्रथम दिन की पश्चात्-वर्ती तारीखों को (जो इसमें इसके पश्चात् विहित तारीख के नाम से विनिर्दिष्ट है) किये जाने हेतु उपलब्ध

करते हुए नियम बना सकेगी, और ऐसे नियमों में वे व्यक्ति जिनको तथा वे स्थान जहां ऐसी किश्तों का भूगतान किय जायगा, विहित किये जा सकेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन विहित किये गये व्यक्ति को भू-राजस्व का भुगतान नकदी में किया जा सकेगा या विप्रेषक के खर्चे पर मनीआर्डर किय जा सकेगा ।

(4) राजस्व वर्ष के प्रथम दिन तथा ऐसे नियमों द्वारा भू–राजस्व के भुगतान के लिये नियत की गई किसी तारीख के बीच बीतने वाली कोई कालावधि अनुग्रह की कालावधि समझी जायगी, और वह उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

141. "बकाया" तथा "बकायादार" की परिभाषाए .- कोई भी भू–राजस्व जो शोध्य हो और जिसका भुगतान विहित तारीख को या उनके पूर्व न किया गया हो, उस तारीख से बकाया हो जाता है और उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति, चाहे वे धारा 138 के उपबन्धों के अधीन उत्तरदायी हो या धारा 139 के उपबन्धों के अधीन, बकायादार हो जाते है।

142. पटेल, पटवारी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत रसीद देने के लिये आबद्ध होंगे.- (1) जहां कोई पटेल, पटवारी, ग्रामसभा या ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति से भू–राजस्व के मद्दे या भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य किसी धनराशि के मद्दे कोई भुगतान प्राप्त करे, वहां वह ऐसी राशि के लिये रसीद विहित प्ररूप में देगी ।

(2) यदि कोई पटेल; पटवारी, ग्राम या ग्राम पंचायत उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रसीद नहीं देती है तो यथास्थिति ऐसा पटेल, पटवारी या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की दशा में, वह व्यक्ति जो ऐसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की ओर से ऐसी रसीद देने के लिये उत्तरदायी है, भुगतानकर्ता के आवेदन पर, तहसीलदार के आदेश से ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो भुगतान की गई रकम के दुगुने के अधिक नहीं होगी ।

143. भू-राजस्व के भुगतान में व्यक्तिक्रम पर शास्ति.- यदि भू-राजस्व की किसी किश्त का या उसके किसी भाग का भुगतान विहित तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर न किया जाय तो उपखंड अधिकारी, जानबूझकर व्यक्तिक्रम करने वाले व्यक्ति के मामले में, ऐसी शस्ति अधिरोपित कर सकेगा जो उस रकम के, जिसका इस प्रकार भुगतान न किया गया हो, [सौ] प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु कोई भी ऐसी शास्ति, किसी भी ऐसी किश्त का, जिसका कि भुगतान सरकार के आदेश से निलम्बित कर दिया गया हो, भुगतान न किया जाने के कारण उस कालावधि की बाबत अधिरोपित नहीं की जायेगी जिसके कि दौरान वह भुगतान निलम्बित रहा हो ।

144.फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका निलम्बन .- (1) राज्य सरकार, उन वर्षो में, जिनमें किसी क्षेत्र में फसले मारी गई हों जिन वर्षो में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विधि के अधीन किये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप , किसी क्षेत्र में फसलें नहीं उगाई जा सकी हों, भू–

राजस्व की माफी या उसका निलम्बन कर सकेगी, और माफी या निलम्बन का अवधारण इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) किसी राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा और किसी ऐसे आदेश का प्रतिवाद करने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

145. प्रमाणित लेखा, बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा.- (1) कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किये गये लेखा-विवरण के बारे में, तब तक कि प्रतिकूल सावित न कर दिया जाय, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये यह उपधारित किया जायेगा कि वह सरकार को देय बकाया या उसकी रकम तथा उस व्यक्ति का, बकायादार है, सही विवरण है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया विवरण तैयार करने के पूर्व बकायादार को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

146. मांग की सूचना.- तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बकाया की वसूली के लिये धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी होने के पूर्व, किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवा सकेगा ।

147. बकाया की वसूली के लिये आदेशिका.- सरकार को या ग्राम सभा को देय भू- राजस्व का बकाया तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित आदेशिकाओं में से किसी एक या अधिक आदेशिकाओं द्वारा वसूल किया जा सकेगा –

(क) जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा;

(ख) उस खाते की जिस पर बकाया शोध्य है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा और जहां ऐसा खाता एक से अधिक सर्वेक्षण-संख्याकों या भू–खंड संख्यांकों से मिलकर बना हो, वहां ऐसे सर्वेक्षण संख्यांकों में से एक या अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के, जैसा भी कि उस बकाया को वसूल करने के लिये आवश्यक समझा जाय, विक्रय द्वारा:

परन्तु किसी सहकारी सोसायटी के किन्ही शोध्यों की वसूली के लिये किसी भी खाते का विक्रय, धारा 154-क में विहित प्रकिया को पहले नि:शेष किए बिना नही किया जायगा;

(खख) उस खाते की, जिस पर कि बकाया शोध्य है, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154-क के अधीन पट्टे पर देकर;

(खखख) बकायादार के किसी अन्य खाते की, जो कि कृषि के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154-क के अधीन पट्टे पर देकर;

(ग) बकायादार की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा:

परन्तु खंड (क) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं से निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकेगा, अर्थात् -.

(एक) बकायादार , उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहिनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, चारपाइयाँ तथा बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हे कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक् नहीं कर सकती;

(दो) शिल्पियों के औजार और यदि बकायादार कृषक है तो यान्त्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण के अतिरिक्त उसके खेती के उपकरण और ऐसे मवेशी तथा बीज जो तहसीलदार की राय में, उसे उस हैसियत में अपनी जीविका उपार्जित करने में समर्थ बनाने मे लिये आवययक हो;

(तीन) वे वस्तुएं जो केवल धार्मिक विन्यासों के उपयोंग के लिये पृथक रख दी गई हो;

(चार) किसी कृषक के तथा उसके अधिभोग में के गृह तथा अन्य भवन (उनकी सामग्रियों तथा उनके स्थलों सहित एवं उस भूमि सहित, जो कि उनसे बिलकुल लगी हुई हों तथा उनके उपयोग के लिये आवश्यक हो:

परन्तु यह और भी कि खंड (बी) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी जहां कि बकायादार -

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में छह हेक्टर या छह हेक्टर से कम भूमि; या

(दो) अन्य क्षेत्रों में, चार हेक्टर या चार हेक्टर से कम भूमि धारण करता हो ।

स्पष्टीकरण .- इस परन्तुक के प्रयोजन के लिये "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो।

148. खर्चे-बकाया के भाग के रूप में वसूल किये जा सकेंगे– धारा 146 के अधीन मांग की सूचना तामील करने का या धारा 147 में की कोई आदेशिका जारी करने तथा प्रवर्तित करने का खर्च उस बकाया के, जिसकी कि बाबत् उस सूचना की तामील की गई थी या वह आदेशिका जारी की गई थी, भाग के रूप में वसूल किया जा सकेगा

149. अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन .- धारा 147 के खंड (क) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाएँ या तो उस जिले में, जिसमें कि व्यतिक्रम किया गया है या किसी अन्य जिले में प्रवर्तित कराई जा सकेगी ।

150. अभ्यापत्ति के साथ भुगतान तथा वसूली के लिये वाद.- (1) यदि भू–राजस्व की बकाया की वसूली के लिये किसी वयक्ति के विरूद्ध कार्यवारियॉ इस अध्याय के अधीन की जाती है, तो वह व्यक्ति सम्पति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व किसी भी समय उस रकम का जिसका कि दावा किया है, भुगतान कर सकेगा और उसी समय, स्वयं द्वारा या अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरित अभ्यापित ऐसी कार्यवाहियाँ करने वाले राजस्व अधिकारी को परिदत्त कर सकेगा और तदुपरि वे कार्यवाहियाँ रोक दी जायेगी।

(2) उपधारा (1) उपबन्धों का अनुपालन करने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 145 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपखंड अधिकारी को इस आशय का आवेदन कर सकेगा कि कुछ भी शोध्य नहीं था यह कि शोध्य रकम उस रकम के कम थी जिसकी कि वसूली के लिये कार्यवाहियां की गई थी और उपखंड अधिकारी इस प्रकार उठाई गई आपत्ति को विनिश्चित करेगा ।

(3) उपखंड अधिकारी के उस आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी जो कि उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया हो, किन्तु सम्बन्धित व्यक्ति अभ्यापित के साथ भुगतान की कोई राशि या उसके भाग को वसूली के लिये सिविल वाद संस्थित कर सकेगा ।

151. विक्रय-आगमों का उपयोजन .- (1) इस अध्याय के अधीन के प्रत्येक विक्रय के आगम, प्रथमत: उस बकाया की जिसके कि कारण विक्रय किया गया था तथा ऐसे विक्रय के व्ययों की तुष्टि के लिये, द्वितीयत: सम्बन्धित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकायादार से शोध्य उपकरों की किसी बकाया के भुगतान के लिये, तृतीयत: बकायादार द्वारा राज्य सरकार को देय किसी अन्य बकाया के भुगतान के लिये, और चतुर्थत: बकायादार से किसी सहकारी सोसायटी का शोध्य किसी बकाया के भूगतान के लिये उपयोजित किये जायेंगे और इसके बाद यदि कोई अधिशेष हो, तो वह उसको, या जहां एक से अधिक बकायादार हों, वहां ऐसे बकायादारों को उनके अपने-अपने उन अंशों के अनुसार देय होगा जो कि वे बेची गई सम्पत्ति में रखते हों:

परन्तु ऐसे अधिशेष का बकायादार या बकायादारों को भुगतान तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि जंगम सम्पत्ति के मामले में विक्रय की तारीख से, या स्थावर सम्पत्ति के मामले में विक्रय के पुष्टिकरण की तारीख से दो मास का अवसान न हो गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 147 के खड (ग) के अधीन विक्रय के आगम, प्रथमत: बेची गई स्थावर सम्पति की बाबत् विक्रय की तारीख तक के लिये बकायादार द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया के भुगतान के लिये उपयोजित किये जायेंगे और अधिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अनुसार उपयोजित किया जायेगा।

152. बकाया के लिये बेची गई भूमि विल्लंगमों से मुक्त होगी.- (1) जब तक उपखंड अधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निदेश न दे उस भूमि का जो उसके सम्बन्ध में शोघ्य भू–राजस्व के बकाया के लिये बेची गई हो, क्रेता, उस भूमि को उन समस्त विल्लंगमों से, जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अधिरोपित किये गये हों, तथा उन समस्त अनुदानों एवं संविदाओं से, जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि की बाबत की गई हों, मुक्त रूप से अर्जित करेगा ।

(2) किन्हीं ऐसे वृक्षों के या किन्हीं ऐसे वृक्षों की उपज के, जो उस भूमि के, जिसमें कि वे खडें हैं, भूमिस्वामी की सम्पत्ति हो या किसी समय सम्पत्ति रहे हों, सम्बन्ध में किये गये किसी अन्तरण, अनुदान या संविदा के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह ऐसा अनुदान या संविदा है जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (1) के तात्पर्य के अंतर्गत की गई है ।

153. क्रेता का हक-. जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह सम्पत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गई समझी जायेगी जबकि सम्पत्ति का विक्रय किया गया हो न कि उस समय से जब कि विक्रय पूर्ण हो जाता है ।

154. क्रेता, विक्रय से पूर्व शोध्य भू–राजस्व के लिये दायी नहीं होगा .- धारा 138 या धारा 139 में किसी बात के होते हुए भी, क्रय के प्रमाण-पत्र में नामित व्यक्ति उस भू-राजस्व के लिये दायी नहीं होगा जो विक्रय की तारीख से पूर्व की किसी कालावधि के लिये उस भूमि के सम्बन्ध में देय है।

154.क. उस खाते को जिसके सम्बन्ध में बकाया शोघ्य हो या बकायादार किसी अन्य खाते को पटटे पर देने की तहसीलदार की शक्तियाँ -.(1) जहाँ किसी खाते के समन्ध में भू–राजस्व का बकाया शोध्य हो या जहां कोई धन उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें धारा 155 के अधीन भू– राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है; वहां तहसीलदार इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी के शोध्यों की वसूली के लिये धारा 147 के खंड (ख) के अधीन या खंड (खख) या खंड (खखख) के अधीन जैसी भी कि दशा हो खाते को कुर्क करने के पश्चात् उस खाते को जिस पर बकाया शोध्य है, या बकायादार के किसी ऐसे अन्य खाते को जो कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता है, बकायादार के भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जो कलेक्टर नियत करे, दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा जो ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ होती हो:

परन्तु किसी सहकारी सोसायटी के शोध्यों की वसूली के लिये कुर्क किया गया खाता दस वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये पट्टे पर दिया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे भूमि स्वामी के, जो ऐसी जनजाति का सदस्य है, जो धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित की गई है, खाते की कोई भूमि, ऐसी जनजाति के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी जायगी ।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भू राजस्व के बकाया के भुगतान के लिये या किसी ऐसे धन के जो उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें कि धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया किया जाता है, बकाया के भुगतान के लिये इस कोड के अधीन दायी हो

(3) पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर, वह खाता सम्बन्धति वयक्ति को, ऐसे खातों के सम्बन्ध में बकाया के लिये राज्य सरकार के किसी दावे से मुक्त रूप में या ऐसे धनों के लिये, जो उसी रीति में वसूल योग्य हों जिसमें धारा 155 के अधीन भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के या किसी भी अन्य प्राधिकारी के किसी भी दावे से मुक्त रूप में वापस दिला दिया जावेगा जिन दावों की तुष्टि के लिये कि वह खाता उपधारा (1) के अधीन पट्टे पर दिया गया था :

परन्तु इस उपधारा में कोई भी बात किसी सहकारी सोसाइटी के शोध्यों की वसूली के लिये कुर्क किये गये और पट्टे पर दिये गये खाते को उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां उन शोध्यों की, जिनकी तुष्टि

के लिये वह उपधारा (1) के अधीन पट्टे पर दिया गया था, पूर्ण तुष्टि पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर नहीं होती है ।

155. भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन. - निम्नलिखित धन, यथाशक्य, इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है.-

(क) ऐसे प्रभारों के सिवाय जो धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन भू-राजस्व में सम्मिलित किये गये हैं, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय या उद्ग्रहणीय समस्त लगान, स्वामित्व जल की दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम, शास्तियाँ, जुर्माने तथा खर्च;

(ख) ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान ; पट्टे संविदा के, जिसमें यह उपबन्ध हो कि वे उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, अधीन राज्य सरकार के शोध्य होते हैं;

(खख) किसी प्रत्याभूति संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये समस्त धन जिनके सम्बन्ध में उस प्रत्याभूति -संविदा में यह उपबन्ध हो कि वे उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है;

(ग) ऐसी समस्त शक्तियाँ जिनके बारे में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल योग्य होंगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है; और

(घ) कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह राशि किसी सोसाइटी के आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में या समापक के खर्च में वसूल की जाय :

परन्तु खंड (घ) में विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी जब तक कि ऐसे आवेदन के साथ, ऐसी विधि के अधीन नियुक्ति किये गये रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण -पत्र संलग्न न कर दिया गया हो कि उक्त राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जानी चाहिए

(ड.) समस्त धन-

(एक) जो मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कृषकों को कृषि के या भूमि के सुधार के प्रयोजनार्थ बेचे कृषिक उपकरणों या अन्य सामग्री के विक्रय सम्बन्धों किसी करार के, जो कि उक्त निगम द्वारा किया गया

हो, अधीन शास्ति के कारण, उक्त उपकरणों या सामग्री के दामों के कारण या अन्यथा उक्त निगम को देय होते हो;

(दो) जो उक्त निगम द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त निगम के साथ किये गये पट्टे, संविदा या करार के अधीन या उस निगम के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगम को शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगम को देय होते हों:

परन्तु इस खडं में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे आवेदन-पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो

(च) समस्त धन जो-

(एक) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा उद्यमियों को किसी उद्योग की स्थापना करने, उसका विस्तार करने या उसके चलाने के प्रयोजन के लिये या किसी उद्योग से आनुषंगिक किसी अन्य प्रयोजन के लिये बेची गई मशीनरी या अन्य सामग्रियों का भाड़ा क्रय पर या अन्यथा विक्रय किये जाने सम्बन्धी किसी करार के, जो कि उक्त निगमों द्वारा किया गया हो, अधीन सेवा प्रभार के कारण, शास्ति के कारण, ब्याज के कारण, उक्त मशीनरी या अन्य सेवा सामग्रियों के मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हों;

(दो) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा किसी पट्टे, संविदा या करार के अधीन यथास्थिति भाडे पर दिये गये या बेचे गये किसी भवन के किराये या मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हो;

(तीन) मध्यप्रदेश लद्यु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त निगमों के साथ किये गये पट्टे, संविदा या करार के अधीन उक्त निगमों के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगमों के शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्ति निगमों को देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये आवेदन-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तब कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबंध-निदेशक

द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो ।

(छ) समस्त धन जो-

(एक) नल कूपों के सन्निर्माण सम्बन्धी प्रभारों के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हो;

(दो) किन्हीं उत्सिंचन स्कीमों से सिंचाई के प्रयोजन से प्रदाय किये गये जल के मद्दे लगने वाले जल कर के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों;

(तीन) मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ निष्पादित किये गये किसी पट्टे करार या संविदा के अधीन उक्त कार्पोशन को शोध्य किसी धनराशि के कारण देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र तब तक कोई कार्यवाही नही की जायगी जब तक कि ऐसे आवेदन-पत्र के साथ उक्त कार्पोशन के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो ।

156. प्रतिभू से धनों की वसूली. - प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के किसी भी उपबन्ध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के या किसी अनुदान, पट्टे या संविदा के जिसके कि अधीन वह राशि, जो कि प्रतिभूति की गई है, मूल ऋणी से भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है, अधीन प्रतिभूत बन गया हो, उस रकम का या उसके किसी भाग का जिसका कि भुगतान करने के लिये वह अपने प्रतिभूति पत्र के निबन्धनों के अधीन दायी हो गया हो, भुगतान न करने की दशा में इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरूद्ध इस संहिता के उपबन्धों के अधीन उस रीति मे कार्यवाही की जाय जिसमें कि भू–राजस्व के बकाया के लिये कार्यवाही की जाती है ।

अध्याय-12

भू-धारणाधिकारी

157. भू–धारणाधिकारी (भू-धृति) का वर्ग.- राज्य के धारित भूमियों के भू-धारणाधिकारियों का केवल एक ही वर्ग होगा जो भूमि स्वामी के नाम से ज्ञात होगा

158 भूमिस्वामी .- (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, निम्नलिखित किन्हीं भी वर्गों का हो, भूमिस्वामी कहलायेगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी को प्रदत्त किये गये हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी पर अधिरोपित किये गये हैं, अर्थात् .-

(क) प्रत्येक व्यकित उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्र. 2 सन् 1955) के उपबन्धों के अनुसार भूमिस्वामी या भूमिधारी अधिकारो में उसके द्वारा महाकौशल क्षेत्र मे धारित हो;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि मध्य भारत भू-आगम एवं कृषिकाधिकार विधान, सम्वत् 2007 (क्र. 66 सन् 1950) में यथा परिभाषित पद का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में उसके द्वारा मध्य भारत में धारित हो;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि भोपाल स्टेट लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1932 (क्र. 4 सन् 1932) में यथा-परिभाषित दखलकार के रूप मे उसके द्वारा भोपाल क्षेत्र मे धारित हो;

(घ)(एक) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध जो कि विन्ध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्र. 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित पचपन-पैंतालीस ; पट्टेदार कृषक, निकुन्जधारी के रूप में या तालाब धारक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के (जो उस भूमि से, जो निकुंज या तालाब हो या जो सरकारी या लोक प्रयोजनो के लिये अर्जित की गई हो या उन प्रयोजनो के लिये अपेक्षित हो, भिन्न हो) सम्बन्ध में जो कि गैर हकदार कृषक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारा 57 की धारित हो और जिसके कि सम्बन्ध में वह रीवा स्टेट लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड, 1935 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि कृषक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके सम्बंध में वह विन्ध्यप्रदेश लैडं रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्र. 3 सन् 1955) की धारा 151 की उपधारा 2 तथा

3 से उपबन्धो के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो किंतु जिसने ऐसा पट्टा इस सहिता के प्रवृत्ता होने के पूर्व अभिप्राप्त न किया हो

(ड.) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1955 (क्र. 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित खातेदार कृषक के रूप में या निकुंजधारी के रूप मे उसके द्वारा सिरोंज क्षेत्र में धारित हो

(2) किसी ऐसे देशी राज्य का, जो कि मध्यप्रदेश राज्य का भाग है, शासक, जो संविधान प्रारम्भ होने के पूर्व उसके द्वारा की गई प्रसंविदा या करार के आधार पर ऐसे शासक के रूप में इस कोड के प्रवृत्त होने के समय भूमि धारण किये हुए था या भूमि धारण के हकदार था, इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से इस कोड के अधीन ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अध्यधीन होगा जो कि इस कोड के द्वारा या अधीन किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किये गये हों ।

स्पष्टीकरण .- धारा में अभिव्यक्ति ''शासन" तथा "देशी राज्य" के वही अर्थ होंगे जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खंड (22) तथा (15) में इन अभिव्यक्तियों के लिये दिये गये है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति---

(एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्यप्रदेश भू-राज्स्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, और

(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्वामी अधिकार में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से,

ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामी समझा जायेगा और उन समस्त अधिकारों दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अन्तरित नहीं करेगा ।

159. भूमिस्वामियों द्वारा देय भू-राजस्व - धारा 158 के अधीन भूमि स्वामी होने वाला प्रत्येक व्यक्ति-

(क) यदि वह अपने द्वारा धारित भूमियों के सम्बन्ध में भू-राजस्व का भुगतान कर रहा था ऐसे भू-राजस्व का; या

(ख) यदि वह अपने द्वारा धारित भूमियों के सम्बन्ध में लगान का भुगतान कर रहा था ऐसे लगान के बराबर की रकम का; भू-राजस्व के रूप में भुगतान करेगा ।

160. भू–राजस्व का भुगतान करने के दायित्व से दी गई छूट का प्रतिसंहरण – (1) कहीं भी स्थित प्रत्येक माफी या इनाम भूमि, जिसे सरकार के विशेष अनुदान से या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन या किसी अन्य लिखित के अनुसरण में, सम्पूर्ण भू–राजस्व या उसके किसी भाग के भुगतान से इसके पूर्व छूट दे दी गई थी, इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पश्चात् आने वाले राजस्व वर्ष के प्रारंभ से उस सम्पूर्ण भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन होगी जो कि उस भूमि पर निर्धारणीय हो; भले ही किसी ऐसे अनुदान विधि या लिखित में कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हों ।

(2) जहां कोई ऐसी माफी या इनाम भूमि किसी सार्वजनिक ; धार्मिक या पूर्त संस्था को बनाये रखने या उसके समारक्षण के लिये धारित हो, वहां राज्य सरकार , ऐसी संस्था के आवेदन पर; जो विहित प्ररूप तथा विहित समय के भीतर किया गया हो उसे भू–राजस्व में उसके द्वारा उपयुक्त छूट की रकम से अनधिक ऐसी वार्षिकी प्रदान कर सकेगी जो ऐसी संस्था को समुचित रूप से बनाये रखने या उसके समारक्षण के लिये वार्षिक प्रदान कर सकेगी जो ऐसी संस्था को समुचित रूप से बनाये रखने या उसके समारक्षण के लिये अथवा उसके द्वारा की जाने वाली सेवा को चालू रखने के लिये युक्तियुक्त समझी जाय।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रदान की गई वार्षिकी ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जो कि विहित की जाय, और वह राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, पुनरीक्षित या प्रत्याहृत की जा सकेगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन आवेदन कर दिया जाता है, वहां सम्बन्धित संस्था से भू-राजस्व की वसूली आवेदन का विनिश्चय होने तक के लिये रोक दी जायगी।

161. बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान राजस्व में कमी.--- कलेक्टर , बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान किसी समय, भूमिस्वामी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसे नियमों के अनुसार , जो कि इस सम्बन्ध में बनाये जायें, किसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर कम कर सकेगा ;

अर्थात् ---

(एक) यह कि भूमि बाढ़ों के परिणामस्वरूप या ऐसे भूमि–स्वामी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से पूर्णत: या भागत: खेती के अयोग्य हो गई है।

(दो) यह कि राज्य खर्चे से सन्निर्मित तथा अनुरक्षित सिंचाई का कोई स्त्रोत, चाहे वह नया हो या पुराना, बेमरम्मत पडा हुआ है और उससे उसके सम्पूर्ण खाते, या उसके किसी भाग की, जिसको कि राजस्व की बढाई गई दर सिंचाई के कारण लागू कर दी गई है, सिंचाई नही हो रही है।

(तीन) यह कि सिंचाई के किसी प्राइवेट स्त्रोत से उसके सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग की, जिस पर बढ़ाये गये भू-राजस्व का निर्धारण सिंचाई के कारण किया गया है, किसी ऐसे कारण से, जो भूमिस्वामी के नियंत्रण से परे है, सिंचाई नही हो रही है।

(चार) यह कि भूमिस्वामी द्वारा उस भूमि के सम्बन्ध में देय राजस्व उस राजस्व से अधिक है जिसकी की संगणना ऐसी भूमि के लिये गत बन्दोबस्त में या किसी अन्य विधि के अधीन है नियत की गई दरों से की गई थी।

(पांच) यह कि ऐसे भूमि–स्वामी के खाते का क्षेत्रफल, किसी कारण, से उस क्षेत्रफल से कम हो गया है जिस पर विघमान भू-राजस्व निर्धारित किया गया था।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कमी का आदेश किया जाता है, वंहा ऐसी कमी उन आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावशील होगी।

(3) यदि वह हेतुक; जिसकी कि वजह से उपधारा के अधीन राजस्व में कमी की गई हो, बाद में नहीं रह जाता है या दूर कर दिया जाता है, तो कलेक्टर, भूमिस्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसी कमी प्रभाव में नही रहेगी, और ऐसा आदेश पारित कर दिया जाने पर ऐसी कमी उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रतिसंहृत हो जायगी।

[162. x x x]

163. भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के लिये लम्बित आवेदन. -- भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के लिये भूमिधारियों द्वारा किये गये समस्त ऐसे आवेदन, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व महाकौशल क्षेत्र के किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष चाहे अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में या चाहे अन्यथा लम्बित हों, फाईल कर दिये जायेंगे और ऐसे भूमिधारियों द्वारा जमा रकम, यदि कोई हों, उन्हें वापस कर दी जायगी।

164. न्यागमन - भूमिस्वामी का हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसकी स्वीय विधि के अध्यधीन रहते हुए, यथास्थिति विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा संक्रान्त होगा

165. अन्तरण के अधिकार - (1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के तथा धारा 168 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि का कोई भी हित [.........] अन्तरित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) भूमिस्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बन्धक इसके पश्चात् तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कम से कम पाँच एकड सिचिंत भूमि या दस एकड़ असिंचित भूमि किसी भी विल्लंगम या भार से मुक्त रूप में उसके पास न बच जाय;

(ख) खंड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी द्वारा किसी भी भूमि का कोई भाग बन्धक इसके पश्चात् विधिमान्य नहीं होगा यदि वह छह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये हो, और जब तक कि उस बन्धक की एक शर्त यह न हो कि बन्धक विलेख में वर्णित की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर उस बन्धक के सम्बन्ध में यह समझा

जायेगा कि भूमिस्वामी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किये बिना ही उसका पूर्णत: मोचन हो गया है, और बन्धकदार उस बन्धक भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को तुरन्त वापस दे देगा ;

(ग) यदि बन्धक की गई भूमि का कोई कब्जा बन्धकदार बन्धक की कालावधि का छह वर्ष का, इनमें से जिसका भी अवसान पहले होता हो, अवसान हो जाने के पश्चात् भूमि का कब्जा नहीं सौपता है, तो बन्धकदार तहसीलदार के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किये जाने का दायी होगा और तहसीलदार द्वारा बन्धककर्ता को उस भूमि का कब्जा दिया जायेगा :

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि के बन्धक के मामले में लागू नहीं होगी जो भूमिस्वामी द्वारा कृषि -भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो

(3) जहां भूमिस्वामी उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में अपनी भूमि का कोई ऐसा बन्धक करता है जो भोग-बन्धक से भिन्न हो, वहां बन्धक विलेख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्धक के अधीन प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की कुल रकम बन्धकदार द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नही होगी।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जावेगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो; सहित खेल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाएं, अधिक हो जाये;

(ख) x x x];

परन्तु -

(एक) इस उपधारा में की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी-

(क) (एक) किसी सार्वजनिक , धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किये गये अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक के रूप में किये गये अंतरण की दशा में;

(दो) किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में औधोगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक रूप में किये गये अंतरण की दशा में; तथापि इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजनों के लिये कोई भी बन्धक, किसी अग्रिम की वसूली के लिये विक्रय की धारा 147 के खंड (ख) के उल्लंघन में प्राधिकृत नहीं करेगा ;

(ख) कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित भूमि के अंतरण की दशा में :

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (एक) के उपखंड (क) के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि का अन्तरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् -

(एक) यदि ऐसे भूकि किसी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जानी हो तो ऐसे व्यपवर्तन के लिये धारा 172 के अधीन उपखंड अधिकारी की अनुज्ञा ऐसे अंतरण के पूर्व प्राप्त कर ली गई है; और

(दो) धारा 172 के उपबन्ध ऐसे अंतरण को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि उसकी उपधारा (1) के परन्तुक में वर्णित तीन मास तथा [एक मास] [छः मास] की कालावधि, ऐसे व्यपवर्तन हेतु आवेदन के प्रयोजनों के लिये क्रमाश: पैंतालीस दिन और [एक मास] [नब्बे दिवस] होगी ।

स्पष्टीकरण .- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, किसी व्यक्ति के कुटुम्ब में वह व्यक्ति स्वयं, उसकी अवयस्क संतान तथा ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसका पति जो उनके साथ संयुक्त रूप से रहता हो, और यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो तो उसके साथ संयुक्त रूप से रहने वाले उनके माता पिता सम्मिलित होंगे।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भूमिस्वामी की कोई भी भूमि, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन से, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जायेगी जो ऐसे विक्रय के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जायगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाय, अधिक हो जाय:

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में लागू नहीं होगी जहां ऐसी सोसाइटी के पक्ष में पारित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी ऐसी भूमि का विक्रय धारा 154-एक में विहित प्रक्रिया नि:शेष करने के पश्चात् किया जाना हो ।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, अभिव्यक्ति 'किसी व्यक्ति के कुटुम्ब' का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिये उपधारा (4) में दिया है।

(6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिये, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार -

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसे तारीख से, जिसे/जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा;

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा ।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति 'अन्यथा' के अंतर्गत पट्टा नहीं आता है ।

(6-क) उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी जनजाति के जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया है भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी का कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि में का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजामि का न हो कलेक्टर की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना विक्रय द्वारा अन्यथा अथवा उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप , न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा:

परन्तु 9 जून, 1980 के पश्चात् तथा 20 अप्रैल 1981 के पूर्व किया गया ऐसा प्रत्येक अंतरण, जो इसमें अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार न हो, जब तब कि ऐसे अंतरण का अनुसमर्थन कलेक्टर द्वारा इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता, शून्य होगा और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, भले ही इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो ।

(6-ख) परिसीमा अधिनियम , 1963 (1963 का स. 36) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या ऐसे संव्यवहार से तीन वर्ष के भीतर, ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाय, इस निमित्त आवेदन किया जाने पर ऐसा जाँच, जैसी कि वह उचित समझे, कर सकेगा, और ऐसे अन्तरण से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अन्तरण का अनूसमर्थन करने वाला या अन्तरण का अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(6-ग) कलेक्टर , उपधारा (6-क) के अधीन अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला अथवा उपधारा (6-ख) के अधीन संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन से इंकार करने वाला कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा -

(एक) क्या वह व्यक्ति, जिसे भूमि अंतरित की जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है या नहीं;

(दो) वह प्रयोजन जिसके लिये भूमि अंतरण के पश्चात् उपयोग में लाई जायेगी या जिसके लिये उपयोग में लाया जाना संभाव्य है;

(तीन) क्या अंतरण से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक , सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति होती है या ऐसे हितों की पूर्ति होना संभाव्य है अथवा क्या वह ऐसे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(चार) क्या दिया गया प्रतिकूल पर्याप्त है;

(पांच) क्या ऐसा संव्यवहार मिथ्या, बनावटी या बेनामी है; और

(छ:) ऐसी अन्य बातें जो विहित की जायें।

कलेक्टर की उपधारा (6-क) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला विनिश्चय अथवा उपधारा (6-ख) के अधीन अंतरण के संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला विनिश्चय अंतिम होगा भले ही कोड में नई प्रतिकूल बात अंतर्विष्ट क्यों न हो ।

स्पष्टीकरण .-- इस धारा के प्रयोजन के लिये –

(क) 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसे भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया;

(ख) अंतरण मिथ्या, बनावटी या बेनामी नहीं था यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जों यह दावा करता है कि ऐसा अंतरण विधिमान्य है ।

(6-घ) उपधारा (6-क) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया जाने या उपधारा (6-ख) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया जाने पर, असमिति , यदि भूमि उसके कब्जे में है, कब्जा तुरंत छोड़ देगा और मूल भूमिस्वामी को उस भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा।

(6-ड) यदि भूमिस्वामी किसी भी कारण से उस भूमि का जिसके कब्जे का अधिकार उसे उपधारा (6-घ) के अधीन प्रत्यावर्तित हो जाता है, कब्जा नहीं लेता है या कब्जा लेने में असमर्थ रहता है, तो कलेक्टर उस भूमि का कब्जा ग्रहण करवाएगा , और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाय, उस भूमि का प्रबंध भूमि-स्वामी की ओर से उस समय तक करवायेगा जब तक कि मूल भूमि-स्वामी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर लेता:-

परंतु यदि कब्जा प्रत्यावर्तित करने में कोई प्रतिरोध किया जाता है तो कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवायेगा जैसा कि आवश्यक हो ।

(6-ड.-ड.) उपधारा (6) के अधीन घोषित किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आदिम जनजाति का न हो, अन्तरित की गई कृषि भूमि ऐसे अंतरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित नहीं की जायेगी ।

(6-च) इस कोड में तत्यमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (6-क) से [6-ड ड)] तक के उपबन्ध प्रभावशील होंगे।

(7) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) जहां किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल या उस भूमिस्वामी के एक से अधिक खाते होने की दशा में उसके समस्त खातों का कुल क्षेत्रफल सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, वहां उसके खाते या खातों में की भूमि का केवल उतना क्षेत्रफल, जितना कि सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि से दस एकड़ से अधिक हो, किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किये जाने, बेचे जाने के दायित्वाधीन होगा ।

(ख) किसी ऐसे जनजाति के, जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबन्धों के प्रतिकूल, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन कोई रिसीवर किसी भूमिस्वामी की भूमि का प्रबंध करने के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा और न कोई भी ऐसी भूमि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का संख्यांक 5) के अधीन किसी न्यायालय अथवा किसी रिसीवर में निहित होगी:

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां कि किसी बंधक द्वारा उस भूमि पर कोई भार सृजित किया गया हो ।

(7-क) उपधारा (1) में अंनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी, भूस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि में के किसी भी हित का कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अन्तरण कर दें।

(7-ख)उपधारा (1) में अंनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा ।

(8) इस धारा में की कोई बात किसी भूमिस्वामी, को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का संख्यांक 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का संख्यांक 12) के अधीन दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतकरण करने से नहीं रोकेगी या राज्य सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।

(9) इस धारा में की कोई भी बात –

(एक) किसी भूमिस्वामी की, किसी ऐसी अग्रिम के जो उसे किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिया गया हो, संदाय को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार को बंधक के रूप में अंतरित करने से निवारित नहीं करेगी । किंतु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वसूली सुनिश्चत करने के लिए भूमि का विक्रय धारा 154-क में विहित प्रक्रिया को नि:शेष किये बिना नहीं किया जायेगा; या

(दो) किसी भूमि-स्वामी को दिये गये अग्रिम की वसूली धारा 154-क के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित करने के ऐसी किसी सोसाइटी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(9-क) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे भूमिस्वामी को, जो विस्थापित व्यक्ति हो, किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या उस प्राधिकारी के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में "विस्थापित व्यक्ति" से अभिप्रेत है उन राज्य क्षेत्रों से, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में समाविष्ट है, विस्थापित हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी किसी स्कीम के अधीन 1 अप्रैल सन् 1957 को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में पुनर्वासित किया गया है ।

(9-ख) इस धारा की कोई भी बात भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे कृषि के प्रयोजन के लिये या खाते के सुधार के प्रयोजन के लिये, किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया गया हो भुगतान को प्रतिभूति करने के हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या किसी ऐसे बैंक के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली के हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।

(10) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, जो उस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के लिए सशक्त हो, किसी भी ऐसी दस्तावेज को, जो इस धारा के उपबंधों करने के लिये तात्पर्यित है, रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण नहीं करेगा ।

(11) इस धारा में की कोई भी बात –

(क) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यत: किया गया था, अविधिमान्य नहीं बनायेगी, या

(ख) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यत: किया गया था, विधिमान्य नहीं बनायेगी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये, एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जायगा और इसी प्रकार इसका विपर्यय ।

166. **कतिपय अंतरणों के मामले में समपहरण** – (1) यदि भूमि का अंतरण धारा 165 की उपधारा (4) के खंड (क) के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है, तो अन्तरिती के पास की उतनी भूमि जो विहित की उच्चतम सीमा के ऊपर हो, अंतरिती द्वारा विहित कालावधि के भीतर चयन कर ली जाने पर और उपखंड अधिकारी द्वारा उसका सीमांकन ऐसे नियमों के, जो उस संम्बंध में बनाये जायें; अनुसार कर दिया जाने के पश्चात, राज्य सरकार समपहृत हो जायेगी:

परंतु यदि अंतरिती विहित कालावधि के भीतर चयन नहीं करता है तो ऐसा चयन उपखंड अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(2) x x x]

(3) उपखण्ड अधिकारी, उपधारा (1) तथा (2) में, निर्दिष्ट किए गये मामलों में, अंतरिती के पास बच रही भूमि के संबंध में भू- राजस्व, विहित रीति में नियत करेगा ।

167. भूमि का विनिमय (Exchange of Land). --- धारा 165 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी, खेतों की चकबंदी के प्रयोजनों के लिये, या खेतों में और अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये, अपने सम्पूर्ण खाते या उससे किसी भाग का विनिमय पारस्परिक करार द्वारा कर सकेंगे ।

168. पट्टे – (1) उन मामलों में के सिवाय जिनके कि लिये उपधारा (2) में उपबंध किया गया है, कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी भूमि को तीन वर्ष की किसी क्रमवर्ती कालावधि के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिये पट्टे पर नहीं देगा:

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी भूमि के ऐसे पट्टे को लागू नहीं होगी जो –

(एक) भूमिस्वामी द्वारा ऐसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि सोसाइटी को दिया गया हो जिसका कि वह सदस्य है;

(दो) भूमि-स्वामी द्वारा कृषि- भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) “पट्टा” से अभिप्रेत है किसी भूमि का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिये, किसी कीमत के, जो दी हो, या जिसे देने का वचन दिया गया हो अथवा धन या किसी अन्य मूल्यांकन वस्तु के, जो

कालावधीय रूप से अंतरिती द्वारा, जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनो पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो;

(ख) किसी ऐसे ठहराव को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति (पट्टेदार) अपने बैलों से या अपने द्वारा उपाप्त बैलों से और उसके द्वारा भूमिस्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमिस्वामी की किसी भूमि पर खेती करना है, पट्टा समझा जायेगा;

(ग) केवल पास काटने या पशु चराने या सिंघाड़ा उगाने या लाख का प्रजनन या संग्रहण करने, तेंदू पत्ते तोड़ने या उनका संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि या पट्टा नहीं समझा जायेगा ।

(2) भूमिस्वामी , जो—

(एक) विधवा है; या

(दो) अविवाहित स्त्री है, या

(तीन) ऐसी विवाहित स्त्री है जिसे पति ने त्याग दिया हे, या

(चार) अवयस्कता है; या

(पांच) ऐसा व्यक्ति है जो वृद्धावस्था के कारण या अन्यथा शारीरिक या मानसिक दृष्टि से नि:शक्त हो गया है; या

(छह) ऐसा व्यक्ति है जो किसी विधि- आदेशिका के अधीन निरूद्ध या कारावासित है; या

(सात) ऐसा व्यक्ति है जो संघ के सशक्त बल की सेवा में है; या

(आठ) सार्वजनिक , पूर्व या धार्मिक संस्था है; या

(नौ) स्थानीय प्राधिकारी या सहकारी सोसाइटी है;

अपना सम्पूर्ण खाता या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकेगा :

परंतु जहां कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्तत : धारित है, वहां इस उपधारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तब कि ऐसे समस्त व्यक्ति पूर्वोक्त वनों में किसी एक वर्ग या एक से अधिक वर्गो के न हों;

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी पट्टा मृत्यु हो जाने या अन्य प्रकार से नि:शक्तता समाप्त हो जाने के एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(3) x x x]

(4) जहां पट्टा उपधारा (2) के अनुसरण में दिया जाता है, वहां पट्टेदार उस भूमि को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर धारण करेगा जैसी कि उसके तथा भूमिस्वामी के बीच करार पाई जायँ और उसे उस दशा में उपखंड अधिकारी के आदेश से बेदखल किया जा सकेगा जबकि भूमि स्वामी ने इस आधार पर आवेदन किया हो कि उस पट्टे के किसी तात्विक निबन्धन या शर्त का उल्लंघन हुआ है या इस आधार पर आवेदन किया हो कि पट्टा प्रवृत्त नहीं रहा है।

(5) जहां इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय कोई भूमि किसी ऐसे भूमि स्वामी से; जो उपधारा (2) में वर्णित वर्गो में से किसी वर्ग का या एक से अधिक वर्गो का है, पट्टे पर धारित है, है, वहां इस संहिता के प्रवृत्त होने पर पट्टे के सम्बंध में यह समझा जावेगा कि वह उपधारा (2) के अनुसरण में दिया गया पट्टा हैं ।

169. अनधिकृत पट्टा आदि – यदि कोई भूमिस्वामी -

(एक) अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि को धारा 168 के उल्लंघन में किसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे देता है, या

(दो) किसी ऐसे ठहराव (arrangement) जो धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन पट्टा न हो, द्वारा किसी व्यक्ति को अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि पर, अपने भाड़े के श्रमिक के रूप में न होकर अन्यथा, खेती करने हेतु अनुज्ञात करता है, और उस ठहराव के अधीन ऐसा व्यक्ति उसे धारा 250 के अनुसार बेदखल किये गये बिना, दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिये ऐसी भूमि को कब्जे में रखने के लिये अनुज्ञात किया जाता है,

तो मौरूसी कृषक के अधिकार ----

(क) उपर्युक्त (एक) के मामले में, पट्टेदार को ऐसी भूमि में तदुपरि प्रोद्भूत हो जायेगें; और

(ख) उपयुक्त (दो) के मामले में, कब्जे की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को उस भूमि में प्रोद्भूत हो जायेंगे;

परंतु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी जनजाति के, जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है, किसी भूमि स्वामी के खाते में समाविष्ट हो तथा जो यथास्थिति उसके द्वारा पट्टे पर दी गई है या जिसके सम्बंध में उसने पूर्वोक्तानुसार कोई ठहराव किया है ।

170. **धारा 165 के उल्लंघन में किये गये अंतर का परिवर्जन** (Avoideance of transfers in contravention of Section 165). – (1) जहां किसी भूमि स्वामी द्वारा कब्जे

का अंतरण किसी ऐसे अंतरण के अनुसरण में किया गया हो जो कि धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में हो, यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे भूमिस्वामी का जिसके कि कोई निकटतर वारिस न हों उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता –

(एक) 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व कब्जे के अंतरण के मामले में, 31 दिसम्बर सन् 1978 तक; और

(दो) पश्चात्वर्ती मामलों में कब्जे के ऐसे अंतरण के बारह वर्ष के भीतर उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा कि उसे इस बात के अध्यधीन कब्जा दिलाया जाय कि उसे भू-राजस्व की बकाया या किन्हीं भी अन्य शोध्यों, जो कि उस खाते पर भार हों, बाबत वे दायित्व स्वीकार्य होंगें जिन्हें कि उपखंड अधिकारी इस सम्बंध में बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित करे और उपखंड अधिकारी ऐसे आवेदन का निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जैसी कि विहित की जाय ।

(2) जहां भूमिस्वामी की कोई भूमि धारा 165 की उपधारा (5) उल्लंघन में बेची जाती है वहां वह न्यायालय जिसके कि द्वारा ऐसे विक्रय का आदेश दिया जाता है, उस भूमिस्वामी के या किसी भी ऐसे व्यक्ति के; जो उस भूमिस्वामी का जिसके कि कोई निकटतर वारिस न हों उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, आवेदन पर जो ऐसे विक्रय को दो वर्ष के भीतर किया गया हो; उस विक्रय को अपास्त कर देगा और आवेदन को उस भूमि का कब्जा इस बात के अध्यधीन दिलाएगा कि उसे भू-राजस्व की बकाया या किन्हीं भी अन्य शोध्यों; जो कि उस भूमि पर भार हों, सम्बंधी दायित्व स्वीकार्य होंगे ।

170- (क.) कतिपय अंतरणों का अपास्त (to set aside) किया जाना.- परिसीमा (1) अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या कृषि भूमि के ऐसे अंतरण द्वारा, जो किसी ऐसे जनजाति का हो जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, 31 दिसम्बर सन् 1978 को या उसके पूर्व किये गये ऐसे आवेदन पर ऐसी भूमि के ऐसे अंतरण की जो कि 2 अक्टूबर सन् 1959 से प्रारम्भ होने वाली तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने की तारीख से समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान किसी भी समय विक्रय द्वारा या किसी न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया हो जो ऐसी जनजाति का न हो, या ऐसे अंतरण की, जो कि 2 अक्टूबर सन् 1959 से प्रारम हाने वाली तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने की तारीख से समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान किसी भी समय धारा 169 के अधीन मौरूमी कृषक के अधिकार की या धारा 190 की उपधारा (2-क) के अधीन

भूमिस्वामी के अधिकार की प्रोद्भूति द्वारा हुआ हो जांच ऐसे अंतरण के सद्भावित स्वरूप के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए कर सकेगा ।

(2) यदि उपखंड अधिकारी का, जांच करने पर तथा ऐसी भूमि में किसी हित का स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि ऐसा अंतरण सद्भाविक नहीं था तो उस कोड में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात में होते हुए भी—

(क) खण्ड (ख) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अंतरक को उस दशा के अपास्त कर सकेगा जबकि वह किसी ऐसे धारक द्वारा किया गया हो जो किसी ऐसी जनजाति का हो जिससे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, या;

(क) खण्ड (ख) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अंतरक को वह भूमि उसे उस भूमि का कब्जा तत्काल देकर वापस दिला सकेगा जबकि वह किसी ऐसे धारक द्वारा किया गया हो जो किसी ऐसी जनजाति का हो जिससे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, या;

(ख) जहां ऐसी भूमि कृषि-भूमि प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित कर दी गई हो, वहां वह ऐसी भूमि की वह कीमत नियत करेगा जो कि ऐसी भूमि के लिये उसके अंतरण के समय प्राप्त होती तथा अंतरिती को यह आदेश देगा कि इस प्रकार नियत की गई कीमत तथा वस्तुत: संदत्त की गई कीमत के बीच होने वाले अंतर, यदि कोई हो, की रकम अंतरक का छह माह की कालावधि के भीतर संदत्त कर दे ।

170-ख. आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन (reversion).— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर सन् 1959 से प्रारंभ होने वाली तथा संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ होने की तारीख से समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्ररूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय, इस सम्बंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का

अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलत: थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित (reverted) हो जायेगी।

(2-क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलत: थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी :

परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो यह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि समस्त अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में, और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुन: निहित करने वाला आदेश पारित करेगा

(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि समस्त अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और---

(क) जहां उस कृषि भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व परिनिर्मित नहीं की गई है, वहां उस कृषि भूमि को अंतरक में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनर्निहित (reverting) करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(ख) जहां उस कृषि भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व परिनिर्मित कर ली गई है वहां वह ऐसी भूमि की कीमत उन सिद्धांतों के अनुसार नियत करेगा जो भूमि अर्जन अधिनियम ,1984 (1984 का सं.1) में भूमि की कीमत नियत करने के लिए अभिकथित किये गये हैं, और उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह इस प्रकार नियत की गई कीमत तथा अंतरक को वस्तुत: चुकाई गयी कीमत के बीच के अंतरण की रकम का, यदि कोई हो, संदाय अंतरण को कर दे :

परंतु जहां कोई भवन या संरचना (Structure) जनवरी 1984 के प्रथम दिन के पश्चात् परिनिर्मित कर ली गई है वहां उपर्युक्त खंड (ख) केउपबंध लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और भी कि खंड (ख) के अधीन कीमत की नियतन उस कीमत से, जो उपखंड अधिकारी के समक्ष मामला रजिस्टर किया जावे की तारीख को हो, प्रतिनिर्देशन से किया जायेगा ।

170-ग. अनुज्ञा के बिना धारा 170-क या 170-ख के अधीन की कार्यवाहियों में अधिवक्ता का उपसंजात न होना – अनुज्ञा के बिना धारा 170-ए या 170-ख के अधीन की कार्यवाहियों में अधिवक्ता का उपसंजात न होना- अधिवक्ता अधिनियम , 1961 (1961 का सं. 25) में किसी बात के होते हुए भी अंतर्विष्ट कोई भी अधिवक्ता धारा 170-ए या धारा 170-ख के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकारी की अनुज्ञा के बिना उपसंजात नहीं होगा:

पंरतु यदि किसी एक पक्षकार को, जो उस जनजाति का सदस्य न हो, जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसी अनुज्ञा दे दी जाती है तो वैसी ही सहायता सदैव उस जनजाति के दूसरे पक्षकार को विधिक सहायता अधिकरण के खर्चे पर तथा उसके माध्यम से दी जायेगी ।

170-घ. द्वितीय अपील का वर्जन – द्वितीय अपील का वर्जन इस कोड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्हीं भी ऐसे आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी जो 24 अक्टूबर , 1983 को या उसके पश्चात् धारा 170-ए तथा 170-ख के अधीन पारित किये गये हों ।

171. सुधार करने का अधिकार , - कृषि के प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भूमिस्वामी , उस भूमि पर अधिक अच्छी खेती के लिये या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसके अधिक सुविधापूर्ण उपयोग हेतु उस पर कोई भी सुधार करने का हकदार है ।

172. भूमि का व्यपवर्तन (Diversion of Land) – (1) यदि –

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर ; या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में, जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो; या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

किसी प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह इस बाबत अनुज्ञा दी जाने के लिये उपखंड अधिकारी को आवेदन करेगा , जो इस धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तो पर दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परंतु यदि उपखंड अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने क पश्चात् तीन मास तक; उसके सम्बंध में अनुज्ञा या इंकारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक का परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है, और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की ओर उपखंड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा

आकृष्ट कर दिया हो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा एक मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायगा कि उपखंड अधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है:

परंतु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि का, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई है किंतु उसका उपयोग कृषि के लिये किया जाता है भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखंड अधिकारी को दी गई जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है:

परंतु यह भी कि यदि किसी ऐसी भूमि का, जो कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमि स्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है ।

परंतु यह भी कि यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अवैध कालोनी, जिसकी भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है, के नियमितीकरण के कार्य का जिम्मा लेता है तो ऐसी भूमि विकास योजना के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए व्यपवर्तित हो गई समझी जाएगी और ऐसी भूमि धारा 59 के अधीन प्रीमियम तथा पुनरीक्षित भू-राजस्व के लिए दायी होगी.

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो उसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंध तथा शर्ते) नियम, 1998 में दिया गया है ।

(2) व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा देने से उपखंड अधिकारी द्वारा केवल इन आधारों पर इंकार किया जा सकेगा कि उस व्यपवर्तत से लोक न्यूसेन्स होना संभाव्य है, या यह कि भूमिस्वामी उन शर्तो का, जो कि उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित की जाय, अनुपालन करने में असमर्थ है या अनुपालन करने के लिये राजी नहीं है।

(3) व्यपवर्तन के संबंध में शर्ते निम्नलिखित उद्देश्यों, अर्थात् सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा सुनिश्चित करने के लिये ही अधिरोपित की जा सकेंगी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं और उस भूमि की दशा में जिसका कि उपयोग निर्माण स्थलों के रूप में किया जाता है, उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये अधिरोपित की जा सकेंगी कि स्थलों की बिना, उनका विन्यास तथा उन तक पहुंच दखलकारों के स्वास्थ्य तथा सुविधा की दृष्टि से पर्याप्त हैं या संम्बधित बस्ती के लिये उपयुक्त हैं ।

(4) यदि कोई भूमि, भूमिस्वामी द्वारा बिना अनुज्ञा के या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना व्यपवर्तित कर दी गई हो तो उपखंड अधिकारी, उसकी जानकारी प्राप्त होने पर, उस व्यक्ति पर, जो व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो

ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक न हो, और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन कर दिया गया हो।

(5) यदि कोई भूमि-पूर्वगामी उपधाराओं में से किसी उपधारा के अधीन पारित किये गये किसी आदेश या अधिरोपित की गई किसी शर्त के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है तो उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति पर, जो ऐसे उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है, सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उसे यह निर्देश दिया जायगा कि वह उस सूचना में कथित युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये या शर्तों का अनुपालन करें और ऐसी सूचना में ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किसी संरचना को हटा ले, किसी उत्खात को भर दे या ऐसे अन्य उपाय करे जो इस दृष्टि से अपेक्षित हों कि उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके । उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके । उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिये ऐसी शास्ति, जो ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति भी, जो प्रत्येक धारा ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, एक हजार रूपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (5) के अधीन सूचना तामील की गई है, उपखंड अधिकारी द्वारा उस उपधारा के अधीन आदिष्ट उपाय सूचना में कथित कालावधि के भीतर नहीं करता है तो अधिकारी ऐसे उपाय या तो स्वयं कर सकेगा या करवा सकेगा: और ऐसा करने में उपगत कोई भी खर्च ऐसे व्यक्ति से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भू – राजस्व की बकाया हो ।

(6-क) यदि कोई भूमि धारा 165 की उपधारा (6-डड) के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो उपखंड अधिकारी उपधारा (5) तथा (6) में अधिकथित कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रूपये से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे; एक सौ रूपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित करेगा ।

(7) लुप्त

स्पष्टीकरण -एक.– इस धारा में व्यपवर्तन से अभिप्रेत है भूमि को, जिस पर धारा 59 के अधीन किसी एक प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, उस धारा में वर्णित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाना किंतु भूमि को, जबकि उस पर किसी अन्य प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाना व्यपवर्तन नहीं समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण –दो – इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द 'विकास योजना' का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) में उसके लिये दिया गया है।

173. त्यजन (Relinguishment).--- इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी , कृषि वर्ष प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व तहसीलदार को लिखित सूचना देकर अपने अधिकारों का त्यजन कर सकेगा अर्थात् उन्हें राज्य सरकार के पक्ष में त्याग सकेगा किंतु ऐसा किंहीं ऐसे अधिकारों विल्लंगमों या साम्याधिकारों के अध्यधीन रहते हुए ही किया जा सकेगा जो राज्य सरकार या भूमिस्वामी से भिन्न किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विधिपूर्वक विद्यमान हो और तब वह भूमि स्वामी ऐसे आदेश का ऐसी तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष के भूमि-स्वामी नहीं रह जायेगा । खाते के केवल किसी भाग का त्यजन किया जाये कि दशा में, तहसीलदार उस खाते पर निर्धारित राशि को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित करेगा :

परंतु किसी खाते का या खाते के किसी भाग का विल्लंगम या भार के अध्यधीन त्यजन विधिमान्य नहीं होगा ।

174. त्यजन किये गये उपखंड का निपटारा – यदि धारा 173 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खंड संख्यांक के किसी उपखंड का त्यजन कर दिया जाता है, तो तहसीलदाल उसी सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खंड संख्यांक के अन्य उपखंडों के भूमिस्वामी को ऐसी प्रीमियम पर जो कि वह उचित समझे, ऐसे उपंखंड को दखल में लेने के अधिकार देगा और यदि ऐसे भूमिस्वामियों में स्पर्धा हो तो वह ऐसे अधिकार को उनमें से सबसे ऊँची बोली लगाने वाले भूमिस्वामी को बेच देगा।

175. त्यजन की गई भूमि कि लिये मार्ग का अधिकार - यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जिसके कि लिये भाग उसके द्वारा प्रतिधारित अन्य भूमि से होकर जाता है, अपने अधिकारों का त्यजन कर देता है; तो त्यजन की गई भूमि का कोई भावी धारक प्रतिधारित भूमि में से होकर आज का हकदार होगा ।

176. खाते का परित्याग (Abandonment of holding). –(1) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी , जो अपने खाते पर या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दो वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू-राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को, जिसमें कि वह सामान्यत : निवास करता है, छोड़ दिया है तो तहसीलदार , ऐसी जांच के पश्चात् , जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा ले सकेगा और एक बार में एक कृषि वर्ष की कालावधि के लिये उस भूमि को भूमिस्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस खेती की व्यवस्था कर सकेगा ।

(2) जहां भूमिस्वामी या भूमि के लिए विधिपूर्वक हकदार कोई अन्य व्यक्ति, उस तारीख के, जिसको कि तहसीलदार ने उस भूमि का कब्जा लिया हो, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि के लिये दावा करता है, वहां वह, भूमि, शोध्यों का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया जाने पर तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तो पर, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, उसे वापस दिला दी जायेगी ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि कोई दावा किया जाता है तो वह नामंजूर कर दिया जाता है तो तहसीलदार , उस खाते को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश करेगा

और वह खाता ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश में उस निर्मित विनिर्दिष्ट की जाये, सरकार ने पूर्णरूप से निहित हो जायेगा ।

(4) जहां कोई खाता उपधारा (3) के अधीन परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है; वहां राजस्व की उस बकाया के सम्बंध में जो उस खाते की बाबत उस भूमिस्वामी से शोध्य हो, उस भूमिस्वामी के दायित्व का उन्मोचन हो जायेगा ।

177. खातों का निपटारा – (1) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी, जिसकी भूमि पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये किया गया हो, या जो भूमि को निवास के प्रयोजनों के लिये धारण करता है, किन्हीं ज्ञात वारिसों के बिना मर जाय, तो तहसीलदार उसकी भूमि का कब्जा ले लेगा और उसे एक बार में एक वर्ष की कालावधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा ।

(2) यदि तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उस खाते को उसे वापस दिलाये जाने के लिये आवेदन करता है; तो तहसीलदार ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे दावेदार को उस भूमि का कब्जा दिलवा सकेगा या उसका दावा नामंजूर कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित तहसीलदार का आदेश अपील का पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं होगा किंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो तहसीलदार का आदेश संसूचित किया जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अपना हक स्थापित करने के लिये सिविल वाद फाइल कर सकेगा, और ऐसा वाद फाइल कर दिया जाने की दशा में तहसीलदार उपधारा (1) में उपबंधित किये गये अनुसार भूमि को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक कि उस वाद का विनिश्चय न हो जाये ।

(4) यदि तहसीलदार द्वारा उस भूमि का कब्जा लिये जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार सामने नहीं आता है या यदि वह दावेदार, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, उपधारा (3) में उपबंधित किये गये अनुसार एक वर्ष के भीतर वाद फाइल नहीं करता है, तो तहसीलदार मृत भूमिस्वामी के उस खाते में के अधिकार को नीलामी द्वारा बेच सकेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा दावेदार, जो उस भूमि में, जिसके कि संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है, अपना हक स्थापित कर देता है, उपधारा (1) के अधीन देय लगान, तथा उपधारा (4) के अधीन उगाहे गये विक्रय आगमों का ही हकदार होगा और उसमें से उस खाते पर भू-राजस्व के मद्दे शोध्य समस्त राशियां तथा प्रबंध और विक्रय के व्यय काट लिये जायेंगे ।

178. खाते का विभाजन. - (1) यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा :

परंतु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा, जिससे कि हक संम्बंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो जाय ।

(1-क) यदि कोई सिविल वाद उपधारा (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर फाइल कर दिया जाय, और सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो तहसीलदार अपनी कार्यवाहियों को सिविल न्यायालय का विनिश्चय होने तक रोक रखेगा । यदि कोई सिविल वाद उक्त कालावधि के भीतर फाइल न किया जाय, तो वह रोक रखने के आदेश को अभिशून्य कर देगा और खाते के विभाजन की कार्यवाही अधिकार अभिलेख में की प्रविष्टियों के अनुसार करेगा ।

(2) तहसीलदार , सह-भूधारियों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा ।

(3) x x x]

(4) x x x]

(5) x x x]

स्पष्टीकरण .– (एक) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भूमिस्वामी के खाते के किसी भी ऐसे सह-अंशधारी को, जिसने किसी सक्षम सिविल न्यायालय से ऐसे खाते में के अपने हक के सम्बन्ध में घोषणा प्राप्त कर ली हो, ऐसे खाते का सह-भूधारी समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण - (दो) ... ...

178-क. भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का बंटवारा - (1) जब कभी भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में उसके वैध उत्तराधिकारियों (वारिसों) के बीच अपनी कृषिक भूमि का बंटवारा करना चाहता है तो वह तहसीलदार को बंटवारा के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) तहसीलदार , वैध वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते का बंटवारा कर सकेगा और इस संहिता के अधीन नियमों के अनुसार खाते के निर्धारण का प्रभाजन (apportion the assessment of holding) कर सकेगा ।

179. खाते में के वृक्षों पर अधिकार - (1) धारा 240 तथा 241 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए वे समस्त वृक्ष जो भूमिस्वामी के खाते में खड़े हों, उस भूमिस्वामी के ही होंगें ।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात भूमिस्वामी के खाते में खड़े हुए वृक्षों में के किसी ऐसे अधिकार पर, जो उस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हो, प्रभाव नहीं डालेगी किंतु भूमिस्वामी ऐसे अधिकार का मूल्य नियत किये- जाने के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा और अधिकार को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, तहसीलदार की मार्फत क्रय कर सकेगा ।

180. वृक्षों के अन्तरण पर निर्बन्धन - (1) भूमिस्वामी द्वारा अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि पर खड़े हुये वृक्षों का अंतरण वृक्षों की उपज के अन्तरण को छोड़कर शून्य होगा, जब तक कि भूमि ही अन्तरित न कर दी जाये ।

(2) ऐसे वृक्ष, जो किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट किसी भूमि में खड़े हुए हों, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में अथवा किसी राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में किये गये किसी आदेश के अधीन तब तक कुर्क नहीं किये जायेंगे या बेचे नहीं जायेंगं जब तक कि वह भूमि ही कुर्क न कर ली जाय या बेच न दी जाये ।

अध्याय ---13

सरकारी पट्टेदार तथा सेवा भूमि

(Government Lessees and Service Land)

181. सरकारी पट्टेदार .— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है या जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूमि की दखल में लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है और जो भूमि की भूमिस्वामी के रूप में धारण करने का हकदार नहीं है ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सरकारी पट्टेदार कहलायेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय –

(क) मध्य भारत क्षेत्र में कोई भूमि मध्य भारत भू-आगम एवं कृषिक अधिकार विधान संवत् 2007 (क्रमांक 66, सन् 1950) में यथापरिभाषित साधारण कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) विन्ध्य प्रदेश में कोई भूमि विन्ध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्रमांक 3, सन् 1955) में यथापरिभाषित विशेष कृषक के रूप में या कोई ऐसा निकुन्ज या तालाब या ऐसी भूमि, जो सरकारी या सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित कर ली गई है या अपेक्षित है, गैर हकदार कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ग) सिरोंज क्षेत्र में कोई भूमि राज्य सरकार से राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट 1953 (क्रमांक 3, सन् 1955) में यथापरिभाषित गैर खातेदार कृषक के रूप में धारण करता है; या

ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार समझा जायेगा ।

(3) x x x]

181.-क. पट्टाधृति अधिकार का फ्री होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन — संहिता के अध्याय 6 और इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में आवासिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए विभिन्न पट्टों को, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, फ्री होल्ड में संपरिवर्तित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिये "फ्री होल्ड" से अभिप्रेत है, भूमि में ऐसा अधिकार जो ऐसे भू-राजस्व, जो कि विहित किए जाएं, के भुगतान को छोड़कर के अधीन विल्लंगमों से मुक्त है।

182. सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व. – (1) सरकारी पट्टेदार इस संहिता में के किन्हीं अभिव्यक्ति उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अपनी भूमि उस अनुदान के, जो कि सरकारी अनुदान अधिनियम , 1895 (1895 का संख्यांक 15) के अर्थ के अंतर्गत अनुदान समझा जायेगा, निबंधों तथा शर्तो के अनुसार धारण करेगा ।

(2) सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा अर्थात् –

(एक) यह कि उसने लगान का उस तारीख से, जिसकी वह शोध्य हो गया था, तीन मास की कालावधि तक भुगतान नहीं किया है; या

(दो) यह कि उसने ऐसी भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों से, जिनके कि लिये वह प्रदान की गई थी, भिन्न प्रयोजनों के लिये किया है;

(तीन) यह कि उसके पट्टे की अवधि का अवसान हो चुका है; या

(चार) यह कि उसने अनुदान के किसी निबंध तथा शर्त का उल्लंघन किया है:

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी सरकारी पट्टेदार को बेदखल करने के लिए कोई आदेश उसे अपनी प्रतीक्षा में सुने जाने का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा ।

183. सेवा भूमि.-(1) ग्राम सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस दशा में भूमि का हकदार नहीं रह जायेगा जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि – भिन्न प्रयोजनों के लिये अपवर्तित कर देता है ।

(2) ऐसा संव्यवहार , जिसके द्वारा कोई ग्राम सेवक अपनी सेवा भूमि में के अपने हित को विक्रय, दान, बंधक, उप-पट्टे या अन्यथा, एक वर्ष अनधिक कालावधि तक के उप-पट्टे द्वारा के सिवाय, अंतरित करने का प्रयत्न करता है, शून्य होगा ।

(3) यदि ऐसी भूमि में का धारक मर जाये, पद त्याग दे या विधिपूर्वक पदच्युत कर दिया जाये, तो वह भूमि उसके पद उत्तरवर्ती को संक्रांत हो जायेगी ।

(4) धारक का ऐसी भूमि में अधिकार किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जायेगा और न ही ऐसी भूमि का प्रबंध करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन कोई रिसीवर नियुक्त किया जायेगा ।

184. सिरोंज क्षेत्र में की सेवा भूमि का उस दशा में निपटारा जबकि सेवाओं के आगे आवश्यकता न हो.— यदि कलेक्टर यह घोषित कर देता कि सिरोंज क्षेत्र में ग्राम सेवक द्वारा की जाने वाली सेवाओं की आगे आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा ग्राम सेवक अपनी सेवा भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी हो जायेगा और तद्नुसार भू-राजस्व का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

अध्याय – 14

मौरूसी (दखलकार) कृषक

(Occupancv Tenants)

185. मौरूसी कृषक – (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय –

(एक) महाकौशल क्षेत्र में –

(क) कोई ऐसी भूमि धारण करता है जो मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1955) के प्रवृत होने के पूर्व मालिक मकबूजा थी और जिसके सम्बंध में ऐसे व्यक्ति को पूर्ण मौरूसी कृषक के रूप में अभिलिखित किया गया था; या

(ख) कोई भूमि, मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1955) में यथा परिभाषित मौरूसी कृषक के रूप में धारण करता है, या

(ग) कोई भूमि, मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1955) में यथा परिभाषित मामूली कृषक के रूप में धारण करता है, या

(दो) मध्य भारत क्षेत्र में ----

(क) कोई इनाम भूमि कृषक या उप-कृषक या साधारण कृषक के रूप में धारण करता है; या

स्पष्टीकरण – अभिव्यक्ति “इनाम भूमि” का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य भारत माफी तथा इनाम कृषक एवं उप-कृषक संरक्षण विधान, 1954 (क्रमांक 32 सन् 1954) में किया गया है ।

(ख) कोई भूमि, मध्य भारत रैयतवारी उप-पट्टेदार संरक्षण विधान, 1955 (क्रमांक 29 सन् 1955) में यथा परिभाषित रैयतवारी उप-पट्टेदार के रूप में धारण करता है; या

(ग) मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 28 सन् 1951) में यथा परिभाषित कोई जागीर भूमि उप-कृषक के रूप में या उप-कृषक के कृषक के रूप में धारण करता है; या

(घ) मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 13 सन् 1951) में यथा परिभाषित स्वामी कोई भूमि उप-कृषक के रूप में या उप-कृषक के कृषक के रूप में धारण करता है;

(तीन) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में कोई भूमि-विन्ध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित पचपन पैंतालिस कृषक पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी या किसी तालाब धारक के उप-कृषक के रूप में धारण करता है; या

(चार) भोपाल क्षेत्र में ---

(क) कोई भूमि, भोपाल स्टेट सब-टेनेण्ट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 7 सन् 1953) में यथा परिभाषित उप-कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) कोई भूमि, भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1932 (क्रमांक 4 सन् 1932) में यथा परिभाषित दखलकार से शिकमी के रूप में धारण करता है; या

(पाँच) सिरोंज क्षेत्र में –

(क) कोई, भूमि, राजस्थान टेनेण्सी ऐक्ट, 1955 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित खातेदार कृषक या निकुंजधारी के उप-कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) कोई भूमि, राजस्थान टेनेण्सी ऐक्ट, 1955 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित खुदकाश्त के उप-कृषक या कृषक के रूप में धारण करता है;

मौरूसी कृषक कहलायेगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन मौरूसी कृषक को प्रदत्त किये गये हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन मौरूसी कृषक पर अधिरोपित किये गये हैं ।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड (दो) की मद (ग) या (घ) में निर्दिष्ट कोई भूमि, इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, किसी उप-कृषक के वास्तविक कब्जे में है, वहां ऐसे कृषक को ही ऐसी भूमि का मौरूसी कृषक समझा जायेगा न कि उस उपकृषक को ।

(3) जहां उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यकित को लागू नहीं होगी जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय ऐसे भूमिस्वामी से, जो धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित वर्गो में से किसी एक या एक से अधिक वर्गो का है भूमि धारण करता है ।

(4) इस धारा की कोई भी बात उपधारा (1) के खंड (दो) की मद (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के उप-कृषक या उप-कृषक के कृषक ने उन अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यथास्थिति मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 28 सन् 1951) या मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 13 सन् 1951) के उपबंधों के अनुसार पक्का कृषक के अधिकार अर्जित करने के बारे में है ।

186. अधिकतम लगान .— किसी भी करार या प्रथा या किसी न्यायालय की किसी भी डिक्री या आदेश के होते हुये भी या किसी भी विधि के प्रतिकूल होते हुये भी, मौरूसी कृषक द्वारा उसके द्वारा धारित भूमि के सम्बंध में देय अधिकतम लगान –

(क) सिंचित भूमि के किसी भी वर्ग के मामले में ऐसी भूमि पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व के चौगुने से;

(ख) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में, बाँध भूमि के मामले में ऐसी भूमि पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व के तिगुने से; और

(ग) किसी अन्य मामले में निर्धारित किये गये भू-राजस्व के दुगुने से अधिक नहीं होगा]:

परंतु जहां ऐसी भूमि की धारा 58-क के अधीन भू-राजस्व की देनगी से छूट दी गई हो, वहां पूर्वोक्त अधिकतम में से भू-राजस्व की वह रकम कर दी जायगी जिसकी कि उक्त धारा के अधीन इस प्रकार छूट दी गई हो ।

स्पष्टीकरण – जहां किसी भूमि पर भू-राजस्व का निरीक्षण न किया गया हो वह पूर्वोक्त गुणितों की गणना ऐसी भूमि पर निर्धारण योग्य भू-राजस्व के आधार पर की जायगी ।

187. परिवर्तन . – (1) जहां कोई मौरूसी कृषक अपने लगान का भुगतान वस्तु के रूप में सेवा, श्रम सफल के अंश या अनाज के विनिर्दिष्ट परिणाम के रूप में करता है, वहां वह उसे नगदी में परिवर्तित कराने के लिये उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी जांच करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे लगान को नकदी में परिवर्तन करेगा जो उस अधिकतम लगान से अधिक नहीं होगा जैसा कि धारा 186 में अधिकथित है ।

188. लगान – (1) इस संहिता के प्रवत्त होने की तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से मौरूसी कृषक द्वारा देय लगान वह अधिकतम लगान होगा जो धारा 186 में अधिकथित है या यदि कृषक तथा उसके भूमिस्वामी के बीच तय पाया गया लगान होगा:

परंतु जहां तय पाया गया लगान वस्तु के रूप में देय हो, तो जब तक कि ऐसा लगान धारा 187 के अधीन नगदी में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, वह कृषक ऐसे अधिकतम लगान का भुगतान करने का दायी होगा जैसा कि धारा 186 में अधिकथित है ।

(2) प्रत्येक मौरूसी कृषक अपने भूमिस्वामी को लगान का भुगतान ऐसी तारीख को या उसके पूर्व करेगा जो कि उस सम्बंध में विहित की जाय ।

189. कतिपय मामलों में भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण .—(1) भूमिस्वामी , जिसकी कि भूमि सिवाय उन प्रवर्गो के जो कि धारा 185 की उपधारा (1) के खंड (एक) की मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट है धारा 185 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गो में से किसी भी प्रवर्ग के मौरूसी कृषक द्वारा धारित है,

उस दशा में जब कि उनकी निजी खेती के अधीन भूमि का क्षेत्रफल पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से कम है, उसके मौरूसी कृषक द्वारा धारित भूमि का अपनी निजी खेती के लिये पुनर्ग्रहण करने हेतु इस संहिता के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर उस खंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि आवश्यकता हो आवेदन को विनिश्चित करेगा;

परंतु पुनर्ग्रहण का अधिकार उतने क्षेत्रफल तक ही सीमित होगा जो पहले से ही उस भूमिस्वामी की निजी खेती के अधीन के क्षेत्रफल सहित पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई पुनर्ग्रहण अनुज्ञात नहीं किया जायगा कि जिसने उस मौरूसी कृषक के कब्जे में की भूमि का कुल क्षेत्र फल –

(एक) उस मामले में, जबकि वह मौरूसी कृषक ऐसी भूमि किसी ऐसे भूमिस्वामी से, जो धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित वर्गो में से किसी वर्ग का न हो, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व पाँच वर्ष से भी अधिक समय से धारण किये रहा है, पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से कम हो जाय;

(दो) किसी अन्य मामले में, दस एकड़ से कम हो जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के अधीन भूमिस्वामी को उस भूमि का जो कि मौरूसी कृषक द्वारा ऐसे भूस्वामी से धारित है, कोई भाग पुनर्ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात किया जाता है, वहां उपखंड अधिकारी पुनर्ग्रहण की जाने के लिये अनुज्ञात की गई भूमि का चयन तथा सीमांकन इन नियमों के अनुसार करेगा जो कि उस संबंध में बनाये जायें । पुनर्ग्रहण केवल उसी दशा में अनुज्ञात किया जायेगा जब कि भूमिस्वामी मौरूसी कृषक को ऐसे प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सहमत हो जाता है जैसा कि उपखंड अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस भूमि पर जो, कि भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात की गई है, गोस्वामी कृषक द्वारा किये गये सुधार के लिये नियत करे । उपखंड अधिकारी ऐसे मामले से, मौरूसी कृषक द्वारा किये गये सुधार के लिये नियत करे । उपखंड अधिकारी ऐसे मामले से, मौरूसी कृषक के पास बच रही भूमि के संबंध में लगान भी विहित रीति में नियत करेगा ।

(4) पुनर्ग्रहण अनुज्ञात करने वाला प्रत्येक आदेश, उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष से प्रभावी होगा और पुनर्ग्रहण की गई भूमि के सम्बन्ध में, मौरूसी कृषक का कृषिकाधिकार समाप्त हो जायेगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिये –

(1) भूमिस्वामी की निजी खेत के अधीन की भूमि के अंतर्गत आयेगी –

(क) कोई ऐसी भूमि जो कि उसने विक्रय द्वारा या अन्यथा 1 जनवरी, 1959 को या उसके पश्चात् अंतरित की हो; और

(ख) कोई ऐसी भूमि जो कि उसके द्वारा पड़त पड़ी रहने दी गई हो ।

(2) एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जायेगा तथा इसी प्रकार इसका विपर्यय ।

190. मौरूसी कृषकों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना.— (1) जहां कोई भूमिस्वामी, जिसकी कि भूमि सिवाय उन प्रवर्गो के, जो कि धारा 185 की उपधारा (1) के खंड (एक) की मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट है, धारा 185 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गो में से किसी भी प्रवर्ग के मौरूसी कृषक द्वारा धारित है, धारा 189 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन उस कालावधि के भीतर नहीं करता है जो कि उसमें अधिकथित है, वहां उस मौरूसी कृषक को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी के अधिकार पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रोद्भूत हो जायेंगे ।

(2) जहां भूमिस्वामी द्वारा धारा 189 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आवेदन किया जाता है, वहां मौरूसी कृषक को उस भूमि के संबंध में जो भूमिस्वामी को अनुज्ञात किये गये पुनर्ग्रहण, यदि कोई हो, के पश्चात् उसके पास बच रहे, भूमिस्वामी के अधिकार उस तारीख के, जिसको कि आवेदन अंतिम रूप से निपटाया जाता है, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रोद्भूत हो जायेंगे।

(2-क) जहां भूमिस्वामी की भूमि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मौरूसी कृषक से भिन्न मौरूसी कृषक द्वारा धारित है, वहां उस मौरूसी कृषक को ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी के अधिकार –

(क) धारा 185 की उपधारा (1) के खंड (एक) मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये प्रवर्गो के मौरूसी कृषकों के मामले में, मूल अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंम्भ से,

(ख) किसी अन्य मामले में, उस तारीख के, जिसको कि ऐसे कृषक को मौरूसी कृषक के अधिकार प्रोद्भूत होते हैं, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से, प्रोद्भूत हो जायेंगे ।

(3) जहां उपधारा (2) [उपधारा (2) या उपधारा (2-क)] के अधीन मौरूसी कृषक को भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं, वहां ऐसा मौरूसी कृषक अपने भूमिस्वामी को ऐसे प्रतिकर का जो उस भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व के पन्द्रह गुने के बराबर हो, पाँच समान वार्षिक किश्तों में भुगतान करने का दायी होगा, प्रत्येक किश्य उस तारीख को देय होगी जिसको कि तत्सम्बधी वर्ष के लिये धारा 188 के अधीन देय लगान शोध्य होता है, और यदि भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जायेगा :

परंतु यदि किसी हेतुक से किसी वर्ष किसी क्षेत्र में भू-राजस्व पूर्णत: या भागत: निलम्बित कर दिया जाता है या उसमें माफी दे दी जाती है तो प्रतिकर की यह वार्षिक किश्त, जो कि ऐसे क्षेत्र में भूमि

धारण करने वाले मौरूसी कृषक द्वारा उस वर्ष के सम्बंध में देय हो, निलम्बित कर दी जायेगी और वह शेष किश्तों में से अंतिंम किश्त के एक वर्ष के पश्चात् देय होगी ।

(4) कोई भी मौरूसी कृषक, अपने विकल्प पर, प्रतिकर, की सम्पूर्ण रकम को एकमुश्त भुगतान कर सकेगा और जहां कोई मौरूसी कृषक इस विकल्प का प्रयोग करता है, वहां दस प्रतिशत की दर से रिबेट पाने का हकदार होगा ।

(5) प्रतिकर की रकम, चाहे उसका भुगतान एक मुश्त किया जाये या चाहे वार्षिक किश्तों में किया जाये; भूमि–स्वामी को चुकाई जाने के लिये ऐसी रीति तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाय तहसीलदार के पास मौरूसी कृषक द्वारा जमा की जायेगी ।

(6) जहां इस धारा के अधीन मौरूसी कृषक को किसी भूमि से भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जायें वहां ऐसे अधिकार प्रोद्भूत होने की तारीख से ऐसा भू-राजस्व भुगतान करने का दायी होगा जो कि भूमिस्वामी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में देय हो ।

191. मौरूसी कृषक को भूमि वापस दिलाया जाना.— (1) यदि वह भूमिस्वामी, जिसके कि पक्ष में धारा 189 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्ग्रहण का आदेश पारित किया गया हो, उस तारीख के, जिसको कि वह आदेश पारित किया गया हो, ठीक आगामी कृषि वर्ष के दौरान ऐसी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करता है, तो मौरूसी कृषक ऐसी भूमि को वापस दिलाये जाने के लिये उपखंड अधिकारी को ऐसे समय के भीतर आवेदन कर सकेगा जो, कि विहित किया जाये:

परंतु मौरूसी कृषक उस दशा में आवेदन के लिये हकदार नहीं होगा जबकि वह भूमिस्वामी को ऐसी भूमि का कब्जा लेने या उस पर खेती करने में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाए ।

(2) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी और जाँच जैसी कि आवश्यक समझी जाये, करने मे पश्चात् प्रश्नगत भूमि का कब्जा मौरूसी कृषक को वापस देने का आदेश पारित कर सकेगा, और जहां ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है, वहां मौरूसी कृषक को उस भूमि का कब्जा उक्त आदेश की तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से दिला दिया जायेगा और तब उसे भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जायेंगे तथा धारा 190 का उपबन्ध के उसकी उपधारा (2) को छोड़कर तद्नुसार लागू होंगें ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन वापस दे दी गई भूमि के लिये देय लगान के बारे में कोई विवाद हो तो वह विवाद उपखंड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई भूमि किसी मौरूसी कृषक को वापस दे दी गई है, वहां वह भूमिस्वामी जिसके विरूद्ध वापसी का आदेश दिया गया हो, धारा 189 के अधीन ऐसे मौरूसी कृषक की किसी भी भूमि के पुनर्ग्रहण का दावा करने से सदैव के लिये विवर्जित हो जायेगा ।

192. मौरूसी कृषक अधिकारों का न्यागमन.— मौरूसी कृषक का उसके खाते में का हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अनुसार, विरासत या उत्तरजीविका द्वारा संक्रांत होगा ।

193. कृषकाधिकार की समाप्ति – (1) मौरूसी कृषक का उसके खाते में का कृषकाधिकार उपखंड अधिकारी के आदेश द्वारा जो निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर किया गया हो, समाप्त किया जा सकेगा, अर्थात् ---

(क) उसने किसी कृषि वर्ष में, उस वर्ष के लिये ऐसी भूमि के लगान का भुगतान नियत तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया हैं; या

(ख) उसने कोई ऐसा कार्य किया है, जो उस भूमि के लिये विनाशक या स्थाई रूप से हानिकर है; या

(ग) उसने ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया है; या

(घ) उसने उस भूमि में के अपने हित का अंतरण धारा 195 के उल्लंघन में कर दिया है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में विनिद्रिष्ट किये गये आधार पर कोई भी आदेश मौरूसी कृषक के भूमि में के उसके अधिकारों की समाप्ति के लिये तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उपखंड अधिकारी ने सूचना द्वारा, मौरूसी कृषक से शोध्य लगान, ऐसी कालावधि के भीतर, जो कि उपखंड अधिकारी द्वारा उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, कार्यवाहियों के खर्च सहित निविदत्त करने की अपेक्षा न की हो और कृषक ने अपेक्षित रकम उक्त कालावधि के भीतर जमा न की हो ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि ऐसी भूमि के भूमिस्वामी ने मौरूसी कृषक पर एक लिखित सूचना, जिसमें विनाश या हानि का वह कार्य विनिर्दिष्ट किया गया हो; जिसके कि सम्बन्ध में परिवाद किया गया है, तामील न कर दी हो, तथा कृषक ने सूचना की तामील की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर जो कि उपखंड अधिकारी मंजूर करे उस भूमि को उसी अवस्था में प्रत्यावर्तित न कर दिया हो जिसमें कि वह ऐसे विनाश या हानि के पूर्व थी ।

194. ऐसे मौरूसी कृषक को जिसका कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो लागू होने वाले उपबंध – (1) ऐसे प्रत्येक मौरूसी कृषक के मामले में, जिसका कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगें, अर्थात ---

(क) यदि मौरूसी कृषक ने, कृषकाधिकार समाप्त होने की तारीख से पूर्व, उस भूमि में, जो कि खाते में समाविष्ट है, फसलों की बुबाई कर दी हो या उनकी पौध लगा दी हो, तो वह ऐसी भूमि के भूमिस्वामी के विकल्प पर, या तो फसलों की देखभाल करने तथा उन्हें वहाँ से उठा लेने के प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का कब्जा रखे रहने तथा उस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का; अथवा ऐसी भूमि को तैयार करने में तथा ऐसी फसलों की बुवाई करने, उनकी पौध लगाने तथा देखभाल करने में लगे श्रम का मूल्य तथा उन कार्यो पर उसके द्वारा व्यय की गई पूंजी, उस पर युक्तियुक्त ब्याज सहित, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ख) यदि मौरूसी कृषक ने कृषकाधिकार समाप्त होने की तारीख के पूर्व कोई भूमि, जो कि उसके खाते में समाविष्ट है बुवाई के लिये तैयार कर ली हो किन्तु उस पर फसलों की बुवाई न की हो या उनकी पौध न लगाई हो, तो वह ऐसी भूमि को तैयार करने में लगें श्रम का मूल्य तथा उसके द्वारा व्यय की गई पूँजी, उस पर युक्तियुक्त ब्याज सहित, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु (एक) मौरूसी कृषक इस धारा के अधीन अपनी भूमि प्रतिधारित करने का या उसके सम्बन्ध में कोई राशि प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि ऐसी भूमि के भूमिस्वामी द्वारा कृषकाधिकार की समाप्ति के लिये कार्यवाहिया प्रारंम्भ किये जाने के पश्चात् उसने स्थानीय प्रथा के प्रतिकूल ऐसी भूमि पर खेती की हो या ऐसी भूमि को खाते के लिये तैयार किया हो

(दो) कृषकाधिकार की समाप्ति के समय मौरूसी कृषक द्वारा ऐसी भूमि के स्वामी को देय लगान, यदि कोई हो, मौरूसी कृषक को इस धारा के अधीन देय किसी राशि के प्रति मुजरा किया सकेगा ।

(ग) यदि मौरूसी कृषक ने अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि में कृषकाधिकार की समाप्ति की तारीख के पूर्व कोई सुधार किया हो, तो वह ऐसी भमिस्वामी से उसके लिये ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जैसा कि राजस्व अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् अवधारित करे ।

(2) कृषकाधिकार समाप्त करने वाला राजस्व अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन देय रकम यदि कोई हो अवधारित करेगा ।

195. मौरूसी कृषक के अनतरण सम्बन्धी अधिकार - (1) कोई भी मौरूसी कृषक भूमि में के या उसके किसी भाग में के अपने अधिकार को विक्रय, दान, बन्धक, उपपट्टे के तौर पर या अन्यथा अन्तरित करने का हकदार नहीं होगा और प्रत्येक ऐसा विक्रय, दान, बन्धक, उपपट्टा या अन्य अन्तरण धारा 197 में उपबन्धित किये गये अनुसार परिवर्तनीय होगा

परन्तु मौरूसी कृषक द्वारा या उसकी ओर से उपपट्टा दिया जा सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित प्रवर्गो में से किसी प्रवर्ग का है ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति उपपट्टा का वही अर्थ लगाया जायगा जो कि धारा 168 में पट्टा के लिये दिया गया है!

(2) उपधारा (1) में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को अपना खाता या उसका कोई भाग विक्रय या दान द्वारा किसी सह कृषक को या किसी ऐसे वयक्ति को, जो उस कृषक के निकटतर वारिसों के न होने पर उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, अन्तरित करने से निर्वासित नहीं करेगी ।

(3) इस धारा में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को भूमि विकास उधार अधिनियम , 1883 (1883 का संख्याक 19), या कृषक उधार अधिनिय , 1884 (1884 का संख्याक 12) के अधीन उसे दिये गये किसी अग्रिम के संदाय को प्रतिभूत करने के लिये अपनी भूमि में के किसी अधिकार को अन्तरित करने से निवारित नहीं करेगी या ऐसे अग्रित की वसूली के लिये ऐसे अधिकार का विक्रय करने के राज्य सरकार के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(4) इस धारा में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को किसी सहकारी संस्था द्वारा उसे दिये गये अग्रिम के संदाय को निर्धारित प्रतिभूत करने के लिये अपने खाते में के किसी अधिकार को अन्तरित करने से नहीं करेगी; या ऐसे अग्रिम की वसूली के लिये ऐसे अधिकार का विक्रय करने के ऐसी संस्था के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(5) पूर्वगामी किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन अनुज्ञात अन्तरण के अनुसरण में के सिवाय या प्रतिकर की किसी वार्षिक किश्त के बकाया की वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियों के मामले में के सिवाय मौरूसी कृषक के उसके खाते में के हित के विक्रय के लिये न तो कोई डिक्री या आदेश पारित किया जायगा, न ऐसा हित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किया जायेगा या बेचा जायेगा; न ऐसे खाते का प्रबन्ध करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्याक 5) की धारा 51 के अधीन किसी रिसीवर की नियुक्ति की जायगी और न ही ऐसा हित प्रान्तीय दिवाला अधिनियम , 1920 (1920 का संख्याक 5) के अधीन न्यायालय में या किसी रिसीवर में निहित होगा।

196. सुधार करने के मौरूसी कृषक के अधिकार. - कृषि प्रयोजन के लिये धारित भूमि का मौरूसी कृषक, उस भूमि पर अधिक अच्छी खेती के लिये पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उस भूमि के अधिक सुविधापूर्ण उपयोग के लिये उस पर कोई भी सुधार करने का हकदार है ।

197. मौरूसी कृषको द्वारा किये गये अन्तरणो को अपास्त (to set aside) कराने के लिये आवेदन करने का कतिपय व्यक्तियों का अधिकार - (1) यदि कोई मौरूसी कृषक अपने खाते या उसके किसी भाग में के अपने अधिकारों को धारा 195 के उल्लंघन में अन्तरित करता है तो कोई कृषक या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस कृषक के निकटतर वारिसों के न होने उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, या वह भूमिस्वामी जिसकी कि भूमि ऐसा व्यक्ति धारण करता है कब्जा दिलाये जाने के लिये उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और उपखंड , लगान के बकाया के सम्बन्ध में तथा खेती के आवश्यक व्ययों हेतु अग्रिम के सम्बन्ध में मौरूसी कृषक दायित्वों को आवेदक द्वारा स्वीकार कर लेने पर, आवेदक को धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कब्जा दिला सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति आवेदन करें, वहां वे कब्जा पाने के निम्नालिखित पूर्विकता क्रम में हकदार होंगे –

(एक) कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषक का उत्तरजीवी होने दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता;

(दो) सह – कृषक, और

(तीन) वह भूमिस्वामी जिसकी कि भूमि मौरूसी कृषक धारण करता है ।

198. अभ्यर्पण - (1) कोई मौरूसी कृषक, कृषि वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम तीस दिन पूर्व भूमिस्वामी के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज निष्पादित करके, अपने अधिकार अभ्यर्पित कर सकेगा और तदुपरि वह ऐसी तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष से मौरूसी कृषक नहीं रह जायेगा । कोई भी अभ्यर्पण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा न किया जाय ।

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 15) में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी मौरूसी कृषको द्वारा इस धारा के उपबन्धो के अनुसरण में निष्पादित अभ्यर्पण की लिखतों को उन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अभ्यर्पण निष्पादित किया जाने पर भूमिस्वामी का कब्जा धारा 189 के अधीन अपने पुनर्ग्रहण के अधिकार की सीमा तक ही लेने का हकदार होगा और अतिरिक्त भूमि, यदि कोई हो, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और भूमिस्वामी को ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा 188 के अधीन उसके लिये देय लगान के दुगुने के बराबर होगा ।

(4) जहां कोई भूमि उपकार (3) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है, वहां भूमिस्वामी विहित कालावधि के भीतर तथा विहित रीति में ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट करेगा और कालावधि के भीतर उसके ऐसा न करने पर ऐसी एपखंड अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी ।

(5) ऐसी भूमि के उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार विनिर्दिष्ट कर दिये जाने के पश्चात् उपखंड अधिकारी उसका सीमांकन ऐसे नियमों के अनुसार करेगा जो कि उस सम्बन्ध में बनाये जायें और भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण की गई भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व भी नियत करेगा ।

199. रसीद - प्रत्येक भूमिस्वामी लगान की रकम के लिये ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाय; लिखित रसीद उस समय देगा जबकि किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसी रकम उसके द्वारा प्राप्त की जाय ।

200. रसीद न देने या अधिक वसूली के लिये शास्ति – यदि कोई भूमि स्वामी धारा 199 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रसीद नहीं देगा या लगान के रूप में कोई रकम प्राप्त करेगा जो इस संहिता के अधीन देय लगान से अधिक हो, तो वह मौरूसी कृषक के आवेदन पर, तहसील के आदेश से इस बात के दायित्वाधीन होगा कि वह वसूल की गई अतिरिक्त रकम वापस करे तथा शास्ति के रूप में दो हजार रूपये से अनधिक राशि या यदि वसूल किये गये कुल लगान की दुगुनी रकम दो हजार रूपये अधिक हो, तो ऐसी रकम के दुगुने के अनधिक राशि का भुगतान करे और तहसीलदार यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी सम्पूर्ण राशि या उसका भाग मौरूसी कृषक द्वारा देय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा ।

201. भू- राजस्व की माफी तथा उसके निलम्बन के परिणाम स्वरूप लगान की माफी तथा उसका निलम्बन –(1) यदि किसी भूमि के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग के भुगतान में किसी कारणवश माफी दी जाती है या उसे निलम्बित कर दिया जाता है तो कलेक्टर साधारण

या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी भूमि के लगान के, भुगतान में उतनी रकम तक यथास्थिति माफी दे सकेगा या उसे उतनी रकम तक निलम्बित कर सकेगा जिसका कि उस भूमि के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण लगान के साथ वही अनुपात होगा जो उस भू-राजस्व का, जिससे कि भुगतान में माफी दी गई है या जिसका भुगतान निलम्बित कर दिया गया है, उस भूमि के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण भू – राजस्व के साथ होता है और इस प्रकार माफी दी गई या निलम्बित की गई रकम का वितरण ऐसी भूमि धारण करने वाले मौरूसी कृषकों के बीच ऐसी रीति में कर सकेगा जो उसे उस प्रभाव का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण प्रतीत हों जो कि उनके खातों पर उस कारण से पड़ा हो जिससे कि परिणाम भू-राजस्व में माफी दी गई या उसे निलम्बित किया गया हो ।

(2) यदि लगान के भुगतान को निलम्बिन कर दिया गया हो तो ऐसे लगान की वसूली के लिये विहित परिसीमाकाल की संगणना करने में ऐसे निलम्बन की कालावधि को अपवर्जित कर दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबन्ध ऐसी भूमि को, जिससे कि भू-राजस्व को पूर्णत: या भागत: निर्मोचन कर दिया गया हो प्रशमन कर लिया गया हो या मोचन कर दिया हो, किसी ऐसे मामले में होंगे जिसमें कि, यदि उस भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व का निर्मोचन नहीं किया गया होता, प्रशमन नहीं किया गया होता या मोचन नहीं किया गया होता कलेक्टर की राय में सम्पूर्ण भू– राजस्व या उसके किसी भाग की छूट दे दी गई होती या उसे निलम्बन कर दिया गया होता

202. दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किये गये मौरूसी कृषक का पुन: स्थान – (1) यदि किसी व्यक्ति को, जो संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में कोई भूमि धारा 185 में वर्णित हैसियतों में से किसी हैसियत में धारण करता था, इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान उसके द्वारा धारित किसी भूमि से विधि की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा बेदखल या बेकब्जा कर दिया गया हो तो वह ऐसी भूमि पर अपने पुन:स्थापन के लिये, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय मौरूसी कृषक के रूप में भमि धारण करता है, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी ऐसी भूमि से; जो कि उसके द्वारा धारित है, उस संहिता के उपबन्धों के उल्लघन में बेदखल कर दिया गया हो, तो वह ऐसे भूमि पर अपने पुन:स्थापन के आवेदन इस प्रकार बेदखल या बेकब्जा किये जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार , पक्षकारों से सम्बन्धित दावों की जांच करने के पश्चात् आवेदन को विनिश्चय करेगा और जब वह मौरूसी कृषक को कब्जा वापस दिये जाने का आदेश दे देता है, तो उसे भूमि का कब्जा दिलायेगा ।

(4) तहसीलदार , आवेदक को उपधारा (3) के अधीन भूमि का कब्जा सौंपे जाने के लिये अन्तरिम आदेश जांच के किसी भी प्रक्रम पर पारित कर सकेगा यदि उसे यह प्रतीत हो कि विरोधी पक्ष द्वारा आवेदक को उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पूर्व के छह मास के भीतर

बेदखल कर दिया गया था या बेकब्जा कर दिया गया था, और यदि आवश्यक हो तो विरोधी पक्ष को उसके (तहसीलदार) के आदेश के अधीन बेदखल कर दिया जायेगा

(5) जब उपधारा (4) के अधीन अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार विरोधी पक्ष से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस समय तक, जब तक कि तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित न कर दिया जाय, भूमि का कब्जा लेने से प्रविरत रहने के लिये उतनी राशि का बन्धपत्र निष्पादित करे जितनी कि वह (तहसीलदार) उचित समझे ।

(6) यदि यह पाया कि बन्धपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बन्धपत्र के उल्लंघन में भूमि में प्रवेश कर लिया है या उसका कब्जा ले लिया है तो तहसीलदार बन्धपत्र को पूर्णत: या भागत: समपहृत कर सकेगा और ऐसी रकम भू – राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा ।

(7) यदि उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश आवेदन के पक्ष में हो तो तहसीलदार युक्तियुक्त प्रतिकर भी अधिनिर्णित करेगा जो विरोधी पक्ष द्वारा आवेदक को संदत्त किया जायगा;

परन्तु प्रतिकर की रकम प्रत्येक वर्ष के दखल के लिये उस भूमि के राजस्व के दस गुने से अधिक नहीं होगी।

(8) इस धारा के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा

(9) तहसीलदार को यह शक्ति होगी कि वह किन्ही भी ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किये जायं, ऐसे मामलों का, जो कि मौरूसी कृषकों के, चाहे अभ्यर्पण द्वारा या अन्यथा दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किये जाने या बेकब्जा किये जाने से सम्बन्धित हों, स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन करे। जहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाही की जाती है, वहां यावत्यशक्य , पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध लागू होंगे

अध्याय-15

जलोढ़ तथा जल-प्लावन

203. जलोढ़ तथा जल-प्लावन.- (1) किसी तट पर बनी जलोढ़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, किन्तु ऐसे तट से लगी हुई भूमि का भूमिस्वामी , यदि कोई हो उसके खाते में इस प्रकार बढ़ गई जलोढ़ भूमि का उपयोग बन्दोबस्त की चालू अवधि के दौरान तब तक भू–राजस्व का भुगतान किये बिना करने का हकदार होगा जब तक कि उसके खाते में बढ़ गया क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो जाय ।

(2) जब किसी खाते में बढ़ गई जलोढ़ भूमि का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक हो जाय और उपखंड अधिकारी को यह प्रतीत हेा कि सार्वजनिक सुविधा तथा लोक राजस्व के हितों का सम्पर्क ध्यान रखते हुए ऐसी भूमि का निपटारा किया जा सकता है तो वह ऐसे खाते के भूमिस्वामी को ऐसी भूमि

भूमिस्वामी अधिकारों में ऐसे प्रीमियम पर देने की प्रस्थापना करेगा जो इस प्रकार बनी भूमि के उचित निर्धारण के बीस गुने से अधिक नहीं होगा यदि उक्त भूमिस्वामी उस प्रस्थापना को स्वीकार न करे तो उपखंड अधिकारी उस भूमि का विहित रीति में निपटारा कर सकेगा

(3) जहां जल-प्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में एकड से अधिक की कमी हो जाय, वहां ऐसे खाते के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व कम दिया जायगा ।

204. निर्धारण करने तथा विवादों को विनिश्चित करने की शक्ति– (1) उपखंड अधिकारी को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, यह शक्ति होगी कि वह भू-राजस्व में ऐसी समस्त वृद्धि तथा कमी को, जो कि इस अध्याय के अधीन अपेक्षित है या अनुज्ञात है, निर्धारित करे।

(2) उपखंड अधिकारी को यह भी शक्ति होगी कि वह जलोढ भूमि के विवरण से सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को, जो ऐसी भूमि का दावा करने वाले विभिन्न भूमिस्वामियों के बीच उद्भूत हो, विनिश्चित करे ।

अध्याय-16

खातों की चकबन्दी

205. परिभाषाएँ - इस अध्याय में –

(एक) "खातों की चकबन्दी" से अभिप्रेत है किसी ग्राम के की समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण कि जिससे खेती की सूविधा के लिये भूमिस्वामियों की लगे हुए भू – खंड आवंटित हो जाये

(दो) "चकबन्दी अधिकारी" से अभिप्रेत है तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई ऐसा राजस्व अधिकारी जिससे इस संहिता के अधीन चकबन्दी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी जिले या किन्हीं जिलों के लिये नियुक्त किया गया हो ।

206. चकब्न्दी की कार्यवाहियों का शुरू किया जाना – (1) किसी ग्राम को कोई भी दो या अधिक भूमिस्वामी, जो परस्पर मिलकर धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से अन्यून भूमि धारण करते हों, अपने खातों की चकबन्दी के लिये अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेगे जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ कथित की जायेंगी जो धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें

(2) कलेक्टर स्वप्रेरणा से चकबन्दी अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी ग्राम में खातों की चकबन्दी साध्य होने के बारे में जांच करे

(3) यदि किसी ग्राम के दो-तिहाई भूमिस्वामी अपने खातों की चकबन्दी के लिये आवेदन करें या यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किये किसी आवेदन के सम्बन्ध में जांच के अनुक्रम में उस ग्राम के दो-तिहाई भूमिस्वामी अपने खातों की चकबन्दी के लिये सहमत होते हुए आवेदन करें तो ऐसा आवेदन उस ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों की ओर से किया गया आवेदन समझा जायेगा

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन आने वाले किसी मामले में, खातों की चकबन्दी की किसी स्कीम की पुष्टि कर दी जाय, तो वह उस ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों पर तथा किन्हीं भी ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि उस भूमि को धारणा करने या दखल में लेने बाद में हकदार हो जायें, आबद्ध कर होंगी ।

(5) यदि किसी अन्य मामले में, खातों की चकबनदी की किसी स्कीम की पुष्टि कर दी जाय, तो वह आवेदकों पर तथा उन व्यकितयों पर, जो कि अपने खातों की चकबन्दी के लिये सहमत हो गये हो तथा किन्हों भी ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि उस स्कीम से प्रभावित भूमि को धारण करने या दखल में लेने क लिये बाद में हकदार हो जायँ, आबद्धकर होगी ।

207. आवेदन का नामन्जूर किया जाना – (1) यदि किसी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर या उस आवेदन पर की जा रही कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, आवेदन को नामंजूर करने, या किसी आवेदक के मामले को, उस पर विचार करने से अपवर्जित किये जाने के लिये अच्छा तथा पर्याप्त कारण प्रतीत होता हो तो चकबन्दी अधिकारी वह आवेदन कलेक्टर को इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत कर सकेगा कि उस आवेदन को पूर्णत: या भागत: नामंजूर कर दिया जाय या यह कि कार्यवाहियाँ मंसूख कर दी जायँ।

(2) कलेक्टर, उस सिफारिश के प्राप्त होने पर, उसे स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगा या अतिरिक्त जांच के लिये आदेश दे सकेगा ।

208. आवेदन का ग्रहण किया जाना – यदि चकबन्दी अधिकारी आवेदन ग्रहण कर लेता है, तो वह उसके सम्बम्ध में उस प्रकिया के अनुसार कार्यवाही करेगा जो कि इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अधिकथित है ।

209. खातों की चकबन्दी के लिये स्कीम तैयार किया जाना – (1) यदि धारा 206 के अधीन आवेदन करने वाला भूमिस्वामी खातों की चकबन्दी की कोई ऐसी स्कीम प्रस्तुत करता है जिसके कि सम्बन्ध में पारस्परिक करार हो गया हो, तो चकबन्दी अधिकारी, धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकथित रीति में, उसकी परीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो उसे उपान्तरित करेगा ।

(2) यदि आवेदन के साथ कोई स्कीम प्रस्तुत न की जाय, तो चकबन्दी अधिकारी खातों की चकबन्दी के लिये एक स्कीम धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकथित रीति में तैयार करेगा।

(3) यदि चकबन्दी अधिकारी की यह राय हो कि चकबन्दी की किसी स्कीम के अनुसार भूमि के पुनर्वितरण के, परिणामस्वरूप किसी भूमिस्वामी के आवंटन में कोई ऐसा खाता या भूमि आवेगी जिसका कि बाजार मूल्य या उत्पादी मूल्य उसके मूल खाते या भूमि के बाजार मूल्य या उत्पादी मूल्य की अपेक्षा कम है, तो उस स्कीम में यह उपलब्ध हो सकेगा कि ऐसे भूमिस्वामी को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी निर्देशित करें, प्रतिकर का भुगतान किया जाय।

(4) जब चकबन्दी की स्कीम पूरी हो जाय, तो चकबन्दी अधिकारी, स्कीम के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने तथा यथासम्भव उनका, निराकरण करने के पश्चात् उस स्कीम को उसकी पुष्टि की जाने के लिये कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा

(5) जब चकबन्दी की स्कीम पूरी हो जाय, और यदि ऐसी स्कीम से प्रभावित समस्त भूमिस्वामी, उस स्कीम के अधीन उन्हें आवंटित किये गये खातों का कब्जा लेने के लिये सहमत हो जाये, तो चकबन्दी अधिकारी उनकी स्कीम में वर्णित की जाने वाली तारीख से ऐसा कब्जा लेने के लिये अनज्ञात कर सकेगा ।

210. स्कीम की पुष्टि- कलेक्टर चकबन्दी की स्कीम के सम्बन्ध में की गई आपत्ति या आपत्तियों, यदि कोई हो, पर तथा चकबन्दी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् या तो स्कीम की, उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना पुष्टि कर सकेगा या उसकी पुष्टि करने से इन्कार कर सकेगा । कलेक्टर का विनिश्चय, किसी भी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए जो कि बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण में धारा 50 मे अधीन पारित किया जाय, अन्तिम होगा।

211. पुष्टि हो जाने पर प्रकिया - (1) चकबन्दी की स्कीम की पूष्टि हो जाने पर, चकबन्दी अधिकारी यदि आवश्यक हो, खातों का सीसांकन करेगा तथा अन्तिम रूप से किये विनिश्चयों को आख्यापित करने की कार्यवाही करेगा और स्कीम के अनुसार खेत का नक्शा, अधिकार-अभिलेख, धारा 114 अधीन विहित अन्य अभिलेख, निस्तार-पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज नये तैयार करवायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे यथास्तिति अध्याय-9 या अध्याय-18 के अधीन तैयार किये गये हैं

212. खातों के कब्जे के सम्बन्ध में भूमिस्वामियों के अधिकार - चकबन्दी की स्कीम से प्रभावित भूमिस्वामी, यदि उन्होंने धारा 209 की उपधारा (5) के अधीन कब्जा न लिया हो, स्कीम की पुष्टि होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से उन खातों के कब्जे के लिये हकदार होंगे जो कि स्कीम के अधीन उनकी आवंटित किये हों; और चकबन्दी अधिकारी, यदि आवयश्क हो, उनको उन खातों का जिनके कि वे हकदार हैं, कब्जा वारंट द्वारा दिलवायेगा :

परन्तु यदि समस्त भूमिस्वामी सहमत हो जाय, तो उन्हें स्कीम की पुष्टि होने के पश्चात् चकबन्दी अधिकारी द्वारा उनके खातों का कब्जा किसी पूर्वतर तारीख से भी दिखाया जा सकेगा ।

213. भूमि स्वामियों के उनके खातों में के अधिकारों का अन्तरण - इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमिस्वामियों के उनके खातों में के अधिकार, चकबन्दी की किसी ऐसी स्कीम को, जो कि उन पर प्रभाव डालती हो, कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनियम द्वारा या अन्यथा अन्तरणीय होंगे और कोई भी व्यक्ति इस बात का हकदार नहीं होगा कि वह उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी अन्तरण के सम्बन्ध मे आपत्ति करे या उसमें हस्तक्षेप करें।

(2) चकबन्दी अधिकारी, राज्य सरकार की किसी भूमि को भी विनियम द्वारा या अन्यथा अन्तरिक कर सकेगा जहां कि ऐसा अन्तरण चकबंदी की किसी स्कीम को कार्यन्वित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

214. अन्तरण प्रभावान्वित करने के लिये लिखत आवश्यक नहीं होगी – तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) किसी ऐसे अन्तरण को जिसमें खातों की चकबन्दी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करना अन्तर्वलित है, प्रभावान्वित करने क लिये कोई लिखत आवश्यक नहीं होगी, और

(ख) किसी भी ऐसी लिखत का, यदि वह निष्पादित की गई हो, रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

215. स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च.- (1) चकबंदी अधिकारी; जब तक कि राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यों निदेशित न करे, स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्चे, जो कि धारा 221 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे, उन भूमिस्वामियों से वसूल करेगा, जिनके कि खाते, खातों की चकबन्दी की स्कीम द्वारा प्रभावित होते हों।

(2) चकबन्दी अधिकारी, उन भूमिस्वामियों के बीच खर्चे का प्रभाजन, जो कि उसका भुगतान करने के दायित्वाधीन हों, ऐसी स्कीम से प्रभावित खातों के उन क्षेत्रफल के अनुसार करेगा जो कि ऐसे भूमिस्वामियों के दखल में हैं।

216. प्रतिकर तथा खर्चे की वसूली.– कोई रकम, जो धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में, या धारा 215 के अधीन खर्चे के रूप में देय हो, भू–राजस्व के बकाया, के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

217. विभाजन कार्यवाहियों का चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान निलंबन- जब खातों की चकबन्दी के लिए आवेदन धारा 208 के अधीन ग्रहण कर लिया गया हो तो खातों के विभाजन के लिये कोई भी कार्यवाहियाँ जो चकबन्दी की स्कीम पर प्रभाव डालती हो, प्रारम्भ नहीं की जायेगी और लम्बित समाप्त ऐसी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान प्रास्थगित रहेंगी।

218. कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति का अन्तरण.- जब खातों की चकबन्दी के लिये कोई आवेदन ग्रहण कर लिया गया हो, तो किसी ऐसे भूमिस्वामी को, जिस पर स्कीम आबद्धकर होगी, यह शक्ति नहीं होगी कि वह चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान, अपने मूल, खाते या भूमि के किसी भाग को इस प्रकार अन्तरित करें या उसके सम्बन्ध में अन्यथा इस प्रकार कार्यवाही करे कि जिससे चकबन्दी की स्कीम के अधीन किसी अन्य भूमि-स्वामी के तत्सम्बन्धी अधिकारों पर प्रभाव पड़े।

219. चकबन्दी के पश्चात् भूमिस्वामियों के अधिकार पूर्ववत बने रहेंगे.- किसी भूमिस्वामी के उस खाते या भूमि में जो चकबन्दी की स्कीम के अनुसरण में उसे आवंटित की गई हो, वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उसके मूल खाते में प्राप्त थे।

220. भूमिस्वामियों के विल्लंगम – (1) यदि चकबन्दी की स्कीम के अन्तर्गत लाये गये किसी भूमि-स्वामी के खाते पर किसी पट्टे, बन्धक या अन्य विल्लंगम का भार विधि मान्यता है, तो ऐसा पट्टा बन्धक या आय विल्लंगम अन्तरित कर दिया जायेगा और वह स्कीम के अधीन उसे आवंटित किये गये खाते से या उसके ऐसे भाग से सम्बद्ध हो जायेगा जिसे चकबंदी अधिकारी ने, स्कीम तैयार करते समय, किन्हीं ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि धारा 221 के अधीन बनाये जायें, नियत किया हो; और तदुपरि उस भूमि में या उसके प्रति जिस पर से कि पट्टा बन्धक या अन्य विल्लंगम अन्तरिक कर दिया गया है, यथास्थिति पट्टेदार, बन्धकदार या अन्य विल्लंगमदार का कोई अधिकार नहीं रह जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे पट्टेदार या बन्धकदार या अन्य विल्लंगमदार को, जो कि कब्जे का हकदार हो उस खाते का या खाते के उस भाग का कब्जा जिस कि पर कि उसका पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम उपधारा (1) से अधीन अंतरित हो गया हो वारंट द्वारा दिलायेगा।

221. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार –

(क) धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा धारण की जाने वाली भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल विहित करते हुए;

(ख) धारा 206 के अधीन किये जाने वाले किसी आवेदन में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियों के लिये उपबन्ध करते हुए;

(ग) खातों की चकबन्दी के लिये आवेदनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में चकबन्दी अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिये और स्कीम की परीक्षा करने या उसे तैयार करने में चकबन्दी अधिकारी की सहायता करने के लिये सलाहकार समिति या पंचायत की नियुक्ति तथा गठन के लिये उपबन्ध करते हुए;

(घ) धारा 209 की उपधारा (3) के अतंर्गत आने वाले मामलों में लिये जाने वाले प्रतिकर की अवधारणा करने के लिये;

(ङ) धारा 215 के अधीन खर्च के निर्धारण का विनियमन करने के लिये;

(च) चकबन्दी की किसी स्कीम के अधीन लाये गये विभिन्न खातों तथा भूमियों के बाजार मूल्य या उत्पादी मुल्य का अवधारण करने के लिये;

(छ) धारा 220 के अधीन विल्लंगमों तथा पट्टों के अन्तरण के सम्बन्ध मे चकबन्दी अधिकारी के मार्गदर्शन के लिये; और

(ज) साधारणत : इस अध्याय अधीन की समस्त कार्यवाहियों में चकबन्दी अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों एवं व्यक्तियों के मार्ग दर्शन के लिये, नियम बना सकेगी ।

अध्याय - 17

ग्राम अधिकारी

क-पटेल

222. पटेलों की नियुक्ति – (1) धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये एक या अधिक पटेल नियुक्त कर सकेगा ।

(2) जब किसी ग्राम में दो अधिक पटेल हों तो कलेक्टर, धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अधयधीन रहते हुए पटेल के पद के कर्तव्यों का ऐसी रीति में वितरण कर सकेगा, जैसी कि वह उचित समझे।

(3) जहां विन्य्ब प्रदेश क्षेत्र में, कोई पटवारी उन कर्तव्यों का, जो कि इस संहिता के अधीन पटेल पर अधिरोपित किये गये हैं, इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पालन करता रहा है, वहां वह ऐसे कर्तव्यों का तब तक पालन करता रहेगा तथा इस संहिता के प्रयोजनों के लिये तब तक पटेल समझा जायेगा जब तक कि उपधारा (1) के अधीन कोई पटेल नियुक्त न कर दिया जाय।

223. पटेलों का पारिश्रमिक .- पटेलों का पारिश्रमिक कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार नियत किया जायेग्रा जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हों ।

224. पटेलों के कर्त्तव्य -. प्रत्येक पटेल का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

[(क) [(एक) ऐसे वसूली प्रभार की कटौती करने के पश्चात्, जैसा कि राज्य सरकार समय – समय, अवधारित करे, भू-राजस्व तथा संबंधित करों तथा उपकरों के संग्रहण को, जो कि उसके मार्फत देय हैं, संग्रहीत करें तथा "ग्राम कोष" में जमा करें;]

(दो) उपखण्ड (एक) के अधीन वसूली प्रभार तथा ऐसे अन्य सरकारी शोध्यों को, जो उसके द्वारा संग्रहीत किए जाने हेतु आदेशित हैं, संग्रहित करें तथा सरकारी खजाने में जमा करें ।

(ख) अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट ऐसे स्थानों तथा ऐसे समयों पर करें जैसा कि कलेक्टर इस सम्बन्ध में नियत करें

(ग) ग्रामों में की बंजर भूमि पर लोक पथों तथा सडकों पर अतिक्रमणों को यथासम्भव रोंके;

(घ) सरकारी सेवा में के सर्वेक्षकों द्वारा उसके में परिनिर्मित ऐसे आस्थानों तथा सीमा -चिन्हों को, जो कि उसकी देख-रेख के लिये सौपे जायँ, परिलक्षित करें तथा सीमा-चिन्हों को पहुँचाये गये किसी नुकसान की रिपोर्ट करें;

(ड़) धारा 258 के अधीन बनाये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम को समुचित स्वच्छ दशा में रखें;

(च) जंगल की अनधिकृत कटाई या राज्य सरकार के किन्हीं खनिजों या अन्य सम्पत्तियों के अनधिकृत रूप से हटाये जाने को रोकें;

(छ) कोटवार पर नियत्रण रखें तथा उसका अधीक्षण करें, उसकी मूत्यु की या उसके कर्तव्य से अनुपस्थित करने की रिपोर्ट करें तथा ऐसे उपाय करें जो कि कोटवार को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये उसे विवश करने हेतु आवश्यक हों;

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो कि धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाएँ।

225. किसी विधि के अधीन भू-धारकों पर अधिरोपित कर्तव्य पटेलों पर अधिरोपित कर्तव्य समझे जायेंगे – यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनिमिति द्वारा भू-धारकों, उनके प्रबन्धकों या अभिकर्ताओं पर कोई लोक कर्तव्य अधिरोपित किये जाते हैं या उनमें किन्हीं लोक दायित्वों का सम्बद्ध होना घोषित किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि इस संहिता के अधीन नियुक्त किये गये पटेलों पर ऐसे कर्त्तव्य अधिरोपित हैं तथा ऐसे दायित्व उनसे सम्बन्ध हैं :

परन्तु इनमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात भू-धाराकों, उनके प्रबन्धको या अभिकर्ताओं को किन्हीं भी ऐसे कर्तव्यों या दायित्वों से, जो कि उन पर विधि के द्वारा अन्यथा अधिरोपित किये गये हों उन्मोचित नहीं करेगी ।

226. पटेलों को हटाया जाना – धारा 258 के अधीन बनाये गयें नियमों के अध्यधीन रहते हुए कलेक्टर किसी पटेल को पद से हटा सकेगा ।

227. पटेलों को दण्ड - कोई पटेल, जो धारा 224 या 225 के अधीन उसे सौंपे गये किसी कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करता हुआ पाया जायेगा वह तहसीलदार के अधीन, जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

228. प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति.— जहां कोई पटेल अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थाई रूप से असमर्थ वहां उपखंड अधिकारी उसे पटेल के आवेदन पर या अन्यथा, छह मास से अनधिक कालावधि के लिये एक प्रतिस्थानी की नियुक्ति कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिस्थानी, इस संहिता के समस्त प्रयोजनों के लिये, पटेल समझा जायगा ।

229. ग्राम प्रबंध का सौपा जाना.— इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी ग्राम का प्रबन्ध या किसी पटेल को सौंपे गये कर्तव्यों का पालन किसी ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठिन न की गई हो, वहां धारा 232 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगी ।

ख—कोटवार

230. कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य.— (1) ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिये जो कि विहित किये जायँ, प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये एक या अधिक कोटवार धारा 258 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे :

परंतु मध्य भारत क्षेत्र में, इस धारा के अधीन कोटवारों के कर्तव्यों का पालन पुलिस चौकीदारों द्वारा किया जायगा जो, इस संहिता के प्रवृत्त होने पर, इस धारा के अधीन कोटवार समझे जायेंगे, और सब बातो में राजस्व अधिकारियों के नियंत्रण अधीन होंगे ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय भोपाल तथा सिरोंज क्षेत्रों में ग्राम-चौकिदार का या विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में चौकीदार का पद धारण करता है, इस धारा के अधीन कोटवार समझा जायगा ।

231. कोटवारों का पारिश्रमिक.— राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्बन्धनों, निर्बन्धनों और शर्तो के; जो उस आदेश में वर्णित की जायें, अध्यधीन रहते हुए, कोटवारों का पारिश्रमिक या तो भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से नियत कर सकेगी किंतु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव 1 मार्च, 1982 से पूर्व की तारीख से नहीं होगा ।]

ग—ग्राम सभा

232. ग्राम सभा.— 'ग्राम सभा' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की, यथास्थिति, धारा 5-क या धारा 129-क के अधीन गठित निकाय और 'ग्राम कोष' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा 7-ञ की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि ।]

(2) ग्राम सभा एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा कम से कम तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जो सभी, उस ग्राम या ग्रामों के उस समूह के, जिसके कि लिये ग्राम सभा स्थापित की जाय, वयस्क निवासियों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित किये जायेंगे ।

(3) सदस्यों की पदावधि पाँच वर्ष होगी ।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा एक निगमित निकाय होगी तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद चलायेगी तथा उसके नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जायगा । इस संबंध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, उसे जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने; संविदाएँ करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातें, जो कि उसे सौंपे गये कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो, करने की भी शक्ति होगी ।

(5) प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित करेगी तथा उसे बनाये रखेगी और-

(एक) चराई फीस के रूप में वसूल की गई समस्त राशियाँ तथा उस ग्राम के प्रबंध से उद्भूत होने वाली ऐसी अन्य फीस तथा आय, जो कि राज्य सरकार विहित करे, और

(दो) राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई समस्त राशियाँ ऐसी निधि में जमा की जायेंगी ।

ऐसी निधियाँ, ग्राम सभा के नियंत्रण तथा प्रशासन के अधीन आने वाले विभिन्न विषयों से आनुषंगिक प्रभारों तथा व्ययों के भुगतान के लिये उपयोज्य होंगी।

(6) कलेक्टर ग्राम सभा के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करेगा और पर्याप्त हेतुक के आधार पर किसी ग्राम सभा को विघटित कर सकेगा और उसे पुनर्गठित होने तक उसके कृत्यों का पालन करने के लिये किसी व्यक्ति को कर सकेगा ।

(7) जब किसी ऐसे ग्राम या ग्रामों के समूह में, जिसके कि लिये कोई ग्राम पंचायतों के संबंध में प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित कर दी गई हो, तो ऐसी ग्राम पंचायत इस संहिता के अधीन ग्राम सभा पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का पालन करेगी तथा ग्राम सभा के इस संहिता के अधीन अधिकारों का प्रयोग करेगी, और ग्राम सभा अस्तित्वहीन हो जायेगी ।

(8) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पटेल के ऐसे कर्तव्य या किसी ग्राम के कृषिक या औद्योगिक विकास से संयुक्त कोई ऐसे अन्य कृत्य, जैसे कि यह ठीक समझे ग्राम सभा को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

अध्याय—18

आबादी तथा दखल-रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार

233. दखल-रहित भूमि का अभिलेख.- समस्त दखल-रहित भूमि का अभिलेख, इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिये तैयार किया जायगा तथा रखा जायगा जिसमें—

(क) धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये पृथक् रखी गई दखल-रहित भूमि पृथकता दर्शाई जायगी ।

(ख) * * *

234. निस्तार-पत्रक का तैयार किया जाना. उपखंड अधिकारी इस संहिता तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगति रखते हुए एक निस्तार-पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखल-रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय और विशिष्टत : धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषय में सन्निविष्ट होंगे ।

(2) निस्तार पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा ।]

(3) ऐसे अंतिम निस्तार पत्रक की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी ।

(4) ग्राम सभा द्वारा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर, उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर की पूर्व अनुमति से तथा ऐसी किसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे –

(क) निस्तार पत्रक की प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) ग्रामवासियों के अतिरिक्त निस्तार पत्रक के अधिकारों को पूरा करने के लिये निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के अधीन अतिरिक्त दखल रहित भूमि अभिलिखित कर सकेगा।

235. विषय जिनका निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जायेगा – वे विषय, जिनके लिये निस्तार – पत्रक में उपबन्ध किया जायेगा, निम्नलिखित होंगे अर्थात् –

(क) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर ग्राम में पशुओं को चराने की अनुज्ञा दी जायगी;

(ख) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर तथा वह अधिकतम सीमा जिस तक कोई निवासी –

(एक) लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई अन्य वन उपज;

(दो) मुरम, कंकर, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य गौण खनिज अभिप्राप्त कर सकेगा;

(ग) साधारणत: पशुओं को चराने का तथा पैरा (ख) में वर्णित वस्तुओं के हटाये जाने का विनियमन करने वाले अनुदेश;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे निस्तार-पत्रक में इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित हो।

236. निस्तार-पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध – धारा 235 में यथा उपबन्धित निस्तार-पत्रक तैयार करने में, कलेक्टर, यथासम्भव, निम्नलिखित के लिये उपबन्ध करेगा –

(क) कृषि के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को नि:शुल्क चराने के लिये;

(ख) ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिये –

(एक) वन उपज का;

(दो) गौण खनिजों का मुफ्त ले जाया जाना;

(ग) ग्राम के शिल्पकारों को, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुएँ; उनकी शिल्पकारी के प्रयोजन के लिये ले जाये जाने के लिये दी जाने वाली रियायतें ।

237. निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना – (1) इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये पृथक् रख सकेगा, अर्थात् –

(क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिये आरक्षित क्षेत्र के लिये,

(ख) चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिये आरक्षित क्षेत्र के लिये,

(ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि के लिये;

(घ) गोठान के लिये;

(ङ) शिविर भूमि के लिये;

(च) खलिहान के लिये;

(छ) बाजार के लिये;

(ज) खाल निकालने के लिये;

(झ) खाद के गड्ढों के लिये;

(ण) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिये;

(ट) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिये विहित किये जायँ।

(2) विलुप्त]

(3) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात्, उपधारा (1) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, व्यपवर्तित कर सकेगा :

परन्तु उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आबंटित नहीं की जाएगी ।

(4) जब उपधारा (1) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु उपधारा (3) के अधीन नहीं आती हैं, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलेक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और संबंध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय का तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा ।

238. दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार – (1) जहां कलेक्टर की यह राय हो कि किसी ग्राम की बंजर भूमि अपर्याप्त है और यह लोकहित में है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाय तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, यह आदेश दे सकेगा कि उस ग्राम के निवासियों को पड़ोसी ग्राम में यथास्थिति निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार उस सीमा तक होगा जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट है ।

(2) किसी ग्राम के निवासी, जिन्हें पड़ोसी ग्राम में पशु चराने के अधिकार उपधारा (1) के अधीन हैं या सरकारी वन में पशु चराने का अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ अपने धर्माधिकार को अभिलिखित करने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकेंगें ।

(3) यदि, उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदन की जांच करने पर; कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे निवासियों को इस बात के लिये समर्थ बनाने में कि वे अपने पशुओं को किसी अन्य ग्राम में या सरकारी वन में चराने के अधिकार का प्रयेाग कर सकें, मार्ग का अधिकार युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है, तो वह ऐसे मार्ग के लिये उनके अधिकार को घोषणा करते हुए आदेश पारित करता और वे शर्तें करेगा जिन पर उस अधिकार का प्रयोग किया जायेगा ।

(4) कलेक्टर आने जाने का मार्ग भी अवधारित करेगा और ऐसे मार्ग को ऐसी रीति में निर्बन्धित करेगा जिसने कि उस ग्राम के, जिसमें से होकर वह मार्ग जाता है, निवासियों को कम से कम असुविधा हो ।

(5) कलेक्टर, यदि वह ठीक समझे, ऐसे मार्ग को सीमांकित कर सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निस्तार पत्रक में अभिलिखित किये जायेंगे ।

(7) जहां उपधारा (1) में वर्णित ग्राम भिन्न-भिन्न जिलों में आते हों वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् –

(क) निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश उस कलेक्टर द्वारा पारित किये जायेंगे जिसके कि जिले मे वह ग्राम आता है जिस पर कि ऐसे अधिकार का दावा किया गया है;

(ख) आने जाने के मार्ग के बारे में कोई आदेश उस कलेक्टर द्वारा पारित किये जायेंगे जिसकी अपनी अधिकारिता में वह क्षेत्र आता है, जिस पर से कि मार्ग अनुज्ञात किया गया है;

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश पारित करने वाला कलेक्टर सम्बन्धित अन्य कलेक्टर से लिखित में परामर्श करेगा ।

239. दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षो में अधिकार – (1) जहां इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि में कोई फलदार वृक्ष लगाया गया हो और वैसा अभिलिखित हो वहां इस बात के होते हुए भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपयोग के लिये किसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान किये बिना हकदार होंगे ।

(2) राज्य सरकार या तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को किसी ग्राम की दखल रहित भूमि पर; जो उस प्रयोजन के लिये पृथक् रक्षित की जाय, फलदार वृक्ष या ऐसी अन्य जातियों के वृक्ष, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायँ, रोपित किये जाने और उगाने की अनुज्ञा दे सकेगा;

और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वृक्षारोपण , अनुज्ञा पत्र और वृक्ष पट्टे इस धारा के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपलब्ध के अनुसार मंजूर कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्ष पट्टा ऐसे प्ररूप में और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो, विहित की जायें ।

(4) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार अन्तरणीय होगा किन्तु अनुज्ञापत्र या पट्टे के धारक को या उसके हित उत्तराधिकारी को उस भूमि पर, जिस पर ऐसा वृक्ष खड़ा है, इस अधिकार के सिवाय कोई अधिकार नहीं होगा कि वह अनुज्ञापत्र और पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उस भूमि पर वृक्ष उगाये और ऐसे वृक्षों में भोगाधिकारों (usufructuary rights) का, जिनके अन्तर्गत ऐसे वृक्षों के पिण्ड (कार्य) (corpus) में अधिकार भी हैं, उपभोग करें:

परन्तु विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा कोई भी अन्तरण , उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित पूर्व मन्जूरी के बिना नहीं किया जायेगा ।

(5) यदि वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के निबन्धनों और शर्तें में से किसी निबंधन तथा शर्त का भंग किया जाता है तो वह अनुज्ञापत्र या पटटा , उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्ति अवसर देने के पश्चात् रद्दकरणीय होगा।

(6) राज्य सरकार , इस धारा के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

240. कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध – (1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किन्हीं वृक्षों का काटा जाना लोकहित के लिये अपायकर detrimental (हानिकारक) है या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन करना आवश्यक है तो वह ऐसे वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन इस सम्बन्ध में बनाये नियमों द्वारा कर सकेगी , चाहे ऐसे वृक्ष भूमिस्वामी की भूमि पर खड़े हों या सरकार की भूमि पर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम बनाने में, राज्य सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि ऐसे समस्त नियम या कोई भी नियम केवल ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे जिसे राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(3) राज्य सरकार , उन भूमियों पर के, जो कि राज्य सरकार के हों, वनोत्पादों के नियन्त्रण , प्रबन्ध , काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन करने वाले नियम बना सकेगी ।

241. सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय – (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी सरकारी वन से इमारती लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए; लोकहित में यह आवश्यक है कि वनों से लगे हुए किसी क्षेत्र से समाविष्ट ग्राम में इमारती लकड़ी के काटकर गिराये जाने तथा उसके वहाँ से हटाये जाने का विनियमन किया जाय, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित आदेश, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट समस्त ग्रामों में विहित रीति में उद्घोषित किया जायेगा ।

(3) धारा 179 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए जब कोई आदेश उपधारा (2) के अधीन किसी ग्राम में उद्घोषित कर दिया गया हो तो कोई भी व्यक्ति; विक्रय के किसी खाते में के इमारती लकड़ी के किसी वृक्ष को ऐसे नियमों के अनुसार ही काटकर गिरायेगा या किसी ऐसे वृक्ष के पिण्ड (corpus) को किसी ऐसे खाते से ऐसे नियमों के अनुसार ही हटायेगा जो कि इस सम्बन्ध में बनाये जायँ अन्यथा नहीं ।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, किसी अन्य कार्रवाई पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपखण्ड अधिकारी के लिखित आदेश पर, पचास हजार रूपये से अनधिक ऐसी शास्ति का, जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, भुगतान करने का दायी होगा और उपखण्ड अधिकारी यह और आदेश देगा कि इमारती लकड़ी के किन्हीं भी ऐसे वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाए जो कि इस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में काट कर गिराए गये हैं ।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर के वृक्षों की दो घनमीटर तक इमारती लकड़ी एक वर्ष की कालावधि के दौरान अपने वास्तविक कृषिक प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों के लिये काटकर गिराये जाने को लागू नहीं होगी यदि ऐसा काटकर गिराया जाना अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अनुसार हो ।

242. वाजिब उल अर्ज.- (1) इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् होने के पश्चात् यथाशक्य शीध्र, उपखंड अधिकारी किसी ऐसी भूमि या जल में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीस प्रधिकरण का न हो या जो उसके द्वारा नियन्त्रित या प्रबन्धित न हो।

- सिंचाई के अधिकार या मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार ।
- मछली पकड़ने के अधिकार ।

की बाबत प्रत्येक ग्राम की रूढ़ियों को विहित रीति में अभिनिश्चित तथा अभिलिखित करेगा और ऐसा अभिलेख ग्राम के वाजिब – उल-अर्ज के नाम से जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में तैयार किया गया अभिलेख उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किया जावेगा जो कि विहित की जाय।

(3) ऐसी अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपान्तरित कराने के लिये सिविल न्यायालय में वाद ऐसी अभिलेख के उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख, उपधारा (3) के अधीन संस्थित किये गये वाद में सिविल न्यायालय के विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम और निश्चायक होगा ।

(5) उपखंड अधिकारी, उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर स्वप्रेरणा से, निम्नलिखित किन्हीं पर, वाजिब-उल-अर्ज में की किसी प्रविष्टि को उपान्तरित कर सकेगा या उसमें कोई नवीन प्रविष्टि अन्त: स्थापित कर सकेगा –

(क) यह कि ऐसी प्रविष्टि में हितबद्ध समस्त व्यक्ति उसे उपान्तरित कराना चाहते हैं; या

(ख) यह कि किसी सिविल वाद में दी गई किसी डिक्री द्वारा उसे गलत घोषित कर दिया गया है; या

(ग) यह कि सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश पर या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश, पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं हैं; या

(घ) यह कि इस प्रकार आधारित होते हुए भी, बाद में ऐसी डिक्री या ऐसे आदेश को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में फेरफारित कर दिया है; या

(ङ) यह कि सिविल न्यायालय ने डिक्री द्वारा, ग्राम में विद्यमान किसी रूढ़ि का पर्यवसान कर दिया है ।

243. आबादी – (1) जहां आबादी के लिये रक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो तो वह गांव की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र रक्षित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ।

(2) जहां आबादी के प्रयोजनों के लिये दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो, वहां राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिये कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी ।

(3) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (भूमि अर्जन अधिनियम, 1984) (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपबन्ध ऐसे अर्जन से लागू होंगे और उस अधिनिमय के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि के अर्जन के लिये मुआवजा (प्रतिकर) देय होगा ।

244. आबादी स्थलों का निबटारा – इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम पंचायत या जहाँ ग्राम पंचायत का गठन न किया गया हो, वहाँ तहसीलदार आबादी क्षेत्र में स्थलों का निपटारा करेगा ।

245. भू-राजस्व संहिता बिना, गृह स्थल धारण करने का अधिकार – आबादी में स्थित ऐसा भवन-स्थल जो युक्तियुक्त माप (डायमेन्श्न) का है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा, यदि ऐसा स्थल किसी कोटवार के या किसी ऐसे व्यक्ति के दखल में है जो कि ऐसे ग्राम में, या उस ग्राम जिसमें के सामान्यत: ऐसे ग्राम से खेती की जाती है, भूमि धारण करता है, या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है ।

246. आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्त्यिों का अधिकार – धारा 244 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के साथ आबादी में गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है या जो इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधिपूर्वक अर्जित कर ले, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमि-स्वामी होगा:

परन्तु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के आरम्भ होने पर या उसके पश्चात् किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह-स्थल का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा –

(एक) यह कि आवंटिती आवंटन की तारीख से पांच पर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा;

(दो) यह कि आवंटिती आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का, जो कि उसे आवंटित की गई हो, या उसमें के हित का अन्तरण नहीं करेगा,

(तीन) यह कि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने की दशा में यह भूमि भंग की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जायेगी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिये "ग्रामीण आवास-विकास योजना" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-स्थलों की व्यवस्था के हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम जिसके अधीन राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में के भूमिहीन कर्मचारी के कुटुम्बों के लिये, जिनके कि स्वामित्व के पहले से ही कोई गृह स्थ्ल न हों या जिसके स्वामित्व में पहले से ही अपनी स्वयं की भूमि पर कोई निर्मित गृह या कोई झोपड़ी न हो, नि:शुल्क गृह-स्थलों की व्यवस्था, भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर करनी है ।

247. खनिजों के सम्बन्ध में सरकार का हक – (1) जब तक कि सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुदान के निबन्धनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, समस्त खनिजों, खानों तथा खदानों का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा जिसे ऐसी समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि ऐसे अधिकारों के समुचित उपयोग के लिये आवश्यक हों ।

(2) समस्त खानों तथा खदानों के अधिकार के अंतर्गत आता है खनन तथा खदान क्रिया के प्रयोजन के लिये भूमि तक पहुँचने का अधिकार तथा ऐसी अन्य भूमि को दखल में लेने का अधिकार जो कि उससे (खनन तथा खदान क्रिया से) समनुषंगी उन प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं जिनके अन्तर्गत कार्यालयों का, कर्मकारों के निवास गृहों का परिनिर्माण तथा मशीनरी का प्रतिष्ठापन, खनिजों का ढेर लगाना तथा कूड़ा करकट इक्ट्ठा करना; सड़कों, रेल पथों या ट्राम पथों का सन्निर्माण और कोई ऐसे अन्य प्रयोजन भी हैं जिन्हें राज्य सरकार खनन खदान – क्रिया से समनुषंगी होना घोषित करें ।

(3) यदि सरकार ने किन्हीं खनिजों, खानों या खदानों पर का अपना अधिकार किसी व्यक्ति को समनुदेशित कर दिया हो, और यदि ऐसे अधिकार के समुचित उपयोग के लिये यह आवश्यक हो कि उपधारा (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए तो कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शक्तियाँ, ऐसी शर्तों तथा आरक्षणों के अध्यधीन रखते हुए, जो कि वह विनिर्दिष्ट करें, उस व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिसे वह अधिकार समनुदेशित किया गया हो :

परन्तु कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे समस्त व्यक्तियों पर, जो प्रभावित हुई भूमि में अधिकार रखतें हों, सूचना की सम्यक् रूप से तामील न कर दी गई हो, और उनकी आपत्तियों को सुन न लिया गया हो और उन पर विचार न कर लिया गया हो ।

(4) यदि, इसमें निर्दिष्ट किये गये अधिकार का, किसी भूमि पर प्रयोग करने में, ऐसी भूमि की सतह को दखल में लेने के कारण या उस पर होने वाली हलचल के कारण , किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन होता हो, राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे अतिलंघन के लिये ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रतिकर की रकम की संगणना उपखंड अधिकारी द्वारा, यदि उसका अधिनिर्णय स्वीकार न किया जाय, तो सिविल न्यायालय द्वारा यथाशक्य, भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का संख्यांक 1) के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी ।

(5) सरकार का कोई भी समनुदेशिती कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना, और तब तक जब तक कि प्रतिकर अवधारित न कर दिया गया हो तथा उन व्यक्तियों को, जिनके कि अधिकारों का अतिलंघन होता हो, निविदत्त न कर दिया गया हो, किसी भूमि की सतह पर न तो प्रवेश करेगा और न ही उसे दखल में लेगा ।

(6) यदि राज्य सरकार का कोई समनुदेशिती (assignee) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित प्रतिकर का भुगतान नहीं करता है, तो कलेक्टर उससे ऐसा प्रतिकर उन व्यक्तियों की ओर से; जो कि उसके हकदार हों, इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानों कि वह भू-राजस्व का बकाया हो ।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान में, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना; कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजार मूल्य के चार गुने के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी :

[परन्तु विलोपित]

(8) उपधारा (7) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर किसी ऐसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है और सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया है, निकाले गये या हटाये गये किसी खनिज का अभिग्रहण कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, “खनिज” के अन्तर्गत कोई ऐसी रेत या चिकनी मिट्टी है जिसके कि सम्बन्ध में राज्य सरकार या घोषित करे कि वह वाणिज्यिक महत्व की है या यह कि वह किसी लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैं ।

248. अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति – (1) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी भूमि पर, जो धारा 237 के

अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिये पृथक् रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी , निगमित निकाय की सत्पत्ति हो, कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्सत : बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिहरित किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी सम्पत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जायेगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उनके भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा । ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार , अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिये भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिये स्वीकार्य दर की दुगुनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत रूपये तक हो सकता है, तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रूपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रूपये तक हो सकता है, लिये भी दायित्वाधीन होगा । तहसीलदार सम्पूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो :

परन्तु तहसीलदार –

(एक) महाकौशल क्षेत्र में, --

(क) विलीन राज्यों से भिन्न क्षेत्र में सितम्बर सन् 1917 के प्रथम दिन के पूर्व;

(ख) विलीन राज्यों में अप्रैल सन् 1950 के तृतीय दिन के पूर्व;

(दो) मध्य भारत क्षेत्र से अगस्त सन् 1950 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व;

(तीन) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन् 1955 के प्रथम दिन के पूर्व;

(चार) भोपाल क्षेत्र में नवम्बर सन् 1933 के आठवें दिन के पूर्व; और

(पाँच) सिरोंज क्षेत्र में जुलाई सन् 1958 के प्रथम दिन के पूर्व;

निर्मित भवनों या निर्माण कार्यों द्वारा किये गये अधिक्रमण के सम्बन्ध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लायेगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "विलीन राज्यों" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश मर्जड स्टेट्स (स्टेट) लॉज ऐक्ट, 1950 (क्रमांक 12 सन् 1950) में उसके लिये दिया गया है ।

(1-क) किसी अप्राधिकृत कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी संकल्प के सम्यक् रूप से पारित किए जाने पर तहसीलदार , ऐसे संकल्प की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस

धारा की कार्यवाहियों को प्रारंभ करेगा तथा पूर्ण करेगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा ।

(2) विलुप्त]

(2-क) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वायेगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये तथा दूसरी या पश्चात्वर्ती बेदखली की दशा में छह मास की कालावधि के लिये सिविल कारागार में परिरूद्ध किये जाने के लिये वारंट के साथ भेजेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही –

(एक) तब तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिन उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाये कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाय;

(दो) ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी जिनके कि बन्दोबस्त के लिये सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी किये हों :

परन्तु, यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किये जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है:

परन्तु यह भी कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं की जायेगी ।

(2-ख) राज्य सरकार उपधारा (2-क) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(3) x x x

(4) x x x

249. मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन .-- (1) राज्य सरकार निम्नलिखित का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी ---

(क) सरकारी तालाबों में मछली पकडना ;

(ख) ग्रामों में जीवजन्तु को पकडना, उनका आखेट करना या उनको गोली मारना; और

(ग) राज्य सरकार की भूमियों से किसी पदार्थो को हटाना।

(2) ऐसे नियमो में अनुज्ञा-पत्र देने के लिये ऐसे अनुज्ञा-पत्रों से सलग्न की जाने वाली शर्तो के लिये तथा अनुज्ञा-पत्रों के लिये फीस के अधिरोपण हेतु एवं अन्य अनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध हो सकेगे।

250. अनुचित रूप से बे-कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुन: स्थापन.— (1) इस धारा और धारा 250-क के प्रयोजन के लिये; भूमि स्वामी के अन्तर्गत मौरूसी कृषक और सरकारी पट्टेदार आयेंगे।

(1-क) यदि किसी भूमि स्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बे-कब्जा न करने अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, यदि कोई व्यक्ति भूमि स्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिये ऐसा व्यक्ति इस कोड के किसी उपबन्ध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किये रहे, तो भूमिस्वामी या उसका हित-उत्तराधिकारी ,

(क) किसी ऐसे भूमिस्वामी की दशा में जो ऐसी जनजाति का हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो –

(एक) अप्राधिकृत बे-कब्जा के उन मामलों में जो कि 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व के हों; 1 जुलाई सन् 1978 के पूर्व; और

(दो) किन्हीं अन्य मामलों में, यथास्थिति बे-कब्जा किये जाने की तारीख से उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, पाँच वर्ष के भीतर;

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भूमि स्वामी की दशा में, यथास्थिति कब्जा किये जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, दो वर्ष के भीतर,

तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापस दिलाया जाय।

(1-ख) तहसीलदार , यह ज्ञात होने पर कि किसी भूमि स्वामी को उसकी भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बे-कब्जा न करके अन्यथा बे-कब्जा कर दिया गया है, इस धारा के अधीन कार्यवाहियाँ स्व-प्रेरणा से आरम्भ करेगा]

(2) तहसीलदार , पक्षकारों से सम्बन्धित उनके दावों की जांच करने के पश्चात्, आवेदन को विनिश्चित करेगा और जब वह भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिये जाने का आदेश दे देता है, तो फिर वह उसे भूमि को कब्जा दिलायेगा भी ।

(2-क) इस धारा के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाहियाँ , दूसरे पक्षकार से उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् तब तक दिन-प्रति-दिन चालू रहेंगी जब तक कि दीर्घकालिक स्थगन अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवश्यक न समझा जाये, और उस दशा में उस आदेश – पत्रक (order - sheet) की, जिसमें कि ऐसे स्थगन के लिये कारण अन्तर्विष्ट हों; एक प्रति कलेक्टर को भेजी जायेगी।

(3) तहसीलदार ; जांच के किसी भी प्रक्रम पर, यथास्थिति , भूमिस्वामी , मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार को भूमि का कब्जा दिये जाने के लिये अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा , यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने या स्व-प्रेरणा से कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जाने के पूर्व के छह माह के भीतर उसे विरोधी पक्षकार द्वारा बे-कब्जा कर दिया गया था। ऐसे

किसी मामले में विरोधी पक्षकार को, यदि आवश्यक हो, तहसीलदार के आदेशों के अधीन बेदखल कर दिया जायेगा ।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार द्वारा विरोधी पक्षकार से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बन्धपत्र निष्पादित करें ।

(5) यदि यह पाया जाय कि बन्धपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बन्धपत्र के उल्लंघन में उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो तहसीलदार बन्धपत्र को पूर्णत: या भागत: समपहृत कर सकेगा और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा ।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया आदेश आवेदक के पक्ष में हो तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदक को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा जो उस दर पर होगा जो दो हजार रूपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के आनुपातिक हो ।

(7) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

(8) जब उपधारा (2) अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाया जाने के लिये, तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार को इस बात के लिये अपेक्षित कर सकेगा कि वह आदेश दे दिया गया हो, आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बन्धनामा निष्पादित करे।

(9) जहां उपधारा (2) के अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाया जाने के लिये आदेश दे दिया गया हो, वहा विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत तक का हो सकेगा के लिये भी दायित्वाधीन होगा।

[परन्तु विलोपित]

250-क. धारा 250 के अधीन कब्जा वापस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिरोध –(1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 250 के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किये रहता है, तो उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (9) के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभार डाले बिना, ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिये किये गये प्रथम आदेश की दिशा में उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवायेगा और पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये परिरूद्ध किये जाने के लिये, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिये किये गये द्वितीय या पश्चात्वर्ती आदेश की दशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफतार करवायेगा और तीन मास की कालावधि के लिये परिरूद्ध किया जाने के लिये, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने सूचना जारी न कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी, उपसंजात हो और इस सम्बन्ध में कारण दर्शाये कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाय:

परन्तु यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारण्ट में उल्लिखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री को गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी ।

250-ख. भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार की कार्यपालिक शक्ति के अधीन भूमि के वितरण या व्ययन या आवंटन की किसी स्कीम के जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अंगीकृत या प्रायोजित की जाए, या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी ऐसी स्कीम के अनुसार दिये गये किसी पट्टे के अधीन कोई भूमि भूमिस्वामी अधिकार में या सरकार पट्टेदार की हैसियत में आवंटित की गई है और ऐसा व्यक्ति उसे इस प्रकार आवंटित भूमि का वास्तवित कब्जा लेने में असमर्थ रहा है तो वह उस भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलाया जाने के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा जो उसे दिये गये पट्टे के अधीन उसे आवंटित की गई हैं ।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार लिखित आदेश द्वारा –

(एक) उस भूमि के कब्जाधारी को यह निदेश देगा कि वह उसे तत्काल खाली कर दे; या

(दो) उस दशा में जबकि कब्जा के लिये जाने या कब्जा परिदत्त किये जाने में किसी व्यक्ति द्वारा बाधा डाली जाती है, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह ऐसी बाधा हटा ले जिससे कि कब्जे का परिदान हो सके,

और वह उसके द्वारा भूमि खाली कर दिये जाने पर या बाधा हटा ली जाने पर उसका वास्तविक कब्जा पट्टे के अधीन भूमि धारण करने के लिये हकदार यथास्थिति भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को परिदत्त करेगा ।

(3) तहसीलदार , यदि आवश्यक हो, पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवंटिती को भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाया जाने के लिये आवश्यक हो ।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन निदेश दिया जाता है, निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से, और जहां निदेश का ऐसा अनुपालन (non-compliance of direction) जारी रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम अनुपालन के पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अनुपालन पर डटे रहना साबित हो जाता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय (cognizable) और अजमानतीय (non-bailable) होगा ।

251. तालाबों का राज्य शासन में निहित होना – (1) ऐसे समस्त तालाब, जो सम्बन्धित क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों की समाप्ति का उपबन्ध करने वाले अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पूर्व दखलरहित भूमि पर स्थित हों और जिन पर ऐसी तारीख के ठीक पूर्व ग्राम समुदाय के सदस्य सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयेाग करते रहे हों यदि वे राज्य सरकार में पूर्व से ही निहित न हुए हों, तो 6 अप्रैल, 1959 से राज्य सरकार में पूर्णरूपेण निहित हो जायेंगे :

परन्तु इस धारा की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह तालाब के निहित होने की तारीख को विद्यमान पट्टे के अधीन तालाब में पट्टेदार के किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालती है जो पट्टे में विनिर्दिष्ट किये गये निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कोई भी तालाब राज्य सरकार में तब तक निहित नहीं होगा जब तक कि–

(एक) कलेक्टर का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान न हो जाय कि तालाब इस उपधारा में अधिकथित की गई शर्तों को पूरा करता है, और

(दो) हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया ।

(2) किसी भी ऐसे तालाब या, सिंचाई या निस्तार के अधिकार से भिन्न किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित होने की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के भीतर, अपने हित के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिये कलेक्टर को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

(2-क) धारा 239 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित तालाब के तटबन्धों पर खड़े हुए वृक्षों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे दखलरहित भूमि में लगाये गये वृक्षों को लागू होते हैं ।

(3) ऐसा प्रतिकर उस भू-राजस्व का, जो कि तालाब में समाविष्ट भूमि पर निर्धारणीय हैं, पन्द्रह गुना होगा और निर्धारण के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि को उसी प्रकार की माना जायेगा जैसी कि उससे लगी हुई भूमि है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर का भुगतान कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में उसके समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाय कि वे सम्बन्धित तालाब में हित रखते हैं ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर का भुगतान करने से राज्य सरकार का उन समस्त दायित्वों से पूर्ण उन्मोचन हो जायेगा जो कि सम्बन्धित की बाबत राज्य सरकार के हों किन्तु उससे तालाब सम्बन्धी उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रवर्तित कराने का हकदार हो जिसको या जिनको पूर्वोक्त रूप में प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है ।

(6) राज्य सरकार, ऐसे तालाबों से जल के उपयोग के विनियमन के लिये उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन किसी तालाब के निहित हो जाने से, ऐसे तालाब में के सिंचाई तथा निस्तार के उन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके कि कोई व्यक्ति निहित होने की तारीख के ठीक हकदार हो ।

स्पष्टीकरण – इन धारा के प्रयोजनों के लिये, तालाब के अन्तर्गत उस तालाब के तटबन्धों पर खड़े हुए वृक्ष हैं किन्तु उसके तटबन्धों पर स्थित भवन, मन्दिर या सन्निर्माण नहीं ।

252. लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण – (1) ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम में लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करें तथा उन्हें समुचित अवस्था में रखे ।

(2) इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम सभा, लिखित आदेश द्वारा ग्राम में निवास करने वाले वयस्क पुरूषों (उन प्ररूषों को छोड़कर जो वृद्ध तथा अशक्त हैं या किसी शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हैं) को ऐसा श्रम करने के लिये अपेक्षित कर सकेगी जैसा कि वह ग्राम के ऐसे लोकोपयोगी निर्माण-कार्यों को, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में अधिसूचित किये जायें । समुचित अवस्था में रखने के लिये उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि वे निर्माण-कार्य लोकोपयोगिता के न हों तथा उनसे साधारणत: उन व्यक्तियों को जिनके कि लिये आदेश पारित किया जा रहा हो, फायदा पहुँचने की सम्भावना न हो ।

(4) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन श्रम करने के लिये अपेक्षित किया गया व्यक्ति, ऐसा श्रम अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करवा सकेगा या उसके किये जाने के लिये ऐसी दर से, जो कि तहसीलदार द्वारा अवधारित की जाय, भुगतान कर सकेगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया श्रम करने में अपेक्षा करेगा या वैसा श्रम करने से इन्कार करेगा या श्रम किये जाने के लिये उपधारा (4) में उपबन्धित किये गये अनुसार भुगतान नहीं करेगा, तहसीलदार के आदेश पर, उतनी रकम का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो उपधारा (4) के अधीन तहसीलदार द्वारा अवधारित की गई दरों के हिसाब से संगणित किये गये उस श्रम के मूल्य के बराबर हो, और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी ।

253. उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दण्ड – (1) इस संहिता में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, या जो किन्हीं नियमों या वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज की गई किसी रूढ़ि का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा, पचास हजार रूपये से अनधिक ऐसी शास्ति का दायी होगा जैसी कि उपखंड अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उचित समझे, तथा उपखंड अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज

या किसी अन्य उपज के अधिग्रहण का भी आदेश दे सकेगा जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे कि उसने वहां से हटा लिया हो ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई उल्लंघन , भंग या अनुपालन ग्राम सभा द्वारा किया गया हो, वहां ग्राम सभा का प्रत्येक पदाधिकारी उस उपधारा के अधीन तब तक दायी होगा जब तक कि वह यह साबित न कर दें कि वह उल्लंघन , भंग या अनुपालन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या यह कि उसने ऐसे उल्लंघन , भंग या अनुपालन को रोकने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) जहां उपखंड अधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करते हुए कोई आदेश पारित करता है, वहां वह यह निर्देश दे सकेगा कि सम्पूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उपायों के, जो कि ऐसे उल्लंघन भंग या अनुपालन के कारण जनता को होने वाली हानि या क्षति को रोकने के लिये आवश्यक हों, खर्च की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा ।

254. ग्राम सभा के कर्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना – इस अध्याय के अधीन ग्राम सभा को सौंपे गये किसी भी कृत्य का पालन उस समय तक पटेल द्वारा किया जायेगा जब तक कि धारा 232 के अधीन ग्राम सभा सम्यक् रूप से गठित न हो जायें ।

अध्याय – 19

प्रकीर्ण

255. खेती तथा प्रबन्ध के मापदण्डों का विहित किया जाना – (1) कृषि अर्थव्यवस्था की क्षमता के उच्चस्तर पर लाने की दृष्टि से, सरकार , नियमों द्वारा दक्षतापूर्ण खेती तथा प्रबन्ध के मापदण्डों का विनियमन कर सकेगी ।

(2) ऐसे नियमों में, अंगीकृत की जाने वाली कृषि-पद्धतियों , सुधरे हुए बीजों से उपयोग , खाद के संरक्षण तथा उचित उपयोग , अतिरिक्त खाद्यान्नों के विक्रय तथा कृषि कर्मकारों की उचित मजदूरी एवं उनके नियोजन के निबन्धनों को सुनिश्चित करने सम्बन्धी निर्देशों तथा ऐसे अन्य निर्देश के, जो कि भूमियों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिये आवश्यक या वांछनीय हों, जारी किये जाने के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा ।

(3) ऐसे नियम उन कृषकों को लागू होंगे जो ऐसी सीमओं से, जो कि विहित की जायँ, अधिक भूमि पर स्वयं खेती करते हों ।

(4) यदि कोई कृषक , जिसको कि ऐसे नियम उपधारा (3) के अधीन लागू होते हैं; उपधारा (2) के अधीन जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो राज्य सरकार उन निर्देशों का किसी अन्य अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में पालन करवा सकेगी जैसी वह उचित समझे और उस कृषक से ऐसे समस्त खर्चे वसूल कर सकेगी जो कि उपगत कियें जायँ ।

256. नक्शों तथा भू-अभिलेखों का, निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियाँ – ऐसी शर्तों के तथा ऐसी फीस के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए जो कि इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाएँ, समस्त ऐसे राज्य राजस्व नक्शे, तथा भू-अभिलेख, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन तैयार किये गये हों या जिनका उसके अधीन तैयार किया जाना या रखा जाना अपेक्षित हो, युक्ति-युक्त समयों पर जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे, और उनमें से प्रमाणित उद्धरण या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उन समस्त व्यक्तियों को दी जायेंगी जो कि उनके लिये आवेदन करें ।

257. राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता – इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे मामले पर, जिसे कि अवधारित करने, विनिश्चित करने या निपटाने के लिये राज्य सरकार मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा सशक्त हो, कोई विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिये संस्थित किये गये किसी वाद या किये गये किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा; और विशिष्टतया तथा इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सिविल न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा –

(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय ;

(क-1) जिस प्रयोजन के लिये भूमि धारा 59 के अधीन विनियोजित की गई है उस प्रयोजन बाबत कोई विनिश्चय ;

(ख) राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न या बन्दोबस्त की अवधि के बारे में कोई प्रश्न;

(ग) बन्दोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी का अवधारण करते हुए किये गये किसी विनिश्चय को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

(घ) भू-राजस्व दिये बिना, या उचित निर्धारण से कम निर्धारण पर भूमि धारण करने के लिये या किसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व पूर्णत: या भागत: समनुदेशित किये जाने के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा;

(ड़) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन निर्धारित या पुन: निर्धारित भू-राजस्व की रकम ;

(च) किन्हीं भू-अभिलेखों में कोई प्रविष्टि कराने या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप कराने या उसे संशोधित कराने के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा;

(छ) अध्याय 10 के अधीन सीमांकन किया जाने या सीमा चिन्हों के लगाये जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न;

(ज) राज्य सरकार के विरूद्ध कोई ऐसी दावा जो भू-राजस्व के संग्रहण से या किसी ऐसी राशि की, जो इस संहिता या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भू-राजस्व के तौर पर वसूली योग्य हो; वसूली से सम्बन्धित हो या उससे उद्भूत होता हो;

(झ) भू-राजस्व की छूट या उसके निलम्बन के लिये या इस बात की घोषणा के लिये कि किसी वर्ष में फसलें बिगड़ गई है, राज्य सरकार या किसी राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कोई दावा;

(ज्ञ) धारा 166 के अधीन कतिपय अन्तरणों के मामलों में समपहरणसम्बन्धी कोई विनिश्चय ;

(ट) धारा 168 की उपधारा (4) के अधीन भूमिस्वामी के पट्टेदार की बेदखली ;

(ठ) धारा 170 की उपधारा (1) तथा धारा 170-ए की उपधारा (2) के खंड (ए) तथा (बी) के अधीन किसी भी भूमिस्वामी द्वारा किये गये अन्तरण (हस्तांतरण) को रद्द करने के लिये कोई भी दावा;

(ठ-1) धारा 170-ख के अन्तर्गत आने वाला कोई विषय ;

(ड) धारा 182 के अधीन सरकारी पट्टेदार की बेदखली ;

(ढ) धारा 189 के अधीन मौरूसी कृषक द्वारा धारित भूमि का भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण और यदि मौरूसी कृषक के पास कोई भूमि बच रही हेां तो लगान का नियत किया जाना;

(ण) धारा 190 के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान किये जाने के लिये मौरूसी कृषकों द्वारा दावे;

(त) धारा 191 के अधीन मौरूसी कृषक को कब्जे का वापस दिलाया जाना;

(थ) धारा 193 के अधीन मौरूसी कृषक के कृषकाधिकार की समाप्ति ;

(द) धारा 197 के अधीन मौरूसी कृषक द्वारा किये गये अन्तरण को उपास्त कराने के लिये कोई दावा;

(ध) धारा 200 के अधीन भूमिस्वामी पर शास्ति का अधिरोपण ;

(न) धारा 201 के अधीन लगान का निलम्बन तथा उसकी माफी;

(प) धारा 202 के अधीन दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किये गये मौरूसी कृषक के पुन: स्थापन के बारे में कोई विनिश्चय ;

(फ) धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में देय रकम, धारा 210 के अधीन खातों की चकबन्दी की स्कीम की पुष्टि की जाना, धारा 213 के अधीन स्कीम को कार्यान्वित करने के अधिकारों का अन्तरण तथा धारा 215 के अधीन खातों की चकबन्दी के खर्चे का निर्धारण तथा प्रभाजन ;

(ब) निस्तार पत्रक में की किसी प्रविष्टि को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

(ब-एक) अप्राधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेने के लिए धारा 248 के अधीन शास्ति के संबंध में कोई विनिश्चय ".

(भ) धारा 250 के अधीन अनुचित रूप से बेवजा किये गये भूमिस्वामी के पुन:स्थापन के बारे में कोई विनिश्चय ;

(भ-एक) धारा 250 (क) के अधीन सिविल कारावास में निरूद्ध किये जाने (confinement) के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय (decision);

(भ-दो) धारा 250-ख के अधीन भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को भूमि का वास्तविक कब्जा परिदान किये जाने के बारे में कोई विनिश्चय ;

(म) धारा 251 के अधीन राज्य सरकार में तालाबों के निहित होने के बारे में कोई दावा;

(य) इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन अधिरोपित या निर्धारित किसी प्रीमियम, शास्ति, उपकर या रेट को अपास्त कराने या उपान्तरित कराने के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा;

(य-1) राज्य सरकार के विरूद्ध कोई ऐसा दावा, जो धारा 255 के अधीन खेती तथा प्रबन्ध के मापदण्ड विहित किये जाने के बारे में उद्भूत होता हो;

(य-2) किसी राजस्व अधिकारी या इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन के लिये विवश करने हेतु कोई दावा।

257-क. कतिपय कार्यवाहियों में सबूत का भार तथा विधि-व्यवसायियों का वर्जन – (1) धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन या धारा 169 के परन्तुक के अधीन या धारा 170 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 170-ए के अधीन या धारा 250 के अधीन किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों में जिनके कि पक्षकारों में से एक पक्षकार किसी ऐसी जनजाति का जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी है, उनके अधीन अन्तरण की विधिमान्यता को साबित करने का भार, इस कोड में या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति पर होगा जो कि ऐसे अन्तरण के विधिमान्य होने का दावा करता हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों में, जिनके कि पक्षकारों में से एक पक्षकार ऐसी जनजाति का, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी है । किसी भी पक्षकार की ओर से कोई भी विधि व्यवसायी उस राजस्व अधिकारी / न्यायालय की, जिसके कि समक्ष यह मामला लम्बित हो, लिखित अनुज्ञा से ही उपसंजात होगा, अभिवचन करेगा या कार्य करेगा अन्यथा नहीं ।

258. नियम बनाने की साधारण शक्ति – (1) राज्य सरकार, साधारणत: इस संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे –

(एक) धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें;

(दो) भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्यों का विहित किया जाना;

(तीन) भूमि को किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित किये जाने पर धारा 59 के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण का विनियमन तथा प्रीमियम का अधिरोपण ;

(चार) धारा 60 के अधीन उस भूमि पर निर्धारण जिस पर निर्धारण नहीं हुआ हो;

(पांच) धारा 68 के अधीन सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना और कृषि प्रयोजनों के उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को समाविष्ट करने वाले सर्वेक्षण संख्यांकों का न्यूनतम विस्तार;

(छ:) धारा 70 के अधीन सर्वेक्षण–संख्यांकों का उपखण्डों में विभाजन और सर्वेक्षण-संख्यांक के निर्धारण का सर्वेक्षण-संख्यांकों के उपखंडों के बीच प्रभाजन ;

(सात) उन अभिलेखों का विहित किया जाना जिनमें धारा 71 के अधीन सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों के उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण प्रविष्ट किया जायेगा;

(आठ) धारा 73 के अधीन किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्रामों में विभाजित करने या दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम में संयोजिक करने या ग्राम गठित करने या ग्राम की सीमाएँ परिवर्तित करने की रीति;

(नौ) धारा 77 के अधीन यह आवश्यक जांच जो पूरी की जायेगी तथा वह प्ररूप जिसमें और विशिष्टियाँ जिनके साथ निर्धारण दर सम्बन्धी प्रस्तावनाएँ अग्रेषित की जायेंगी ।

(दस) वह रीति जिसमें धारा 82 के अधीन निर्धारण की सूचना दी जायेगी;

(ग्यारह)धारा 87 के अधीन कृषि के लाभों के सम्बन्धों में तथा कृषि एवं कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई गई भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में जांच करने की रीति;

(बारह)धारा 91-क के अधीन राजस्व सर्वेक्षण या बन्दोबस्त के संचालन विनियमन ;

(तेरह) धारा 93 के अधीन नगरीय क्षेत्रों में की भूमियों को भू-खंड संख्यांकों के रूप में विभाजित किये जाने, विद्यमान सर्वेक्षण-संख्यांकों को भू-खंड संख्यांकों के रूप में मान्य किये जाने,

भू-खंडांक संख्यांकों को पुनर्गठित किये जाने या नवीन भू-खंड संख्यांक विरचित किये जाने का विद्यमान ;

(चौदह)धारा 94 के अधीन भू-खण्ड संख्यांकों को उपखंडों में विभाजित करने तथा भू-खंड संख्यांक के निर्धारण को उपखंडों के बीच प्रभाजित करने की रीति; और किसी स्थानीय क्षेत्र में उपखंडों की मान्यता के लिये या तो क्षेत्रफल की या भू-राजस्व की या दोनों की सीमाएँ ;

(पन्द्रह)धारा 95 के अधीन अभिलेखों का विहित किया जाना ;

(सोलह)धारा 96 के अधीन अन्य विशेष प्रयोजनों का विहित किया जाना ;

(सत्रह)धारा 97 के अधीन मानक दरों को प्रकाशित करने की रीति;

(अट्ठारह)(क) धारा 98 (1) के अधीन, भूमियों के समस्त रजिस्ट्रीकृत विक्रयों तथा पट्टों के अभिलेख रखने की रीति; और

(ख) धारा 98 (2) के अधीन भूमियों के औसत वार्षिक भाटक मूल्य का अवधारण।

(उन्नीस)धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन पटवारियों के अन्य कर्तव्यों का निहित किया जाना;

(बीस) धारा 106 के अधीन राजस्व निरीक्षकों के अन्य कर्तव्यों का विहित किया जाना;

(इक्कीस) धारा 107(2) के अधीन अन्य विशिष्टियों का विहित किया जाना;

(बाईस)धारा 108 के अधीन अधिकार-अभिलेख के प्ररूप का तथा उन अतिरिक्त विशिष्टियों का, जो अधिकार-अभिलेख में सम्मिलित किये जाने वाले कागज-पत्रों में प्रविष्ट की जानी हों, विहित किया जाना;

(तेईस) धारा 109 के अधीन पटवारी द्वारा दी जाने वाली अभिस्वीकृत का प्ररूप;

(चौबीस) (क) धारा 109 के अधीन रिपोर्ट किये गये अधिकारों के अर्जन को दर्ज करने के लिये धारा 110 (1) के अधीन रजिस्टर का विहित किया जाना;

(ख) अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों का, जिन्हें कि धारा 110 (3) के अधीन लिखित प्रज्ञानता दी जायेगी, विहित किया जाना;

(पच्चीस) (क) धारा 114 (1) के अधीन अन्य भू-अभिलेखों का विहित किया जाना,

(ख) उस फीस का विहित किया जाना जिसका कि भुगतान करने पर धारा 114 (2) के अधीन रसीद-बही दी जायेगी और उन प्रविष्टियों का विहित किया जाना जो कि उसमें अन्तर्विष्ट होंगी;

(छब्बीस) धारा 120 के अधीन सहायता की अध्यपेक्षा का विनियमन ;

(सत्ताईस) धारा 121 के अधीन भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, रखा जाना तथा पुनरीक्षित किया जाना;

(सत्ताईस -क) वह रीति जिसमें धारा 123 (3) के अधीन तहसीलदार द्वारा आपत्तियों का निपटारा किया जायेगा ;

(अट्ठाईस) (क) धारा 124 (3) के अधीन ग्रामों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के सीमा चिन्हों सम्बन्धी विनिर्देश तथा उनके सन्निर्माण एवं अनुरक्षण की रीति; और

(ख) धारा 124(4) के अधीन नवीन सीमा चिन्हेां के सन्निर्माण का खर्च भू-धारकों के बीच विभाजित करने की रीति;

(उन्तीस) ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिये आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वे सु-अवस्था में रखें जायेंगे तथा उनका नवीकरण किया जायेगा ;

(तीस) धारा 129 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों, उपखंडों या भू-खंड संख्यांकों का सीमांकन करने की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों का प्रकार तथा फीस का उद्ग्रहण ;

(इकतीस) धारा 140 के अधीन वे तारीखें जिनको तथा वे किश्तें जिन्हें भू-राजस्व देय होगा तथा वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहां ऐसी किश्तों का उक्त धारा के अधीन भुगतान किया जायेगा ;

(बत्तीस) वह प्ररूप जिसमें धारा 142 के अधीन रसीद दी जायेगी ;

(तैंतीस) धारा 144 (1) के अधीन भू-राजस्व की छूट या उसके निलम्बन का विनियमन ;

(चौंतीस) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना जारी करने में और धारा 147 में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं का निष्पादन करने में राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन ;

(पैंतीस) धारा 160 के अधीन वार्षिकी मंजूर करने के लिये आवेदन का प्ररूप, वह समय जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जायेगा तथा ऐसी मन्जूरी की शर्तों का विहित किया जाना;

(छत्तीस) धारा 161 के अधीन बन्दोबस्त के चालू रहने के दौरान राजस्व से कम किये जाने का विनियमन ;

(सैंतीस) x x x]

(अड़तीस) धारा 165 के अधीन भूमि की अधिकतम सीमाओं का विहित किया जाना;

(उन्तालीस) उस रीति का विहित किया जाना जिसमें धारा 166 के अधीन समपहृत भूमि का चयन तथा सीमांकन किया जायेगा एवं अन्तरिती के पास बच रही भूमि पर भू-राजस्व नियत किया जायेगा ;

(चालीस) धारा 170 के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलायें जाने सम्बन्धी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन ;

(चालीस-क) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 170-ख की उपधारा (1) के अधीन उप-खंड अधिकारी को जानकारी अधिसूचित की जायेगी ;

(इकतालीस) धारा 176 के अधीन किसी भूमिस्वामी को अपने खाते या उसके किसी भाग को व्यपवर्तित करने के लिये अनुज्ञा दी जाने या अनुज्ञा देने से इंकार किये जाने का विनियमन ;

(बयालीस) धारा 173 के अधीन किसी भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों के त्यजन किये जाने का विनियमन ;

(तैंतालीस) उन निबन्धनों तथा शर्तों का विहित किया जाना जिस पर किसी व्यक्ति को धारा 176 (2) के अधीन किसी परिव्यक्त खाते का कब्जा दिया जा सकेगा ;

(चवालीस) (क) धारा 178 (2) के अधीन खातों के विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन ; और

(ख) ....]

(पैंतालीस) धारा 179 (2) के अधीन वृक्षों में के अधिकार का क्रय करने के हेतु आवेदनों के बारे में राजस्व अधिकारियों का मार्ग-दर्शन ;

(पैंतालीस-क) धारा 181-क के अधीन नगरीय क्षेत्रों में आवासिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रदान किए गए विभिन्न पट्टों को फ्री होल्ड में संपरिवर्तित करने की रीति ;

(छियालीस) ....]

(सैंतालीस) धारा 189 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के लिये अनुज्ञात भूमि के चयन तथा सीमांकन की तथा उस पर भू-राजस्व नियत करने की एवं मौरूसी कृषक के पास बच रही भूमि के सम्बन्ध में लगान नियत करने की रीति का विहित किया जाना ;

(अड़तालीस) उस रीति तथा प्ररूप का विहित किया जाना जिसमें धारा 190 (5) के अधीन भूमिस्वामी को देय हों ;

(अड़तालीस-क) उस समय का विहित किया जाना जिसके भीतर धारा 191 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जायेगा ;

(उनचास) धारा 197 के अधीन उस मौरूसी खाते का, जो कि अन्तरित कर दिया गया हो, कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन ;

(पचास) धारा 198 (4) के अधीन उस भूमि के, जो कि राज्य सरकार में विहित हो गई हो, चयन की सीमांकन की रीति का विहित किया जाना तथा भूमिस्वामी द्वारा आरक्षित भूमि पर भू-राजस्व का नियत किया जाना;

(इक्यावन) वह प्ररूप तथा जिसमें धारा 199 के अधीन लगान के लिये रसीद दी जायेगी;

(बावन) भूमिस्वामी में ऐसी वृद्धि तथा कमी के निर्धारण का विनियमन जैसा कि अध्याय 15 के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात है;

(तिरपन) धारा 222 (1) के अधीन पटेलों की नियुक्ति विनियमन, जहाँ किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों, वहाँ पटेल के पद कर्तव्यों के वितरण की रीति, पटेल के पारिश्रमिक का नियत किया जाना और धारा 224 के अधीन पटेल के अतिरिक्त कर्तव्यों का विहित किया जाना तथा धारा 226 के अधीन उसे पद से हटाया जाना और धारा 228 के अधीन प्रति स्थायी पटेल का नियुक्त किया जाना;

(चौवन) उन ग्रामों के लिये, जो किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिक निगम या किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित न हों; ग्रामों की स्वचछता, जानवरों के शवों को गाड़े जाने, कुओं के संरक्षण तथा उनको लगाये जाने, ग्रामों की सड़कों के समारक्षण का तथा ग्राम स्वायत्त शासन से सम्बन्धित वैसे ही विषयों का विनियमन;

(पचपन) (क) कोटवारों की नियुक्ति, उनके लिये दण्ड, उनका निलम्बन और उनकी पदच्युति;

(ख) कोटवारों के कर्तव्यों का विहित किया जाना और उनके पर्यवेक्षण का ढंग;

(छप्पन) (क) धारा 232 के अधीन ग्राम सभा की स्थापना के लिये प्रक्रिया का विनियमन;

(ख) वह रीति जिसमें ग्राम सभा धारा 232 (4) के अधीन जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति अर्जित करेगी, उसे धारण या अन्तरित करेगी एवं संविदाएँ आदि करेगी, और

(ग) ग्राम सभा फीस तथा अन्य आयों के रूप में वसूल की जाने वाली राशियाँ।

(सत्तावन) धारा 233 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;

(अट्ठावन) वह रीति जिसमें धारा 234 (2) के अधीन ग्रामवासियों की इच्छाएँ अभिनिश्चित की जायेंगी;

(उनसठ) (क) धारा 237(1) के अधीन निस्तार अधिकारी का प्रयोग करने के लिये दखल रहित भूमि के पृथक् रखे जाने का विनियमन; और

(ख) धारा 237(1) (ट) के अधीन विस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये अन्य प्रयोजन;

(ग) धारा 237 (3) के अधीन दखलरहित भूमि के व्यपवर्त्तन का विनियमन;

(साठ) (एक) व्यक्तियों के वे प्रवर्ग जिन्हें वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टे मंजूर किये जाने के लिये अग्रता दी जायेगी;

(दो) ऐसे व्यक्तियों के चयन की रीति जिन्हें वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्ष पट्टा मन्जूर किया जाना हो;

(तीन) पृथक् रक्षित की जाने वाली भूमि का परिमाण;

(चार) वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टा मंजूर करने हेतु निबन्धन और शर्त;

(पांच) वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टे का स्वरूप;

(छः) वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टे के अधीन भोगाधिकारी की सीमा;

(इकसठ) धारा 240(1) के अधीन वृक्षों के काटे जाने का तथा धारा 240 (3) के अधीन वनोत्पाद (फारेस्ट ग्रोथ) के नियन्त्रण, प्रबन्ध, काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन ;

(बासठ) धारा 241 के अधीन प्रकाशित आदेश को उद्घोषित करने की रीति का विहित किया जाना तथा उसके अधीन वृक्षों को काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन ;

(त्रेसठ) (क) धारा 242 (1) में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों के बारे में रूढ़ियों का अभिनिश्चित करने तथा उन्हें अभिलिखित करने की रीति; और

(ख) धारा 242 (1) के अधीन रूढ़ियों का अभिलेख प्रकाशित करने की रीति;

(चौंसठ) धारा 244 के अधीन आबादी क्षेत्र में के स्थलों के निपटारे की रीति का विहित किया जाना;

(पैंसठ) धारा 249 के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव-जन्तुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनकी गोली मारने का तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्ही पदार्थों के हटाने का विनियमन ;

(छियासठ) (क) धारा 251 (2) के अधीन आवेदन के प्ररूप का विहित किया जाना; और

(ख) धारा 251 (6) के अधीन तालाबों से जल के उपयोग का विनियमन ;

(सड़सठ) धारा 252 के अधीन ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को श्रम करने के लिये अपेक्षित करने में ग्राम सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन ;

(अड़सठ) धारा 255 के अधीन खेती तथा प्रबन्ध के मानदण्डों का विहित किया जाना;

(उनहत्तर) धारा 256 के अधीन अभिलेखों, नक्शों तथा भू-अभिलेखों का निरीक्षण किया जाने तथा उनकी प्रतिलिपियाँ प्रदान की जाने के लिये शर्तों का विहित किया जाना;

(सत्तर) साधारणत: इस संहिता के अधीन कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों के मार्ग-दर्शन के लिये;

(इकहत्तर) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय ।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे ।

(4) इस संहिता के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन होंगे जो कि विधान सभा द्वारा किये जायँ ।

259. कतिपय भूधृतियों के प्रति निर्देश – किसी अधिनियमिति में –

(क) महाकौशल क्षेत्र में भूमिस्वामी या भूमिधारी ;

(क-1) मध्यभारत क्षेत्र में पक्के कृषक, माफीदार , ईमानदार या छूट खातेदार ;

(ख) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में के किसी पचपन पैंतालीस कृषक, पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी या किसी तालाब के धारक ;

(ग) सिरोंज क्षेत्र में के खातेदार कृषक या निकुंजधारी ; और

(घ) भोपाल क्षेत्र में के दखलकार ,

के प्रति किये गये किसी निर्देश के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भूमिस्वामी के प्रति निर्देश है।

260. ऐसी विधियों के प्रति निर्देश जो किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त न हो – इस संहिता में ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के प्रति, जो राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त न हों, किये गये किसी निर्देश का, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश है ।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति “केन्द्रीय अधिनियम ” का वही अर्थ होगा जो कि साधारण खंड अधिनियम , 1897 (1897 का क्रमांक 10) की धारा 3 (7) उसके लिये दिया गया है ।

261. निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Saving) – अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ , एतद्द्वारा , उसके (अनुसूचि 2 के) चौथे स्तम्भ में वर्णित सीमा तक निरस्त की जाती हैं –

परन्तु निरसन –

(क) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या

(ख) इस प्रकार निरस्त किसी विधि अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या

(ग) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के विरूद्ध किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरणया दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यता , दायित्व , शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण , विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा , और कोई भी ऐसा अन्वेषण ,विधिक कार्यवाही या उपचार उसे संस्थित किया जा सकेगा ,

चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरणया दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि यह अधिनियमित पारित ही नहीं हुआ था :

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए किसी भी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही (जिसमें बनाये गये कोई नियम, किये गये निर्धारण, की गई नियुक्तियाँ तथा किये गये अन्तरण, जारी की गई अधिसूचनाएँ, जारी किये गये समन, जारी की गई सूचनाएँ, जारी किये गये वारण्ट तथा जारी की गई उद्घोषणाएँ प्रदत्त प्राधिकार तथा शक्तियाँ, मंजूर किये गये फार्म तथा पट्टे तैयार किये गये या पुष्टि किये गये अधिकार-अभिलेख तथा आय अभिलेख, अर्जित किये गये उपगत अधिकार, किये गये दायित्व तथा नियत किये समय तथा स्थान सम्मिलित हैं के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस संहिता के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई और वह तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वह इस संहिता के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाये ।

262. अस्थायी उपबन्ध - (1) इस संहिता के अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ऐसे समस्त मामले, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में राज्य सरकार के या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष, चाहे अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन में या अन्यथा लम्बित हों, ऐसी समुचित विधि के जो कि इस संहिता के पारित न होने की दशा में उन मामलों को लागू होती, उपबन्धों के अनुसार विनिश्चय कियें जायेंगे ।

(2) इस संहिता के प्रवत्त होने के समय किसी सिविल न्यायालय में लम्बित कोई ऐसा मामला, जो इसं संहिता के अधीन केवल किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय हो ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उस विधि के अनुसार निपटाया जायेगा कि इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त हो ।

(3) अनुसूची (3) वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन की ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ जो इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य सरकार के समक्ष लम्बित हों, ऐसे प्रारम्भ पर, मण्डल को अन्तरित हो जायेंगी और तदुपरि वे मण्डल द्वारा इस प्रकार निपटाई जायेंगी मानों कि वे मण्डल द्वारा इस संहिता के अधीन ग्रहण की गई कार्यवाहियाँ हों ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, “राज्य सरकार” के अन्तर्गत राज्यपाल, मन्त्रिपरिषद या कोई मंत्री है ।

263. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति – (1) यदि इस संहिता के उपबन्धों को किसी क्षेत्र में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कि उस कठिनाई का निराकरण करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रतिलिपि, उसके पारित किये जाने के पश्चात् यावतशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी ।

264. संहिता कतिपय मामलों में लागू नहीं होगी – इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार से भूमि धारण करता है ।

अनुसूची – 1

[धारा 41 देखिए]

राजस्व-अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों के प्रक्रिया के नियम

समन का जारी किया जाना

1. प्रत्येक समन लिखित में दो प्रतियों में होगा और वह जारी करने वाले अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह इस सम्बन्ध में सशक्त करे, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होगा और उसमें वह समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट होगा जब और जहां हाजिर होने के लिये अपेक्षित व्यक्ति समन किया गया है, और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि वह साक्ष्य देने के लिये अपेक्षित है या दस्तावेज पेश करने के लिये ।

2. किसी पक्षकार को जारी किये जाने वाले प्रत्येक समन के साथ कार्यवाहियों की विषय-वस्तु के बारे में एक संक्षिप्त कथन होगा ।

3. दस्तावेज पेश करने का समन ऐसी दस्तावेजों को या इस प्रकार की उन समस्त दस्तावेजों को पेश करने के लिये हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाये और जो समन किये गये व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हो ।

समन की तामील का ढंग

4. प्रत्येक समन की तामील, उसकी एक प्रति समन किये व्यक्ति को व्यक्तिश: या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को निविदत्त या परिदत्त करके की जायेगी ।

5. जहां समन किया गया व्यक्ति नहीं पाया जा सके और उसका कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता न हो, वहां तामील समन किये गये व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे किसी व्यस्क पुरूष सदस्य पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

6. जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति किये गये व्यक्ति को स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे ।

7. यदि समन की तामील नियम 4, 5 और 6 में उपबन्धित रीति में 7- समन की तामील में नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति समन किये गये व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे ग्राम के किसी लोक समागम के स्थान पर लगाई जानी चाहिए ।

8. जहां समन की प्रति नियम 7 – में उपबन्धित किये अनुसार लगा दी जाती है, वहां तामील करने वाला अधिकारी उस समय की मूल प्रति उस न्यायालय को जिसने कि वह समन जारी किया था उस

पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटायेगा जिसमें या कथित होगा कि उसने वह प्रति लगा दी है और वे परिस्थितियाँ , जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी और व्यक्ति नाम तथा पता कथित होगा जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी और जहां वह प्रति समन किये गये व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर लगाई गई हो; वहां रिपोर्ट में उस व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम और पता भी दिया होगा जिसने कि जिसने कि गृह पहचाना था ।

9. यदि समन किया गया व्यक्ति किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो समन तामील के लिये ऐसे जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा भेजा जा सकेगा ।

समन के अनुपालन का ढंग

10. इस संहिता के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जो साक्ष्य देने के लिये किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के लिये समन किया जाता है, ऐसे समय तथा स्थान पर हाजिर होगा जो समन में इस प्रयोजन के लिये बतलाया गया हो और दस्तावेज पेश करने के लिये समन किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसे समय तथा स्थान पर वह दस्तावेज पेश करने के लिये हाजिर होगा या उसे पेश करवाएगा ।

सूचना तामील करने का ढंग

11. प्रत्येक सूचना की तामील उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को निविदत्त या परिदत्त करके की जायेगी :

परन्तु जहां सम्बन्धित व्यक्ति या मान्यता-प्राप्त अभिकर्ता कोई प्लीडर हो, वहां सूचना की तामील उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में या उस स्थान पर जहां कि मामूली तौर से निवास करता है, छोड़कर की जा सकेगी और ऐसी तामील उसी प्रकार प्रभावी मानी जायेगी जैसी कि स्वयं मान्यता प्राप्त अधिकर्ता पर की गई तामील ।

12. जहां सम्बन्धित व्यक्ति पाया नहीं जा सके और उसका कोई मान्यता प्रापत अभिकर्ता न हो, वहां तामील सम्बन्धित व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी ऐसे वयस्क पुरूष सदस्य पर की जा सकेगी जो कि उसके साथ निवास कर रहा है ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थ के अन्तर्ग सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

13. जहां तामील करने वाला अधिकारी सूचना की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को स्वयं या किसी अभिकर्ता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सूचना पर पृष्ठांकित तामील को अधिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करें ।

14. यदि सूचना की तामील नियम 11, 12, और 13 में उपबन्धित रीति में नहीं की जा सकती है, तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर या उस ग्राम के, जिसमें सूचना से सम्बन्धित भूमि स्थित है या जहां से उस भूमि पर खेती की जाती है, लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जा सकेगी ।

15. जहां सूचना की प्रति नियम 14 में उपबन्धित किये अनुसार लगा दी जाती है, वहां तामील करने वाला अधिकारी उस सूचना की मूल प्रति, उस अधिकारी को जिसने कि उसे जारी किया था उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटायेगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने उस प्रति को लगा दिया है, और वे परिस्थितियाँ , जिनमें उसने ऐसा किया कथित होंगी और उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथित होगा जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी और जहां वह प्रति उस व्यक्ति के, जिसके कि लिये वह सूचना जारी की गई हो, अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर लगाई गई हो, वहां रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम तथा पता भी दिया होगा जिसने कि गृह पहचाना था ।

16. यदि वह व्यक्ति, जिस पर सूचना तामील की जानी है, किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो सूचना तामील के लिये ऐसे जिले के कलेक्टर को डाक द्वारा भेजी जा सकेगी ।

उद्घोणाएं जारी करने का ढंग

17. जब कभी इस संहिता के अधीन कोई उद्घोषणा जारी की जाती है, तो उसकी प्रतिलिपियाँ उसे जारी करने वाले राजस्व अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर, उस तहसील के जिसके भीतर उद्घोषणा से सम्बन्धित भूमि स्थित है, मुख्यालय पर और उस उद्घोषणा से सम्बन्धित भूमि पर के या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर लगाई जायेंगी और जब तक कि उसे जारी करने वाला अधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, उपयुक्त के अतिरिक्त वह उद्घोषणा उस भूमि पर या उसके निकट डोंडी पिटवाकर प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वह उद्घोषणा सम्बन्धित है ।

आदेश

18. किन्हीं कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक मूल आदेश में मामले का संक्षिप्त कथन, विनिश्चय के लिये मुद्दे, उन पर किया गया विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

कुर्की

19. बकायादार के कब्जे में की ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की जो कृषि उपज के भिन्न है – (1) जहां बकायादार के कब्जे में की कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज से भिन्न जंगम सम्पत्ति है वहाँ कुर्की वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा की जायेगी और कुर्की करने वाला अधिकारी उस सम्पत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से एक की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा:

परन्तु जब अधिगृहीत सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से ज्यादा होना सम्भाव्य है, तब कुर्की करने वाला अधिकारी उसका तुरन्त ही विक्रय कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जब कुर्क की गई सम्पत्ति पशु-धन, कृषि उपकरण या अन्य ऐसी वस्तुएँ हैं जो सुविधापूर्वक हटाई नहीं जा सकती और कुर्की करने वाले अधिकारी इस नियम के प्रथम परन्तुक के

अधीन कार्य नहीं करता है, तो वह बकायादार की या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर उस सम्पत्ति को उस ग्राम में या उस स्थान पर, जहां कि वह कुर्क की गई है –

- बकायादार के, या उस स्थान के कांजी हाउस के रखवाले के यदि कोई हो, भारसाधन में छोड़ सकेगा, या
- ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले व्यक्ति या किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के भारसाधन में जोड़ सकेगा जो ऐसी सम्पत्ति को रखने का जिम्मा ऐसी सम्पत्ति मूल्य से कम न होने वाली रकम का, एक या अधिक प्रतिभुओं सहित, इस आशय का बन्धपत्र लिखकर ले ले कि वह ऐसी सम्पत्ति की उचित देखभाल करेगा और मांग की जाने पर उप सम्पत्ति को पेश कर देगा ।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची बनायेगा और उस सूची पर उस व्यक्ति की, जिसकी की अभिरक्षा में वह सम्पत्ति छोड़ी गई है, अभिस्वीकृति और यदि सम्भव है, तो बकायादार की और कम से कम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अभिस्वीकृति, उस सूची के सही होने के अनुप्रमाणन के तौर पर अभिप्राप्त करेगा । यदि कुर्क की गई सम्पत्ति में पशुधन तथा अन्य वस्तुएँ दोनों ही सम्मिलित हैं, पशुधन की एक पृथक् सूची भी उसी प्रकार तैयार की जायेगी और अनुप्रमाणित की जायेगी ।

20. (1) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की के वारण्ट की एक प्रति –

(क) उस दशा में जब, ऐसी उपज उगती फसल है, उस भूमि पर, जिसमें ऐसी फसल उगी है, या

(ख) उस दशा में, जब ऐसी उपज काटी जा चुकी है, या इकट्ठी की जा चुकी है, खलिहान में या अनाज गहाने के स्थान में या तदरूप स्थान में या चारे के ढेर पर, जिस पर या जिसमें वह निक्षिप्त की गई है;

लगाकर और एक अन्य प्रति उस गृह के, जिसमें कि बकायादार मामूली तौर से निवास करता है, बाहरी द्वारा पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर या यदि कोई ऐसा गृह न हो, तो उस गृह के, जिसमें कि वह कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वहां वह अंतिम बार निवास करता था या कारबार करता था या अभिलाप के लिये स्वयं काम करता था, बाहरी द्वारा पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर कुर्की की जायेगी, और तदुपरि यह समक्षा जायेगा कि न्यायालय के कब्जे में आ गई है ।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी कृषि उपज की अभिरक्षा के लिये और साथ उपज की रखवाली करने, कटाई करने, इसे इकट्ठा करने और उसे भण्डार में रखने के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा जैसा कि वह पर्याप्त समझे और उसे पकड़ने या उसके परिरक्षण के लिये आवश्यक कोई अन्य कार्य करेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन उपगत खर्चे बकायादार द्वारा वहन किये जायेंगे ।

21. (1) जहां कुर्क किया गया पशुधन बकायादार के भार साधन में नहीं छोड़ा गया है, वहां उसे खिलाने-पिलाने के व्यय ऐसी दर से प्रभारित किये जायेंगे जो कलेक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नियत करे।

(2) जहां कुर्क की गई सम्पत्ति कोई ऐसी जंगम सम्पत्ति है जो कृषि-उपज या पशुधन से भिन्न है और वह बकायादार के भारसाधन में नहीं छोड़ी गई है, वहां उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यय ऐसी दर से प्रभारित किया जायेगा जो कलेक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करें ।

(3) उपनियम (1) या (2) के अधीन उपगत खर्चे सम्पत्ति के विक्रय आगम पर प्रथम भार होंगे।

22. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) के आदेश 21 के नियम 6 से 53 तक के उपबन्ध, जो उन नियमों के अधीन विभिन्न वर्गों की सम्पत्ति की कुर्की के सम्बन्ध में हैं, जहां तक हो सकें, इस संहिता के अधीन की गई कुर्की को लागू होंगे ।

23. (1) जहां कि सम्पत्ति स्थावर है, वहां कुर्की ऐसे आदेश की जायेगी जो सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित या भारित करने से बकायादार को और ऐसे अन्तरण या भार से कोई भी फायदा उठाने हेतु समस्त व्यक्त्यिों को प्रतिषिद्ध करता है ।

(2) वह आदेश ऐसी सम्पत्ति में के या उसके पार्श्वस्थ किसी स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िगत रीति से उद्घोषित किया जायेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और तब राजस्व अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर लगाई जायेगी ।

(3) ऐसा आदेश मूल्य देकर वास्तविक क्रेताओं से विरूद्ध उस तारीख से, जिसको कि आदेश की प्रति सम्पत्ति पर लगाई गई हो तथा बकायादार के अन्य समस्त अन्तरितियों के विरूद्ध उस तारीख से; जिसको कि ऐसा आदेश किया गया हो; प्रभावी होगा ।

24. (1) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध, जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कुर्क की गई है या जिसके विरूद्ध इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की गई है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा खड़ा किया जाता है, तो राजस्व अधिकारी उस दावे के सम्बन्ध में जांच करेगा और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जिसके कि विरूद्ध उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश किया गया हो, उस अधिकार को स्थापित करने के लिये जिसका कि वह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो कि कुर्क की गई हो, दावा करता है, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर वाद संस्थित कर सकेगा; ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम में रखते हुए, वह आदेश निश्चायक होगा ।

विक्रय साधारणत :

25. प्रत्येक विक्रय इस सम्बन्ध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जायेगा और वह लोक नीलाम द्वारा किया जायेगा ।

26. (1) राजस्व अधिकारी आशयित विक्रय की उद्घोषणा करवायेगा जिसमें विक्रय का समय तथा स्थान कथित होगा और उसमें निम्नलिखित बातें यथा सम्भव ऋजुता और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी –

(क) वह सम्पत्ति जो बेची जानी है;

(ख) जहां वह सम्पत्ति, जो बेची जाती है, सरकार को राजस्व देने वाली किसी भूमि में कोई हित है, वहां उस भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व;

(ग) वह रकम, जिसकी वसूली के लिये विक्रय आदिष्ट किया गया है, और

(घ) प्रत्येक अन्य बात जिसके बारे में राजस्व अधिकारी का विचार हो कि सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिये उसकी जानकारी क्रेता के लिये तात्विक है।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा किसी खाते के विक्रय के सम्बन्ध में है, तो उसकी एक प्रति उस सरकारी बैंक तथा भू-बन्धक बैंक को भेजी जायेगी जो कि उस क्षेत्र के भीतर कार्यरत हो जिसमें वह खाता स्थित है ।

27. यदि राजस्व अधिकारी, ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह बकायादार को समन कर सकेगा और विक्रय उद्घोषणा में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा कर सकेगा ।

28. नियम 19 के प्रथम परन्तुक में वर्णित किस्म की सम्पत्ति की दशा में के सिवाय, एतद्धीन कोई भी विक्रय, बकायादार की लिखित सहमति के बिना –

(एक) रविवार या सिविल न्यायालय के किसी प्राधिकृत अवकाश के दिन या किसी ऐसे दिन, जो उस क्षेत्र के लिये, जिसमें विक्रय किया जाना हो, स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया हो, नहीं होगा, और

(दो) तब तक न होना जब तक कि उस तारीख से, जिसको कि उसकी उद्घोषणा की गई थी, कम से कम तीस दिन का अवसान न हो गया हो ।

29. (1) राजस्व अधिकारी एतद्धीन विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन और घन्टे तक के लिये स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा और ऐसे किसी विक्रय का संचालन करने वाला अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए विक्रय को स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा :

परन्तु जहां राजस्व अधिकारी का आदेश समय पर अभिप्राप्त किया जा सकता है, वहां कोई भी ऐसा स्थगन ऐसे आदेश के बिन नहीं किया जायेगा ।

(2) जहां विक्रय 15 दिन से अधिक की कालावधि के लिये उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाता है, वहां तब के सिवाय जब कि बकायादार उसका अधित्यजन करने के लिये अपनी सम्पत्ति दे दे, नई उद्घोषणा की जायेगी ।

(3) यदि लाट से लिये बोली के समाप्त होने से पहले ही शोध्य रकम और खर्चे विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को निविदत्त कर दिये जोत हैं या उस समाधानप्रद रूप में यह सबूत दे दिया जाता

है कि शोध्यों की रकम और खर्चे का उस राजस्व अधिकारी को भुगतान किया जा चुका है जिसने विक्रय का आदेश दिया था तो ऐसा प्रत्येक विक्रय रोक दिया जायेगा ।

30. क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विष्ट में जो कमी कीमत में हो जाये वह व्यक्तिक्रम करने वाले क्रेता से उस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों कि भू-राजस्व बकाया हो ।

31. कोई भी ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी विक्रय के सिलसिले में किसी कर्तव्य का पालन करना हो बेची गई सम्पत्ति के किसी हित के लिये न तो प्रत्यक्ष और न परोक्ष रूप से बोली लगायेगा और न उसे अर्जित करेगा और न अर्जित् करने की प्रयत्न करोगा ।

जंगम सम्पत्ति का विक्रय

32. (1) जहां बेची जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहां विक्रय –

(क) यदि ऐसा उपज उगती फसल है, तो उस भूमि पर या उसके समीप किया जायेगा जिसमें कि ऐसी फसल उगी है; या

(ख) यदि ऐसी उपज काटी जा चुकी है या इक्ट्ठी की जा चुकी है, तो खलिहान में या अनाज गहाने के स्थान में या तदरूप किसी स्थान में या चारे के ढेर पर या उसके समीप किया जायेगा :

परन्तु यदि राजस्व अधिकारी की यह राय हो कि वैसा करने से उपज अधिक फायदे पर बेची जा सकती है तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि विक्रय लोक समागम के निकटतम किसी स्थान पर किया जाये ।

(2) जहां, उपज की विक्रय के लिये पुरोधृत किये जाने पर –

(क) विक्रय करने वाले व्यक्ति के अनुमान से उसके लिये ऋ्जु मूल्य की बोली नहीं लगाई है; और

(ख) उस उपज का स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति विक्रय को आगामी दिन तक या यदि विक्रय के स्थान पर कोई मण्डी लगती है, तो अगली मण्डी लगने के दिन के लिये मुल्तवी करने के लिये आवेदन करता है, वहां विक्रय तदनुसार मुल्तवी कर दिया जायेगा और तत्पश्चात् उपज के लिये चाहे कोई भी कीमत लगे वह पूरा कर दिया जायेगा ।

33.(1) जहां बेची जाने वाली सम्पत्ति उगती फसल और वह ऐसी प्रकृति की है कि उसे भंडार में रखा जा सकता है किन्तु उसे उस समय तक भण्डार में नहीं रखा गया है, वहां विक्रय का दिन इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उस दिन के आने से पहले उसे भण्डार में रखे जाने के लिये तैयार कर लिया गया है और विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक फसल काट नहीं ली जाती है या इकट्ठी नहीं कर ली जाती है और भण्डार में रखे जाने के लिये तैयार नहीं कर ली जाती है ।

(2) जहां फसल की प्रकृति ऐसी है कि उसे भण्डार में नहीं रखा जा सकता है, या जहां राजस्व अधिकारी को यह प्रतीत हो कि उस फसल को अपरिपक्क अवस्था में और अधिक फायदे के साथ बेचा जा सकता है, वहां यह काटी जाने तथा इक्ट्ठी की जाने से पहले बेची जा सकेगी, और क्रेता भूमि पर प्रवेश

करने और उसकी देख्-भाल करने तथा उसे काटने या इक्ट्ठी करने के प्रयोजन से समस्त आवश्यक बातें करने का हकदार होगा ।

34. (1) जहां जंगम सम्पत्ति लोक नीलाम द्वारा बेची जाती है, वहां प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय पर संदत्त् किया जायेगा या उसके पश्चात् शीघ्र ही ऐसे समय पर संदत्त् किया जायेगा जो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट करें जो कि विक्रय कर रहा है और संदाय में व्यक्तिक्रम होने पर, सम्पत्ति तत्क्षण् ही फिर से बेची जायेगी ।

(2) क्रयधन का संदाय कर दिये जाने पर उसके लिये रसीद वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति देगा जो कि विक्रय कर रहा है और विक्रय आत्यन्तिक हो जायेगा ।

(3) जहां बेची जाने वाली जंगम सम्पत्ति ऐसे माल में अंश है जो कि बकायादार और किसी सहस्वामी का है और दो या अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक ऐसा सहस्वामी है; ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी लाट के लिये एक ही, राशि को बेाली लगाते हैं, वहां वह बोली उस सहस्वामी की बोली समझी जायेगी ।

35. जंगम सम्पत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी अनियमितता से विक्रय दूषित नहीं होगा, किन्तु जिस किसी व्यक्ति को कोई क्षति ऐसी अनियमितता के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुई है वह उसके विरूद्ध प्रतिकर के लिये या (यदि वह अन्य व्यक्ति क्रेता है) तो उसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिये और ऐसे प्रत्युद्धरण में व्यतिक्रम होने पर प्रतिकर के लिये वाद ला सकेगा ।

36. (1) जहां बेची गई सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति है जिसका वास्तविक अभिकरण कर लिया गया है, वहां वह क्रेता को परिदत्त की जायेगी ।

(2) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में, राज्य अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को क्रेता में या जैसा निदेश क्रेता दे उकसे अनुसार विहित करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तदनुसार निहित होगी ।

स्थावर सम्पत्ति का विक्रय

37. स्थावर सम्पत्ति के प्रत्येक विक्रय पर वह व्यक्ति, जिसे क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन को रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर वह सम्पत्ति तत्क्षण फिर बेची जायेगी ।

38. क्रयधन की संदेय पूरी रकम का क्रेता द्वारा संदाय सम्पत्ति के विक्रय तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा ।

39. नियम 38 में वर्णित कालावधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निक्षेप, यदि राजस्व अधिकारी ठीक समझे, विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात् सरकार को समपह्त किया जा सकेगा और सम्पत्ति का फिर से विक्रय किया जायेगा और उस सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिये उसका तत्पश्चात् विक्रय किया जाय उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के समस्त दावे समपह्त हो जायेंगे ।

40. (1) जहां स्थावर सम्पत्ति इस संहिता के अधीन बेच दी गई है वहां या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी या उसमें ऐसे हक के आधार पर, जो ऐसे विक्रय के पूर्व अर्जित किया गया था, हितबद्ध कोई व्यक्ति –

(क) क्रेता को दिये जाने के लिये, क्रयधन के पांच प्रतिशत के बराबर रकम,

(ख) बकाया रकम के भुगतान मद्धे, विक्रय की उद्घोषणा में ऐसी रकम के रूप में विनिर्दिष्ट रकम जिसकी वसूली के लिये विक्रय का आदेश किया गया था और जिसमें से विक्रय की उद्घोषणा की तारीख के पश्चात् उस मद्धे चुकाई गई रकम घटा दी गई हो, और

(ग) विक्रय के खर्चे,

उप विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय निक्षिप्त करने पर राजस्व अधिकारी की विक्रय अपास्त कराने के लिये आवेदन कर सकेगा ।

(2) यदि ऐसा निक्षेप विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है; तो राजस्व अधिकारी विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसे विक्रय को अपास्त कराने के लिये नियम 14 के अधीन आवेदन करता है तो वह इस नियम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

41. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके कि हित ऐसे विक्रय द्वारा प्रभावित होते हों, उस विक्रय को विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी तात्विक अनियमितता या भूल के आधार पर अपास्त करने के लिये राजस्व अधिकारों को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर सकेगा और राजस्व अधिकारी, उस विक्रय द्वारा प्रभावित हुए व्यक्तियों को सूचना देने के पश्चात्, विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा और पुन: विक्रय के लिये आदेश दे सकेगा, किन्तु कोई भी विक्रय ऐसे आधारों पर तब तक अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक राजस्व अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित न कर दें कि ऐसी अनियमितता या भूल के कारण उसे सारवान क्षति हुई है ।

42. किसी ऐसे मामले में के सिवाय जहां कि भूमि का विक्रय ऐसे बकाया के लिये किया गया हो जो कि भूमि पर भार बनता है, जहां क्रेता इस आधार पर कि बेची गई सम्पत्ति में बकायादार का कोई विक्रय हित नहीं था, विक्रय को अपास्त कराने के लिये राजस्व आकिारी को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर सकेगा और राजस्व अधिकारी, सम्यक् जांच करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो कि वह ठीक समझे ।

43. नियम 41 के अधीन कोई भी पुनर्विकय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि नियम 26 में अधिकाथित किये गये अनुसार नवीन उद्घोषणा प्रकाशित नहीं कर दी जाती है ।

44. यदि विक्रय की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर, नियम 40, 41 या 42 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और वह नामन्जूर कर दिया गया है, राजस्व अधिकारी विक्रय की पुष्टि करने वाना आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि कलेक्टर के पास यह समझने का कारण हो कि –

(एक) इस बात के होते हुए भी कि कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया है; या

(दो) किसी ऐसे आवेदन में, जो किया गया हो तथा नामंजूर कर दिया गया हो, कथित आधारों से भिन्न आधारों पर; या

(तीन) इस बात के होते हुए भी कि विक्रय की तारीख से तीस दिन की कालावधि का अवसान हो गया है,

विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो वह, विक्रय की पुष्टि करने के आदेश देने के पूर्व किसी भी समय, विक्रय को अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् अपास्त कर सकेगा ।

45. (1) यदि नियम 41 के अधीन कोई आवेदन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसे समस्त दावे, अनियमितता या भूल के आधार पर किये जा सकते हों, वर्जित हो जायेंगे ।

(2) उपनियम (1) में की कोई भी बात विक्रय को कपट के आधार पर या इस आधार पर कि वह बकाया, जिसके कि लिये सम्पत्ति बेची गई है, शोध्ध् नहीं है या इस आधार पर कि बेची गई सम्पत्ति में बकायादार का कोई विक्रय हित नहीं था; अपास्त कराने के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित किये जाने का वर्जन नहीं करेगी ।

46. यदि किसी सम्पत्ति का विक्रय नियम 40, 41, 42 या 44 के अधीन अपास्त कर दिया जाता है, तो क्रेता द्वारा निक्षिप्त क्रय धन की रकम उसे लोटा दी जायेगी ।

क्रय का प्रमाण – पत्र तथा कब्जे का परिदान

47. यदि किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो, तो राजस्व अधिकारी क्रेता को एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें वह तारीख जिसको कि विक्रय की पुष्टि की गई हो, बेची गई सम्पत्ति तथा क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा और क्रेता को ऐसी सम्पत्ति का कब्जा दिलायेगा ।

(48) (1) जहां सम्पत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करने में क्रेता का किसी व्यकित् द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है, वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवदेन राजस्व अधिकारी को कर सकेगा ।

(2) राजस्व अधिकारी उस बात के अन्वेषण के लिये तारीख नियत करेगा और जिस पक्षकार के विरूद्ध आवेदन किया गया है उस उपसंजात होने तथा उत्त्र देने के लिये समन करेगा ।

49. जहां राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) बकायादार द्वारा या उसके उकसाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; या

(ख) उस भूमि का, जो कि उसके सम्बन्ध में शोध्य भू-राजस्व के बकाया के लिये बेची गई थी, क्रय किया जाने के मामले में किसी भी व्यक्ति द्वारा;

ऐसा प्रतिरोध किया गया था या ऐसी बाधा डाली गई थी, तो वह यह निदेश देगा कि क्रेता को उस सम्पत्ति का कब्जा दिया जाय ।

50. जहां किसी ऐसे मामले में, जिसको कि नियम 49 लागू नहीं होता है, राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिरोध या बाधा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया था या डाली गई थी जो स्वयं अपनी ओर से या बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति की ओर से ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा रखने का सद्भावपूर्वक दावा करता है, वहां राजस्व अधिकारी आवेदन को खारिज करने वाला आदेश करेगा ।

51. (1) जहां बकायादार से भिन्न कोई व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के क्रेता द्वारा ऐसी सम्पत्ति से कब्जा कर दिया जाता है, वहां वह इस प्रकार कब्जा किये जाने का परिवाद करते हुए राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) राजस्व अधिकारी उस बात के अन्वेषण के लिये तारीख नियत करेगा और क्रेता को उपसंजात होने तथा उत्तर देने के लिये समन करेगा ।

52. जहाँ राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्वयं अपनी ओर से या बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति की ओर से सम्पत्ति पर कब्जा रखता था, वह निर्देश देगा कि सम्पत्ति पर आवेदक का कब्जा कराया जाय ।

53. बकायादार से भिन्न कोई भी पक्षकार , जिसके विरूद्ध नियम 49, 50 या 52 के अधीन आदेश किया गया है, उस अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद संस्थित कर सकेगा जिसका कि दावा वह सम्पत्ति के तत्काल कब्जे के लिये करता है, किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अध्यधीन रहते हुए आदेश निश्चायक होगा ।

साक्षियों की परीक्षा करने के लिये कमीशन

54. कोई भी राजस्व अधिकारी किन्हीं भी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी कर सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से छूट मिली हो या जो रूग्णता या अंगशैथिल्य के कारण न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ हो ।

55. साक्षी की परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी करने का आदेश राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के या उस साक्षी के जिसकी परीक्षा की जानी है, ऐसे आवेदन पर, जो शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित हो, किया जा सकेगी ।

56. कोई भी राजस्व अधिकारी –

(क) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से परे निवासी किसी भी व्यक्ति की;

(ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है जिसको कि न्यायालय में परीक्षा की जाने के लिये वह अपेक्षित है;

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके कि बारे में ऐसेराजस्व अधिकारी की यह राय हो कि लोक सेवा का उपाय किये बिना वह हाजिर नहीं हो सकता , परीक्षा करने के लिये कमीशन किन्हीं भी कार्यवाहियों में जारी कर सकेगा ।

57. (1) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि न्यायालय उसका निष्पादन करने के लिये ठीक समझता है, या किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को, जो सुविधापूर्वक ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता हो, जारी किया जा सकेगा ।

(2) प्रत्येक राजस्व अधिकारी , जिसे किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये कमीशन प्राप्त हो, उसके अनुसरण में उसकी परीक्षा करेगा या करवायेगा ।

(3) राजस्व अधिकारी , कोई भी कमीशन इस नियम के अधीन जारी करने पर यह निदेश देगा कि क्या कमीशन उसको ही लौटाया जायेगा या कि उसके किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को।

58. जहां कमीशन या सम्यक् रूप से निष्पादन कर दिया गया हो, वहां वह उसके अधीन लिये गये साक्ष्य सहित उस राजस्व अधिकारी को जिसने कि उसे, जारी किया था, उस दशा में सिवाय लौटा दिया जायेगा जिसमें कि कमीशन जारी करने वाले आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो और उस दशा में कमीशन ऐसे आदेश के उपबन्धों के अनुसार लौटाया जायेगा और कमीशन और उसके साथ वाली विवरणी और उसके अधीन लिया गया साक्ष्य (ठीक आगामी नियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए) कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होंगे ।

59. कमीशन के अधीन लिया गया साक्ष्य कार्यवाही में साक्ष्य तौर पर उस पक्षकार की सम्पत्ति के बिना जिसके कि विरूद्ध वह दिया गया है, उस दशा के सिवाय नहीं पढ़ा जायेगा , जिसमें कि –

(क) वह व्यक्ति जिसने साक्ष्य दिया है, न्यायालय की अधिकारिता के परे है, या भर गया है या रूग्णता या अंगशैथिल्य के कारण वैयक्तिक रूप से परीक्षा की जाने के लिये हाजिर होने में असमर्थ है या न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाया हुआ है, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में का ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में राजस्व अधिकारी की राय है कि वह लोक सेवा का उपाय किये बिना हाजिर नहीं हो सकता ,

(ख) राजस्व अधिकारी खंड (क) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी के भी साबित किये जाने से अभियुक्त स्वविवेकानुसार दे देता है और किसी व्यक्ति के साक्ष्य को कार्यवाहियों में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाना, इस सबूत के होते हुए भी कि कमीशन के माध्यम द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने का है तुक उसके पढ़े जाने के समय जाता रहा है, प्राधिकृत कर देता है ।

60. राजस्व अधिकारी इन नियमों के अधीन कोई कमीशन जारी करने के पूर्व यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि (यदि कोई हो), जैसी कि वह कमीशन के व्ययों के लिये युक्तियुक्त समझे , नियत किये जाने वाले समय के भीतर उस पक्षकार द्वारा भुगतान की जाय जिसकी कि प्रेरणा पर या जिसके कि फायदे के लिये कमीशन जारी किया जाना है ।

61. (1) साक्षियों का समन करने , साक्षियों की हाजिरी और साक्षियों के परीक्षा संबंधी और साक्षियों के पारिश्रमिक तथा उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों सम्बन्धी इस संहिता के उपबन्ध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा इन नियमों के अधीन की गई है और कमीशन के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वह राजस्व न्यायालय है ।

(2) कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका जारी करने के लिये, जिसे वह साक्षी के नाम या विरूद्ध जारी करना आवश्यक पाये, ऐसे किसी राजस्व अधिकारी से, जिसकी कि अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा राजस्व अधिकारी, स्वविवेकानुसार , ऐसी आदेशिका जारी कर सकेगा जैसी कि वह युक्तियुक्त तथा उचित समझे ।

62. (1) जहां कि कमीशन इन नियमों के अधीन जारी किया जाता है, वहां राजस्व अधिकारी यह निर्देश देगा कि कार्यवाहियों के पक्षकार कमिश्नर के सामने या तो स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के या प्लीडरों के द्वारा उपसंजात हों ।

(2) जहां कि समस्त पक्षकार या उनमें से कोई ऐसे उपसंजात न हों वहां कमिश्नर उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा ।

अवयस्कों तथा विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरूद्ध कार्यवाही

63. अवयस्क द्वारा प्रत्येक आवेदन, अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अवयस्क के नाम से दिया जायेगा ।

64. जहां अनावेदक अवयस्क है, वहां राजस्व अधिकारी उसकी आवश्यकता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये ऐसे अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करेगा ।

65. कोई भी व्यक्ति, जो स्वस्थ चित्त है तथा वयस्क हो गया है और जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल नहीं है, कार्यवाहियों में अवयस्क पक्षकार के संरक्षण के रूप में कार्य कर सकेगा ।

66. उस दशा में, जब कि अनावेदक अवयस्क हो और नियुक्त किये गये संरक्षक के पास आवश्यक व्ययों की पूर्ति के लिये कोई निधियाँ न हों, राजस्व अधिकारी आवेदक को वह निदेश दे सकेगा कि वह उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि जमा करें । आवेदक द्वारा इस प्रकार उपगत किये गये खर्चे, खर्चे के सम्बन्ध में पारित किये गये अन्तिम आदेश के अनुसार समायोजित किये जायेंगे ।

67. (1) कोई संरक्षण अवयस्क की ओर कोई करार या समझौता उन कार्यवाहियो के बारे में जिनमें वह अवयस्क के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, राजस्व अधिकारी की इजाजत के बिना नही करेगा जो इजाजत कार्यवाहियों में स्पष्टतया अभिलिखित की जायगी।

(2) राजस्व अधिकारी की ऐसी अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी ऐसी करार या समझौता अवयस्क से भिन्न समस्त पक्षकारो के विरूद्ध शून्यकरणीय होगा।

68. नियम 63 से 67 तक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित चित व्यक्तियों को लागू होंगे।

****